सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

मध्य प्रदेश में वन्यप्राणी संरक्षण और वन्यप्राणी रहवासों के सतत् प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन क्रमांक 1

ऊपर से, बाएं से दाएं:
इंडियन पेंगोलिन (फोटोः संजय शुक्ला), रेड हेडेड वल्चर्स (फोटोः संजय शुक्ला), बारासिंघा (फोटोः अभिनंदन शुक्ला), नीलकंठ (फोटोः हरि नारा), बाघ (फोटोः देवेन्द्र गोगाटे), दूधराज (फोटोः फहर मुर्तजा)
बाघ (फोटोः शौर्य रेशमवाला), इंडियन स्किमर (फोटोः राजेश कुमार), तेंदुआ (फोटोः फरहान खान)

मध्य प्रदेश में वन्यप्राणी संरक्षण और वन्यप्राणी रहवासों के सतत् प्रबंधन

पर

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन क्रमांक 1

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय–सूची

		पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय 1		
प्रस्तावना		
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	विभागीय संरचना	3
1.3	वन्यप्राणी संरक्षण और रहवास प्रबंधन के लिए वित्तीय व्यवस्था	4
1.4	लेखापरीक्षा उद्देश्य	4
1.5	लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली	4
1.6	लेखापरीक्षा मानदंड	6
1.7	पूर्व लेखापरीक्षा	6
1.8	अभिस्वीकृति	6
अध्याय 2		
वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं सुरक्षा और उनके रहवासों के प्रबंधन के लिए योजना		
2.1	योजनाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं?	7
2.2	योजनाओं की उपलब्धता	10
2.2.1	बाघ संरक्षण योजना	11
2.2.2	प्रबंध योजनाएं	12
2.2.3	आंचलिक महायोजना	14
2.2.4	योजनाओं में सम्मिलित तत्व	17
2.3	अनुसंधान	17
2.4	संरक्षण निधिकरण	20
2.4.1	केंद्र प्रवर्तित योजना	21
2.4.2	वार्षिक कार्य योजनाएं	22
2.4.3	भूमि व्यपवर्तन के मामलों में संबंधित संरक्षित क्षेत्रों में जैव विविधता और वन्यप्राणी के संरक्षण के लिए निधियों का उपयोग	22

2.5	अनुशंसाएं	23
अध्याय 3		
वन्यप्राणियों का संरक्षण एवं सुरक्षा		
3.1	वन्यप्राणियों की मृत्यु	27
3.1.1	घटना	27
3.2	वन्यप्राणी अपराधों की जांच एवं कार्रवाई	30
3.2.1	अपराध प्रकरणों का पंजीकरण, जांच एवं निराकरण	30
3.2.2	फोरेंसिक जांच	31
3.3	सुरक्षा हेतु शमन उपाय	32
3.3.1	रेखीय अधोसंरचनाओं के विरूद्ध शमन उपाय	32
3.3.1.1	विद्युत आघात	32
3.3.1.2	सड़क पर मृत्यु	33
3.3.1.3	रेलवे पटरियां	33
3.4	बाघ संरक्षण हेतु प्रशासनिक उपाय	34
3.4.1	विशेष बाघ संरक्षण बल की स्थापना	34
3.4.2	राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स	35
3.5	संरक्षण हेतु संसाधन	35
3.5.1	उपकरण	35
3.5.2	मानवशक्ति	37
3.5.2.1	उपलब्धता	37
3.5.2.2	प्रशिक्षण	37
3.5.3	गश्ती शिविर	38
3.6	संरक्षण के अन्य मुद्दे	40
3.6.1	मानव–वन्यप्राणी संघर्ष	40
3.6.2	जंगली प्रजातियों में आनुवांशिक बदलाव	41
3.6.3	वन्यप्राणियों का स्थानान्तरण	42
3.6.4	ईको पर्यटन	44
3.6.4.1	टाइगर रिजर्वों में पर्यटक वाहन का विनियमन	44

3.6.5	रोग नियंत्रण	45
3.6.5.1	रोग निगरानी	46
3.6.5.2	कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से खतरे के विरूद्ध कार्रवाई	47
3.7	अनुशंसाएं	47
अध्याय 4		
वन्यप्राणी रहवासों का प्रबंधन एवं समेकन		
4.1	संरक्षित क्षेत्रों और टाइगर रिजर्व का आवर्धन	50
4.2	क्रिटिकल वन्यप्राणी रहवास की अधिसूचना	51
4.3	संरक्षित क्षेत्रों की अधिसूचना और पुनर्स्थापन	51
4.4	सीमाओं का सीमांकन	52
4.5	जल निकायों का प्रबंधन	52
4.6	जंगल की आग	54
4.7	तेजी से फैलने वाली विदेशी प्रजातियों का उन्मूलन और घास के मैदानों का विकास	55
4.8	मानवजनित गतिविधियां	56
4.8.1	संरक्षित क्षेत्रों में और आसपास वाणिज्यिक गतिविधियों का विनियमन	56
4.8.2	वन्यप्राणी रहवासों में मानवजनित गतिविधियां	57
4.8.2.1	अतिक्रमण	58
4.8.2.2	सोन घड़ियाल वन्यप्राणी अभयारण्य में अवैध खनन	59
4.8.3	वनों से इमारती लकड़ी और ईंधन की लकड़ी की अवैध कटाई और हटाया जाना	60
4.9	बृहद परियोजनाओं का वन्यप्राणी रहवासों पर प्रभाव	61
4.9.1	वन्यप्राणी रहवासों पर अन्य प्रमुख परियोजनाओं के प्रभाव	64
4.10	अनुशंसाएं	64
4.11	निष्कर्ष	64
	परिशिष्ट	67

प्राक्कथन

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य के विधानसभा के समक्ष रखे जाने के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में 2014–15 से 2018–19 की अवधि को अन्तर्निहित करते हुए 'मध्य प्रदेश में वन्यप्राणी संरक्षण और वन्यप्राणी रहवासों के सतत् प्रबंधन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण उनमें से हैं जो नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित की गई है।

कार्यकारी सारांश

फोटो सौजन्य (ऊपर से, बाएं से दाएं):
डेविड राजू, वरूण ठक्कर, फरहान खान
वरूण ठक्कर, राना बोस, वरूण ठक्कर
सुयश केशरी, वरूण ठक्कर, नितीश मिश्रा

कार्यकारी सारांश

वनस्पतियों और जीवों, जिनमें से कई स्थानिक और कुछ लुप्तप्राय हैं, की एक अभूतपूर्व संख्या का घर मध्य प्रदेश के वन और वन्य जीवन राज्य की निधि हैं। अपने बाघों के लिए प्रसिद्ध राज्य में बाघों की सबसे बड़ी संख्या[1] है; देश में चार[2] सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित टाइगर रिजर्व में से भी तीन इसी राज्य में अवस्थित हैं। मध्यप्रदेश को देश में सबसे ज्यादा तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या होने का भी गौरव प्राप्त है।

किसी भी वन एवं उसमें निवासरत वन्यप्राणियों के विकास हेतु वन प्रबंधन को दो विशेष क्षेत्रों यथा, वन्यप्राणियों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा उनके रहवासों को मौलिक, अछूता एवं समेकित रूप में बनाए रखने पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ''मध्य प्रदेश में वन्यप्राणी संरक्षण और वन्यप्राणी रहवास के सतत् प्रबंधन'' पर यह प्रतिवेदन इस बात का आश्वासन प्राप्त करने का प्रयास करता है कि वन और वन्यप्राणियों की देखभाल और रखरखाव राज्य के वन विभाग, जो उनका संरक्षक है, के द्वारा किया जा रहा था।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण, राज्य में 2014–18 की अवधि में बाघों की संख्या बढ़ी है। तथापि, यह स्थिति बनाए रखने के लिए दूरदर्शिता, व्यापकता एवं सामयिक योजना बनाने के साथ–साथ इसका प्रभावी क्रियान्वयन भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमारी लेखापरीक्षा से पता चला कि लेखापरीक्षा में नमूने के लिए चयनित अधिकांश संरक्षित क्षेत्रों (जैसे टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यप्राणी अभयारण्यों) को दीर्घकालिक योजनाओं जैसे प्रबंधन योजनाओं (राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यप्राणी अभयारण्यों के लिए) और बाघ संरक्षण योजनाओं (टाइगर रिजर्वों के लिए) का निर्धारित लाभ दीर्घावधि तक नहीं मिला। हालांकि इस प्रकार की योजनाओं के अभाव के बावजूद बाघों की संख्या में वृद्धि हुई, बाघों की जनसंख्या के बढ़ते घनत्व एवं परिणामी प्रभावों जैसे आपसी लड़ाईयां एवं इनमें बाघों की मृत्यु, संभावित अंतः प्रजनन आनुवंशिक कमजोरियों एवं बीमारियों से जुड़े मुद्दों को योजनाओं के अभाव में संभालना और नियंत्रित करना और कठिन होगा। न केवल बाघों के लिए बल्कि छोटे–बड़े सभी जंगली जानवरों के लिए अवैध शिकार को नियंत्रित करने और रहवासों के संरक्षण की दिशा में कोई, राज्य व्यापी या स्थल विशिष्ट, सुसंगत दृष्टिकोण उपलब्ध नहीं था। यहां तक कि उन विशिष्ट जिलों और अंतर्राज्यीय सीमाओं में जहाँ बाघों के साथ–साथ अन्य सभी जंगली जानवरों के अवैध शिकार और अवैध वन्यप्राणी व्यापार के हॉटस्पॉट की पहचान की गई थी, वहां कोई सुसंगत योजना विकसित नहीं की गई थी।

संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारिस्थितिक–संवेदनशील क्षेत्रों की अंतिम अधिसूचना के बाद आंचलिक महायोजना तैयार किए जाने की आवश्यकता है। महायोजनाओं में अधिसूचनाओं में पहचाने गए पारिस्थितिक–भंगुर क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए अनुमत्य, विनियमित और निषिद्ध गतिविधियों के प्रावधान समाहित रहते हैं। हमारी लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि भारत सरकार की अधिसूचना से संरक्षित क्षेत्रों के आस–पास 9,437 वर्ग किलोमीटर ईको–संवेदी क्षेत्र जोड़ा गया फिर भी राज्य शासन ने इन ईको–संवेदी क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों को विनियमित एवं निषिद्ध करने हेतु कोई आंचलिक महायोजना नहीं बनाई।

ऐसे तीव्र परिवर्तनशील समय में विभाग को उपयुक्त और सामयिक आगत देने के लिए, वैज्ञानिक आंकड़े प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत शोधकर्ताओं और संस्थानों को सहयोजित करना आवश्यक है जो संरक्षण प्रयासों को नया आधार प्रदान कर सकें। बाघ संरक्षण योजनाएँ और प्रबंध योजनाएँ अनुसंधान योग्य

---

1 राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भारत में बाघ, सहशिकारी और शिकारों की स्थिति प्रतिवेदन (2018)।

2 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2018 में टाइगर रिजर्वों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन का चौथा चक्र।

विषयों का निर्धारण करती हैं। तथापि विभाग में उपयुक्त योजनाओं के अभाव में अधिकांश स्थलों के लिए इस प्रकार के शोध विषय उपलब्ध नहीं थे। यहाँ तक कि जब प्रबंध योजनाएं बनाई गई तब भी इन योजनाओं में प्रस्तावित विषयों को कदाचित ही शोध के लिए लिया गया और यहां तक कि जहां पहचान किए गए विषयों के अलावा अन्य विषयों पर स्वतंत्र शोधकर्ताओं द्वारा अनुसंधान की अनुमति दी गई थी, वहां ऐसे शोध–प्रतिवेदन विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे। अतः विभाग के पास ऐसी कोई विश्वसनीय प्रतिसूचना नहीं थी जो वनों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु उनकी भविष्य की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण आगतों के रूप में काम कर सके।

इसके अतिरिक्त, सामान्य मुद्दे जो मृत्यु का कारण बनते हैं, जैसे विद्युत आघात, सड़क दुर्घटना, रेलवे लाइन के किनारे दुर्घटना और फंदे यद्यपि विभाग को अच्छी तरह से ज्ञात हैं, लेकिन मृत्यु दर को कम करने के लिए इन पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई। इसी प्रकार सोन–घड़ियाल वन्यप्राणी अभयारण्य जैसे विशेष रूप से नाजुक रहवासों, जो लुप्तप्राय घडियालों का रहवास है, को स्थल विशिष्ट कार्रवाई से आच्छादित नहीं किया गया।

वन्यप्राणी रहवासों को परिरक्षित, संरक्षित और समेकित करने के लिए, संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को औपचारिक रूप से अधिसूचित करने के साथ–साथ राजस्व विभाग के साथ सामन्जस्य रखना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीमाएं बिना किसी विवाद के निर्धारित हों। इसके साथ ही संरक्षित क्षेत्रों विशेषतः कोर को अक्षुण्ण बनाए रखने एवं किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखने हेतु यह आवश्यक है कि ग्रामवासियों की सहमति प्राप्त कर एवं उनको उचित मुआवजा भुगतान करने के पश्चात् इसमें स्थित वर्तमान ग्रामों को संरक्षित क्षेत्रों के बाहर उपयुक्त स्थानों पर पुर्नस्थापित किया जाए। हमने इस संबंध में महत्वपूर्ण कमियां देखीं। इसके अतिरिक्त, मानव–वन्यप्राणी संघर्ष के उदाहरण लेखापरीक्षा अवधि में बढ़ती हुई प्रवृत्ति (73 प्रतिशत तक) दिखा रहे थे। वर्तमान में, इस तरह के व्यापक प्रयास सभी स्थानों पर मौजूद नहीं थे और जहां वे मौजूद थे वहां भी पर्याप्त नहीं थे।

रहवास प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण भाग वन्यप्राणियों को आनुवांशिक बदलाव से बचाना और युवा वन्यप्राणी के फैलाव और उनकी आबादी के विभिन्न उप–समूहों के मिश्रण की अनुमति देकर जीवों की आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखना है। साधारणतया यह वन्यप्राणी गलियारों के निर्माण के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां कई संरक्षित क्षेत्र पड़ोसी राज्यों के संरक्षित क्षेत्रों के समीपस्थ हैं, ऐसे अंतर्राज्यीय और अंतः राज्यीय वन्यप्राणी गलियारों के विकास और रखरखाव के लिए आयोजना, समन्वय और ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा के दौरान हम यह आश्वासन प्राप्त नहीं कर सके कि ऐसे प्रयास किए गए।

विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन नहीं किया गया था। हमने पाया कि चयनित वनमंडलों में हथियार, वायरलेस सेट और मेटल डिटेक्टर के आवश्यकता का आकलन अपर्याप्त था। वन विभाग के अधिकारियों के साथ पेट्रोलिंग कैंपों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान हमने आधारभूत संरचना के साथ–साथ कैंपों मे तैनात अंग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के कल्याण–योजनाओं की पर्याप्तता का सर्वेक्षण किया। हालांकि कैंप आम तौर पर अच्छी स्थिति में थे पर उनके संतुष्टि स्तर को प्रभावित करने वाले मुख्य मुद्दे, जैसे–वेतन और राशन भत्ते प्राप्त करने में देरी, मच्छरदानी और पानी की बोतलों जैसी प्राथमिक लेकिन आवश्यक वस्तुओं की कमी, उचित शौचालय सुविधाओं की कमी आदि देखे गए।

संरक्षित क्षेत्रों के आसपास रोगों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु विभाग द्वारा पर्याप्त निगरानी करना नहीं पाया गया, संरक्षित क्षेत्रों के आसपास मवेशियों, कुत्तों और बिल्लियों का टीकाकरण नहीं किया गया था और कई संरक्षित क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सहायता अपर्याप्त थी।

त्वरित कार्रवाई और समय पर निर्णय किसी भी जांच को सफलतापूर्वक पूरा करने की कुंजी है। हमारी लेखापरीक्षित अवधि के दौरान, हमने देखा कि वन अपराध के तीन–चौथाई प्रकरण या तो प्रशमित किए गए या न्यायालय में प्रस्तुत किए गए अर्थात् उनके तार्किक अंत तक ले जाए गए। इस तथ्य के साथ युग्मित कि नए प्रकरणों के पंजीकरण में कमी आई, संख्याओं ने व्यापक रूप से यह धारणा दी कि इन संरक्षित क्षेत्रों में वन अपराध के प्रकरणों की स्थिति सामान्यतः संतोषजनक स्तर पर थी। तथापि, लगभग 20 प्रतिशत प्रकरणों में निर्णय कुछ समय से लंबित थे।

संरक्षित क्षेत्रों को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि निर्माण कार्य विशेष रूप से कोर क्षेत्रों में रहवास को विक्षुब्ध न करे। केन–बेतवा नदी को जोड़ने वाली परियोजना को राज्य वन्यप्राणी बोर्ड और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड दोनों द्वारा अनुमोदित किया गया, जबकि यह पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र पर, इसके प्रतिकूल प्रभाव को प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ वन्यप्राणी द्वारा स्वीकार किया गया था। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बड़े निर्माण कार्यों के अन्य उदाहरण भी देखे गए जिनमें से कम से कम तीन निर्माण कार्य, अक्षत् कोर क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं।

हमने राज्य के भीतर विभिन्न वन्यप्राणियों के स्थानांतरण और पुनर्वास में विभाग की कुछ सफलताओं को भी देखा। बाघों का नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य एवं संजय टाइगर रिजर्व और चीतल का अन्य संरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरण उल्लेखनीय हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 2009 में पन्ना के एक रिक्त टाइगर रिजर्व में बाघों का पुनर्वास था, जिसको 2018 में 25 स्वस्थ वयस्क बाघ होने का गौरव प्राप्त है।

हमने निष्कर्ष निकाला कि जहां मध्य प्रदेश के जंगलों में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, वहीं योजनाओं की कमी और इस तरह की योजनाओं में किसी भी शोध की अनुपस्थिति, वनों के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कमी है। यह खतरे वर्तमान में अप्रकट हैं, स्थायित्व को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि जब बाघों का जनसंख्या घनत्व 10 प्रति 100 वर्ग किमी से अधिक होगा, तो संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाले अच्छे वन्यप्राणी गलियारों के बिना, बाघों की बढ़ती संख्या विभिन्न परस्पर जुड़े और व्यापक प्रभावों जैसे आपसी संघर्ष के कारण मृत्यु से लेकर अंतःप्रजनन से बीमारी और अन्य संबंधित मुद्दे पैदा कर सकती है। ये खतरों को बढ़ा सकते हैं जिससे कि आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान जीवंत आबादी को बीमार कर सकती है और तेजी से गिर सकती है। आशा की जाती है कि विभाग द्वारा समय रहते आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई की जाएगी। हमारी अनुशंसाएं विभाग को समय पर आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने में सहायता करने के लिए तैयार की गई हैं ताकि राज्य के वनस्पति और जीव फलते–फूलते रहें।

अनुशंसाएं:

I. नीतियां और आयोजना

- *वन विभाग को समर्पित टीम के माध्यम से बाघ संरक्षण योजनाओं/ प्रबंध योजनाओं को तैयार करने में सहायता करनी चाहिए, और प्रबंध योजना तैयार करने के लिए व्यापक दिशानिर्देशों के साथ एक तय प्रक्रिया भी निर्धारित करनी चाहिए;*

(अनुशंसा 1)

- *राज्य शासन को समयबद्धता से जोनल मास्टर प्लान की तैयारी और अनुमोदन सुनिश्चित करना चाहिए और उसमें शामिल गतिविधियों की प्रभावी तरीके से निगरानी सुनिश्चित करना चाहिए;*

(अनुशंसा 2)

- *विभाग को बाघ संरक्षण योजनाओं/ प्रबंध योजनाओं में चिन्हित क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए संस्थागत गठजोड़ स्थापित करना चाहिए;*

(अनुशंसा 3)

- *राज्य शासन को विशेष बाघ संरक्षण बल की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाना चाहिए;*

(अनुशंसा 6)

- *विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक टाइगर रिजर्व/ राष्ट्रीय उद्यान/ वन्यप्राणी अभयारण्य के लिए एक स्थल विशिष्ट मानव–वन्यजीव संघर्ष शमन योजना तैयार और कार्यान्वित की गई है।*

(अनुशंसा 8)

II. वित्तीय प्रबंधन

- *विभाग को एक निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए जो बाघ संरक्षण योजनाओं/ प्रबंध योजनाओं में पहचान की गई प्रत्येक गतिविधि पर निधियों के आवंटन और उपयोग का पता लगाए;*

(अनुशंसा 4)

- *राज्य शासन को अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों से संबंधित कार्यों के लिए वित्त पोषण में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए;*

(अनुशंसा 11)

III. मानव संसाधन एवं अन्य संसाधन

- *विभाग को उपयुक्त मानदण्ड और पैमाने तैयार कर मानव संसाधन और अन्य संसाधनों की स्वीकृति और तैनाती को युक्तिसंगत बनाना चाहिए;*

(अनुशंसा 7)

- *प्रमुवसं/ वन्यप्राणी को पर्याप्त स्टाफ, प्रशिक्षण और आधारभूत संरचना प्रदान करके रोग नियंत्रण और निगरानी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए;*

(अनुशंसा 9)

IV. संरक्षण का कियान्वयन

- *विभाग को शिकार और मौतों की उच्च घटनाओं के लिए कारणात्मक कारकों की पहचान कर स्थल विशिष्ट सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए हॉट स्पॉट की पहचान करना चाहिए;*

(अनुशंसा 5)

- *विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यटन से संबंधित गतिविधियां और बुनियादी ढांचे युक्तिसंगत हों जिससे जंगली जानवरों और आवासों की भलाई में बाधा न आए;*

(अनुशंसा 10)

- *राज्य शासन को डिजिटल और भू–कर मानचित्रों का उपयोग कर संरक्षित क्षेत्रों और टाइगर रिजर्व की सीमाओं के सीमांकन की प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए;*

(अनुशंसा 12)

- *दर्ज प्रकरणों की जांच में तेजी लाकर सोन–घड़ियाल वन्यप्राणी अभयारण्य में अवैध खनन पर नियंत्रण को मजबूत किया जाना चाहिए;*

(अनुशंसा 13)

- *राज्य शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि केन–बेतवा लिंक परियोजना के साथ–साथ अन्य बुनियादी अधोसंरचना विकास परियोजनाओं का वन्यजीवों और उनके रहवासों पर पड़ने वाले सभी प्रतिकूल प्रभावों को पर्याप्त रूप से कम किया जाए। इसके अतिरिक्त, राज्य शासन को शमन उपायों की पर्याप्तता और समयबद्धता की विशेष रूप से निगरानी के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने पर विचार करना चाहिए।*

(अनुशंसा 14)

अध्याय 1
प्रस्तावना

फोटो सौजन्य (ऊपर से, बाएं से दाएं):
अभिनंदन शुक्ला, अभिनंदन शुक्ला, अभिनंदन शुक्ला
अभिनंदन शुक्ला, अभिनंदन शुक्ला, अभिनंदन शुक्ला
अभिनंदन शुक्ला, वरूण मणि, अभिनंदन शुक्ला

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

वन्यप्राणियों में सभी गैर–कृषि वनस्पतियां और गैर–पालतू जीव–जंतु शामिल हैं। प्रत्येक प्रजाति को जीने का अधिकार है एवं प्रत्येक संकटापन्न प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए अवश्य ही संरक्षित किया जाना चाहिए। वन्यप्राणी संरक्षण केवल दुर्लभ, संकटापन्न और स्थानिक जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य की एक रणनीति ही नहीं है, अपितु किसी भी देश की पारिस्थितिकीय सुरक्षा, मानव भलाई और सतत् विकास प्राप्त करने का एक सर्वमान्य माध्यम है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 वन्यप्राणी संरक्षण के व्यापक लक्ष्यों को मान्यता देता है और राज्य शासन को महत्व के क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र अर्थात अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित करने हेतु सशक्त[1] करता है। टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र अक्षुण्य माने जाते हैं, जहां चराई जैसे गतिविधियां निषिद्ध रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यप्राणी अभयारण्य में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधों तथा मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के विनियमन के अधीन अनुमति दी जाती है।

बॉक्स 1.1: मध्य प्रदेश में वन आवरण

पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी में पेंच नदी में शावकों के साथ बाघिन

(स्रोतः क्षेत्र संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व)

भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, मध्य प्रदेश 3.1 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.4 प्रतिशत है। राज्य में 77,482.49 वर्ग किलोमीटर[2] वन आवरण[3] है जो उसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 25.1 प्रतिशत है।

वनों के 21 प्रकार हैं, जो पांच[4] वन प्रकार समूहों के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। अति सघन वन में 6,676.02 वर्ग किलोमीटर (**चार्ट-1.1**) समाविष्ट है। 2017–19 के दौरान राज्य में वन आवरण में 68 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि (0.9 प्रतिशत) हुई, जो कि इसी दौरान राष्ट्रीय वृद्धि औसत, 0.56 प्रतिशत से कम थी।

---

1 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 और 35 के अंतर्गत, राज्य सरकार महत्व के क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र, यथा क्रमशः अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 (फ) के अंतर्गत टाइगर रिजर्व हेतु अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत संरक्षण रिजर्वों और सामुदायिक रिजर्वों की अधिसूचना के प्रावधान भी हैं। यद्यपि, मध्य प्रदेश में इन्हें अधिसूचित नहीं किया गया है।

2 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार।

3 स्वामित्व और कानूनी स्थिति के असंगत 10 प्रतिशत से अधिक कैनोपी घनत्व के पेड़ वाले एक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की समस्त भूमि। ऐसी भूमि का अभिलिखित वन क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है।

4 उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, तटीय और दलदली वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और उप–उष्णकटिबंधीय व्यापक–स्तरीय पहाड़ी वन।

चार्ट–1.1 : मध्य प्रदेश का वन आवरण

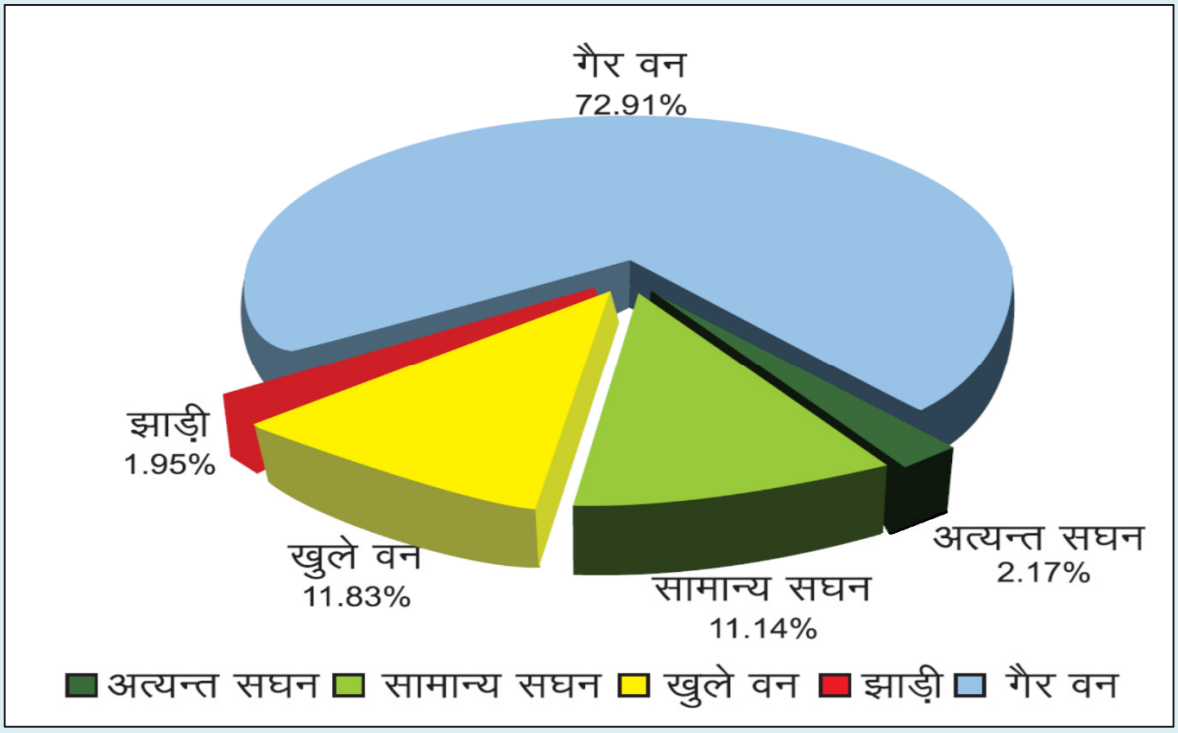

(स्रोत : भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, भारतीय वन सर्वेक्षण)

राज्य में 52 जिले हैं, जिनमें से 21 आदिवासी जिले हैं। बालाघाट और श्योपुर जिलों में उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित हैं। चार जिलों–डिंडोरी, मंडला, सीधी और उमरिया में उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित हैं। इन छः जिलों में एक राष्ट्रीय उद्यान[5] और तीन टाइगर रिजर्व[6] स्थित हैं। राज्य में कान्हा–पेंच कॉरिडोर का बड़ा भाग बालाघाट जिले में है। राज्य में वनस्पतियों और जीव जन्तुओं[7] की समृद्ध जैव विविधता है।

राज्य शासन ने अब तक 11 राष्ट्रीय उद्यानों और 24 वन्यप्राणी अभयारण्यों को अधिसूचित किया है। मध्य प्रदेश में कुल अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र 11,393 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, जिसमें से 4,773.638 वर्ग किलोमीटर तक, क्रिटिकल टाइगर रहवास (टाइगर रिजर्व का कोर) के रूप में अधिसूचित है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यप्राणी अभयारण्यों के परिधि के दो वर्ग किलोमीटर के अंदर के क्षेत्र को एवं टाइगर रिजर्व के प्रकरण में, टाइगर रिजर्व के बफर जोन के पूरे क्षेत्र को आघात अवशोषक के रूप

5 कूनो राष्ट्रीय उद्यान।

6 बांधवगढ़, कान्हा और संजय टाइगर रिजर्व।

7 मध्य प्रदेश में स्तनधारी जीवों की 45 से अधिक प्रजातियां है, जो भारत के जंगली स्तनधारियों का लगभग 10 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में मांसाहारी वर्ग में बाघ, तेंदुआ, सुस्त भालू, ढोल, धारीदार लकड़बग्घा, सियार, भेड़िया, जंगल बिल्ली, जंगली बिल्ली, चित्तीदार बिल्ली, चिकना ऊदबिलाव, ग्रे नेवला (भारतीय), रूडी नेवला, कॉमन पाम सिवेट और ओरिएंटल सिवेट शामिल हैं। खुर वाले जन्तु वर्ग में मुख्य रूप से गौर, नीलगाय, सांभर, चीतल, भौंकने वाले हिरण, काला हिरण, चार सींग वाले मृग, चिंकारा, माउस डियर और हार्ड ग्राउंड बारासिंघा शामिल हैं।

वनस्पति में ओवरवुडः सागौन, साजा, महुआ, तेंदू, बीजा, तिनसा, सेमल, हल्दू, आदि अंडरवुडः आंवला, अमलतास, कुंभी, आदि झाड़ियां बेकल, करोंदा, झाउ, आदि घासः मॉरीशस घास (अप्लुडा मुटिका), ईस्ट इंडियन क्रैब घास (डिजिटेरियासेटिगेरा), ब्लैक स्पीयर घास (हेटेरोपोगोन कॉन्टोर्टस), जापानी लव घास (एराग्रोस्टिस्टेनेला), कंगारू घास (थीमेडा क्वाड्रिवाल्विस), ग्रीन फॉक्सटेल (सेटरिया ग्लौका), आदि और चिलती, माहुलबेल और पलासबेल जैसे लताएं शामिल हैं।

में कार्य करने के लिए पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। अब तक 9,437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के 30 पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों को अधिसूचित किया जा चुका है।

पन्ना टाइगर रिजर्व में विचरण करता बाघ

(स्रोतः लेखापरीक्षा दल द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान लिया गया चित्र)

1.2 विभागीय संरचना

शासन स्तर पर वन विभाग, मध्य प्रदेश के प्रमुख अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, वन होते हैं। **चार्ट 1.2** संगठनात्मक संरचना के विवरण को दर्शाता है। क्षेत्रीय संरचना में टाइगर रिजर्व का नेतृत्व क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यानों का संचालक और वन्यप्राणी अभयारण्यों का नेतृत्व वनमंडल अधिकारी करते हैं।

चार्ट 1.2: वन विभाग के वन्यप्राणी शाखा की संगठनात्मक संरचना

अपर मुख्य सचिव	शासन स्तर पर विभाग का प्रमुख
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)	विभाग स्तर पर विभाग का प्रमुख
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी	मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्य प्रदेश (प्रदेश के वन्यप्राणियों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी)

क्षेत्र संचालक (टाइगर रिजर्व का प्रबंधन)	संचालक (वन्यप्राणी वनमंडल के राष्ट्रीय उद्यानों का प्रबंधन)	वन मंडल अधिकारी (वनमंडल के अंतर्गत वन्यप्राणी अभयारण्यों का प्रबंधन)
• उप संचालक (सहायक क्षेत्र संचालक) • सहायक संचालक (उप वनमंडल प्रबंधन) • परिक्षेत्र अधिकारी (परिक्षेत्र स्तर) • उप परिक्षेत्र अधिकारी (वृत्त स्तर) • वन रक्षक (परिसर स्तर)	• सहायक संचालक (उप वनमंडल का प्रबंधन) • परिक्षेत्र अधिकारी (परिक्षेत्र स्तर) • उप परिक्षेत्र अधिकारी (वृत्त स्तर) • वन रक्षक (परिसर स्तर)	• उप वनमंडल अधिकारी (उप वनमंडल का प्रबंधन) • परिक्षेत्र अधिकारी (परिक्षेत्र स्तर) • उप परिक्षेत्र अधिकारी (वृत्त स्तर) • वन रक्षक (परिसर स्तर)

1.3 वन्यप्राणी संरक्षण और रहवास प्रबंधन के लिए वित्तीय व्यवस्था

वन्यप्राणियों के सुरक्षा, संरक्षण एवं वन्यप्राणी रहवासों के प्रबंधन के लिए निधि, राज्य के बजट, टाइगर रिजर्व/ राष्ट्रीय उद्यानों में विकास निधि और प्रतिपूरक वनीकरण निधि[8] के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। राज्य के बजट में राज्य निधि[9] के साथ–साथ केंद्र प्रवर्तित योजना 'वन्यप्राणी और रहवास का एकीकृत विकास/ बाघ परियोजना' के अंतर्गत प्राप्त धन शामिल है।

लेखापरीक्षा अवधि 2014–15 से 2018–19 के दौरान, केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत ₹ 633.32 करोड़ और चार राज्य योजनाओं के अंतर्गत ₹ 1,265.92 करोड़ खर्च किए गए, जैसा कि **परिशिष्ट 1.1** में वर्णित है। 2014–15 से 2018–19 के दौरान विकास निधि के अंतर्गत प्राप्तियों के विरूद्ध ₹ 198.10 करोड़ खर्च किए गए जबकि प्रतिपूरक वनीकरण निधि के अंतर्गत ₹ 163.23 करोड़ खर्च किए गए।

1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलित करने के उद्देश्य से की गई थी कि क्याः

- वन्यप्राणियों के संरक्षण और सुरक्षा के उपायों की योजना पर्याप्त रूप से बनाई गई और उन्हें लागू किया गया,
- वन्यप्राणी रहवास, पर्याप्त वन आवरण, रहवासों के समेकन, और सतत् रहवास प्रबंधन के लिए विकसित व प्रबंधित किए गए थे।

1.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

मध्य प्रदेश में 11[10] राष्ट्रीय उद्यानों और 24[11] वन्यप्राणी अभयारण्यों को अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त, छः टाइगर रिजर्व यथा, कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा और संजय टाइगर रिजर्व हैं। इसके अतिरिक्त, एक वनमंडल, अर्थात् कान्हा टाइगर रिजर्व (बफर जोन), कान्हा टाइगर रिजर्व का अधिसूचित बफर जोन[12] है। इनका प्रबंधन 22 प्रशासनिक इकाइयों के द्वारा किया जाता है जैसा कि **परिशिष्ट 1.2** में दिखाया गया है।

हमने 2014–15 से 2018–19 की अवधि (आगे 2014–19 के रूप में उल्लिखित) के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ वन्यप्राणी का कार्यालय (आगे प्रमुवसं/ वन्यप्राणी के रूप में उल्लिखित), और 13[13] वनमंडलों को सम्मिलित करते हुए 14 इकाईयों के अभिलेखों की समीक्षा की। चूंकि वन विभाग द्वारा वन अपराध के आंकड़ों की सांख्यिकी वार्षिक कैलेण्डरवार रखी जाती है, इसलिए 2014 से 2018 की अवधि (आगे 2014–18 के रूप में उल्लिखित) के लिए उनकी समीक्षा की गई। वनमंडलों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक

---

8 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत गैर–वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के मामलों में उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त की गई धनराशि।

9 'राष्ट्रीय उद्यान', 'जंगली जानवरों द्वारा मानव हताहतों के लिए क्षतिपूर्ति', 'गांवों के विस्थापन के लिए क्षतिपूर्ति', और 'संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन' योजनाओं के अंतर्गत निधि।

10 बांधवगढ़, डायनासोर जीवाश्म, घुघवा जीवाश्म, कान्हा, कूनो, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा, माधव और वन विहार।

11 बगदरा, बोरी, चंबल, गांधी सागर, गंगऊ, करैरा, केन घड़ियाल, खिवनी, नरसिंहगढ़, नौरादेही, ओरछा, पचमढ़ी, पनपथा, पेंच मोगली, फेन, रालामंडल, रातापानी, सैलाना, संजय दुबरी, सरदारपुर, सिघोरी, सोन चिड़िया, सोन घड़ियाल और वीरांगना दुर्गावती।

12 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 (फ) के अतर्गत अधिसूचित बफर जोन में टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर रहवास के परिधीय क्षेत्र शामिल हैं, जहां क्रिटिकल टाइगर रहवास की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कम मात्रा में रहवास संरक्षण की आवश्यकता होती है।

13 टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ (उमरिया), कान्हा (कोर और बफर) (मंडला), पन्ना (पन्ना), पेंच (सिवनी), संजय (सीधी) और सतपुड़ा (होशंगाबाद) व राष्ट्रीय उद्यान मंडलः कूनो, माधव और वन विहार सामान्य वनमंडल; देवास, नौरादेही और औबेदुल्लागंज।

नमूना चयन पद्धति के आधार पर किया गया। टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यानों के 100 प्रतिशत वनमंडलों का चयन किया गया, जबकि वन्यप्राणी अभयारण्यों का प्रबंधन करने वाले तीन वनमंडलों को यादृच्छिक आधार पर चुना गया। चयनित वनमंडल कुल छः[14] टाइगर रिजर्व (इन टाइगर रिजर्वों के छः राष्ट्रीय उद्यान और छः वन्यप्राणी अभयारण्य सहित), तीन[15] राष्ट्रीय उद्यान और अन्य नौ[16] वन्यप्राणी अभयारण्यों का प्रबंधन करते हैं। इस प्रकार, हमने कुल 24 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यप्राणी अभयारण्यों को लेखापरीक्षा में शामिल किया। टाइगर रिजर्व और संरक्षित क्षेत्रों का वनमंडलवार विवरण **परिशिष्ट 1.3** में दिखाया गया है।

हमने 11 दिसंबर 2019 को अपर मुख्य सचिव, वन विभाग के साथ लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कवरेज, नमूना आकार और लेखापरीक्षा पद्धति के बारे में चर्चा करने के लिए एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया। लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर चर्चा करने और उन पर शासन का अभिमत जानने के लिए 1 जुलाई 2021 को प्रमुख सचिव, वन विभाग के साथ एक निर्गम सम्मेलन आयोजित की गई। राज्य शासन ने अपने उत्तर (जुलाई एवं सितंबर 2021) में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को सामान्यतया स्वीकार किया तथा आश्वासन दिया कि त्वरित एवं उचित उपचारात्मक कार्यवाही प्रगति पर है।

मानचित्र–1.1: मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यप्राणी अभयारण्य वनमंडलों को दर्शाने वाला मानचित्र

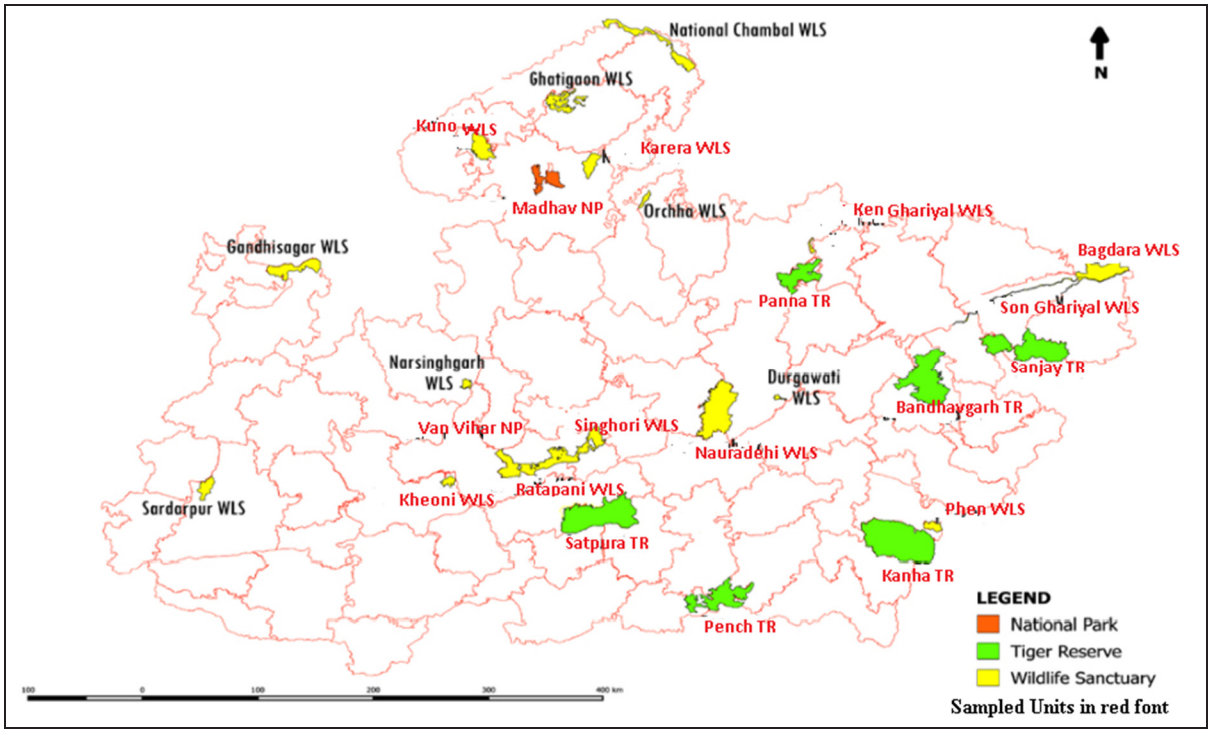

हमने संयुक्त निरीक्षण के दौरान, चिकित्सा सुविधाओं, सुरक्षात्मक उपकरणों के प्रावधान, मजदूरी के भुगतान में समयबद्धता इत्यादि के संबंध में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए गश्ती कार्य में लगे कर्मचारियों का

14 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पनपथा वन्यप्राणी अभयारण्य), कान्हा टाइगर रिजर्व (कान्हा राष्ट्रीय उद्यान), पन्ना टाइगर रिजर्व (पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और गंगऊ वन्यप्राणी अभयारण्य), पेंच टाइगर रिजर्व (पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पेंच मोगली वन्यप्राणी अभयारण्य), संजय टाइगर रिजर्व (संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय दुबरी वन्यप्राणी अभयारण्य) और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं बोरी और पचमढी वन्यप्राणी अभयारण्य)।

15 कूनो राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान।

16 बगदरा (सीधी), करैरा (शिवपुरी), केन घड़ियाल (पन्ना), खिवनी (देवास), नौरादेही (सागर), फेन (मंडला), रातापानी और सिंघौरी (औबेदुल्लागंज) और सोन घड़ियाल (सीधी)।

साक्षात्कार किया। हमने वन्यप्राणी और आवास प्रबंधन से संबंधित विषयों पर शोध पत्रों से भी जानकारी लिया।

1.6 लेखापरीक्षा मानदंड

हमने इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोतों के रूप में निम्नलिखित का उपयोग किया:

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972;
- भारतीय वन अधिनियम, 1927;
- प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016;
- द्वितीय राष्ट्रीय वन्यप्राणी कार्य योजना 2002–16;
- प्रबंध योजनाएं और बाघ संरक्षण योजनाएं;
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन्यजीव संस्थान और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा–निर्देश;
- मध्य प्रदेश शासन, मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के आदेश; तथा
- वन्यप्राणी प्रबंधन के मामलों पर शोध अध्ययन प्रतिवेदन।

1.7 पूर्व लेखापरीक्षा

वर्ष 2013–14 में 'टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की कार्यप्रणाली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य वन्यप्राणियों के सुरक्षा और संरक्षण के लिए योजना, वन्यप्राणी एवं उनके रहवास के संरक्षण के उपायों, वन्यप्राणी एवं उसके रहवास की सुरक्षा, और स्थानीय निवासियों के पर्यावरण विकास के लिए किए गए पहल पर विभाग के प्रदर्शन का आंकलन करना था। निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2015 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, संख्या 1 में प्रदर्शित की गई थी।

यह प्रतिवेदन लोक लेखा समिति के पास विचाराधीन है। यद्यपि, लोक लेखा समिति में केवल एक उप–कंडिका पर चर्चा की गई थी, तथापि, उस पर कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2021)। वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि 2015 के प्रतिवेदन में इंगित की गई कई कमियां अभी भी बनी हुई हैं, जैसा कि आगे के अध्यायों में बताया गया है।

1.8 अभिस्वीकृति

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्वितीय), मध्य प्रदेश, भोपाल निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्पादन के दौरान वन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा दिए गए सहयोग और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है।

अध्याय 2
वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं सुरक्षा और उनके रहवासों के प्रबंधन के लिए योजना

फोटो सौजन्य (ऊपर से, बाएं से दाएं):
बप्पी, संजय दत्त, संजय दत्त
शरीक खान, संजय दत्त, जगदीश गडा
संजय दत्त, संजय दत्त, बप्पी

अध्याय 2

वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं सुरक्षा और उनके रहवासों के प्रबंधन के लिए योजना

सारांश

सामयिक, व्यापक और रणनीतिक योजना, चाहे वार्षिक हो या लंबी अवधि (10 वर्ष) की, संरक्षित क्षेत्रों के सक्षम प्रबंधन का मूल अवयव है। दीर्घ अवधि की योजनाएं, जैसे कि बाघ संरक्षण योजनाएं और प्रबंध योजनाएं, सामान्य और साथ ही स्थल विशिष्ट मुद्दों पर केंद्रित रहती हैं, जो अपना प्रभाव दिखाने में अत्यधिक समय लेती है। दीर्घकालिक योजना महत्वपूर्ण मुद्दों पर से ध्यान न भटकने में भी सहायता करती है, तब भी जब वर्तमान वन अधिकारियों को अल्पकाल में ही बदल दिया जाता हो। लेखापरीक्षित छः टाइगर रिजर्व में से तीन, तीन राष्ट्रीय उद्यानों में से एक और 10 वन्यप्राणी अभयारण्यों में से छः में बाघ संरक्षण योजना/ प्रबंध योजना नहीं थी।

इन दीर्घकालिक योजनाओं को और छोटे भागों में वार्षिक कार्य योजना में विभाजित किया जाता है, जो त्वरित ध्यानाकर्षण योग्य छोटे मुद्दों पर केंद्रित होते हैं। हमने कुछ उदाहरणों में पाया कि तैयार की गई वार्षिक कार्य आयोजना का दीर्घकालिक योजनाओं में शामिल गतिविधियों के साथ सह–संबंध नहीं था।

अनुसंधान गतिविधियाँ, योजनाओं के लिए आधारभूत आगतों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक स्रोत हैं। हालांकि, बाघ संरक्षण योजनाएं/ प्रबंध योजनाएं जो कि रुचिकर विषयों की पहचान करती हैं, सार्वजनिक डोमेन पर स्वतंत्र रुप से उपलब्ध नहीं थी। हमने यह भी देखा कि समयबद्ध तरीके से शोध करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों अथवा शोधकर्ताओं के साथ कोई संस्थागत गठजोड़ नहीं था। दीर्घावधि योजनाओं में अनुसंधान के लिए प्रस्तावित 206 विषयों में से केवल दो का ही वास्तव में शोधकर्ताओं द्वारा चयन किया गया था। योजनाओं में उल्लिखित विषयों के अतिरिक्त अन्य 74 विषयों को, जो योजनाओं से बाहर थी, स्वतंत्र शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित किया गया था और जिन पर विभाग द्वारा अनुमति दी गई थी। तथापि, लिये गये इन 74 विषयों में से केवल नौ प्रतिवेदन ही विभाग के पास उपलब्ध थे।

2.1 योजनाएं महत्वपूर्ण क्यों हैं ?

दीर्घ अवधि में, वन्यप्राणियों और उनके रहवास के संरक्षण गतिविधियों में कई प्राधिकारियों के साथ–साथ स्थानीय लोग भी सम्मिलित होते हैं। यह दीर्घकालिक योजना को संरक्षित क्षेत्रों में लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण साधन बनाता है। इसके विपरीत, दीर्घकालिक योजनाओं का अभाव, संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

बॉक्स 2.1: लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दीर्घकालिक योजनायें आवश्यक होती हैं।

लेखापरीक्षा के द्वारा चयनित मध्य प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र, कुछ लुप्तप्राय प्रजातियों के निवास स्थान हैं जैसा कि तालिका 2.1 में वर्णित है।

तालिका 2.1 : लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण

क्र. सं.	संरक्षित क्षेत्र	विलुप्तप्राय प्रजाति	संरक्षण के प्रयासों की स्थिति
1	सोन घड़ियाल वन्यप्राणी अभयारण्य	घड़ियाल	संजय टाइगर रिजर्व में सोन नदी, घड़ियाल सहित जलीय जानवरों की विभिन्न प्रजातियों का रहवास है। तदनुसार, राज्य शासन ने मगरमच्छ और जलजीवन के संरक्षण के लिए सोन घड़ियाल वन्यप्राणी अभयारण्य को अधिसूचित किया। वर्ष 2008 में आयोजित एक गणना में सोन घड़ियाल वन्यप्राणी अभयारण्य में घड़ियालों की कुल संख्या 224 थी, जो फरवरी 2019 तक घटकर 45 हो गई थी। विभाग द्वारा 2019 में किए गए सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, घड़ियाल की घटती आबादी के मुख्य कारण, घड़ियाल की अपर्याप्त नर आबादी, नदी के किनारे अवैध उत्खनन और मछली पकड़ना जिससे घड़ियाल और मगर के घोंसलों के स्थान पर जैविक दबाव और उनके रहवासों का क्षरण हुआ और स्थानीय समुदाय और विभाग के बीच विश्वास की कमी थे। प्रबंधन ने नर घड़ियाल की कमी को पूरा नहीं किया। क्षेत्र संचालक ने हमें आश्वासन दिया कि जैविक दबाव को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, अपितु यह आश्वासन सर्वेक्षण प्रतिवेदनों द्वारा समर्थित नहीं था, जिसमें संख्या घटती हुई दिखाई गई थी।
2	कूनो राष्ट्रीय उद्यान	चित्तीदार बिल्ली	चित्तीदार बिल्ली को भारत के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अनुसूची–एक में सूचीबद्ध किया गया है और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर की लाल सूची (2008) में इसे 'असुरक्षित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चित्तीदार बिल्ली का फोटोग्राफिक अभिलेख दिसंबर 2012 में तैयार किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान ने इसके संरक्षण के लिए दीर्घकालिक योजना नहीं बनाई। संचालक ने हमें आश्वासन दिया कि आगामी प्रबंध योजना में एक संरक्षण योजना सम्मिलित की जाएगी।
3	कूनो राष्ट्रीय उद्यान	एशियाई शेर	वर्तमान में गिर राष्ट्रीय उद्यान विश्व में एशियाई शेरों का एकमात्र रहवास स्थान है। वन्यप्राणी जीववैज्ञानिकों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों ने इसके दीर्घकालिक संरक्षण के लिए दूसरे प्राकृतिक रहवास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। एशियाई शेरों को कूनो में स्थानांतरित करने हेतु स्थल बनाने के लिए, राज्य शासन ने कूनो के अंदर रहने वाले 24 राजस्व गांवों के लगभग 1,545 परिवारों का राष्ट्रीय उद्यान के बाहर पुनर्वास किया। इसी बीच, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने

क्र. सं.	संरक्षित क्षेत्र	विलुप्तप्राय प्रजाति	संरक्षण के प्रयासों की स्थिति
			अप्रैल 2013 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में तीव्र गति से एशियाई शेरों का पुर्नस्थापन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया। फरवरी 2019 तक समिति की छः बैठकें बुलाई गई थीं, फिर भी, एशियाई शेर को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकी। संचालक ने कहा (सितम्बर 2019) कि शासन स्तर पर इस मामले का समाधान किया जा रहा है।
4	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व	स्मूद कोटेड ऊदबिलाव	स्मूद कोटेड ऊदबिलाव, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लाल सूची में 'असुरक्षित' के रूप में सूचीबद्ध है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची–दो के अंतर्गत भारत में कानूनी रूप से संरक्षित है। इस प्रजाति को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पहले नहीं देखा गया था। फरवरी 2016 में टाइगर रिजर्व के बफर जोन में एक स्मूद कोटेड ऊदबिलाव को कैमरा ट्रैप में कैद किया गया था। एक प्रतिवेदन ने स्मूद कोटेड ऊदबिलाव के फैलाव के स्वरूप के गहण अध्ययन का सुझाव दिया। लेकिन प्रबंधन ने अध्ययन नहीं किया। क्षेत्र संचालक ने हमें बताया (अक्टूबर 2020) कि प्रतिवेदन में उल्लिखित स्मूद कोटेड ऊदबिलाव का दिखना एक संयोगमात्र था।
5	पेंच टाइगर रिजर्व	बारहसिंगा	पेंच टाइगर रिजर्व में बारहसिंगा की ऐतिहासिक उपस्थिति थी, किन्तु वर्तमान में एक भी नहीं है। पेंच एक गलियारे के माध्यम से कान्हा टाईगर रिजर्व से जुड़ा है, जहां वे बहुतायत में है। हालांकि, पेंच टाईगर रिजर्व ने बारहसिंगा की पुर्नस्थापना के लिए कोई योजना तैयार नहीं की। क्षेत्र संचालक ने कहा (सितम्बर 2019) कि विशेषज्ञों के परामर्श के बाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
6	करैरा वन्यप्राणी अभयारण्य	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड	भारत/ दुनिया में 150 से कम बची हुई सोन–चिड़िया एक अत्यधिक लुप्तप्राय पक्षी है (भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा वर्ष 2017–18 में किया गया सर्वेक्षण)। 2008–18 की अवधि के लिए करैरा वन्यप्राणी अभयारण्य की प्रबंध योजना ने स्वीकार किया कि अत्यधिक जैविक दबाव और काले हिरण की अत्यधिक आबादी ने सोन–चिड़िया के अंडों को नष्ट कर दिया, जिससे इनका स्थानिक विलुप्तीकरण हुआ। योजना के संदर्श सूची में (1) 45.33 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को सोन–चिड़िया के मूल प्राकृतिक रहवास के कोर क्षेत्र के रूप में विकास करना था। (2) 55.55 वर्ग किलोमीटर की शासकीय राजस्व भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित की जानी चाहिए। और (3) सोन–चिड़िया को पुनः वापस लाने और पर्यावरण पर्यटन

क्र. सं.	संरक्षित क्षेत्र	विलुप्तप्राय प्रजाति	संरक्षण के प्रयासों की स्थिति
			को बढ़ावा देना शामिल था। हालांकि, भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव राजस्व विभाग को नहीं भेजा गया था। प्रबंध योजना के उपचारात्मक उपाय प्रारंभ नहीं किए जा सके। संचालक ने बताया (दिसंबर 2019) कि सोन–चिड़िया 1994 से वन्यप्राणी अभयारण्य में नहीं देखी गयी थी और सरकारी स्तर पर अधिसूचना रद्द करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितम्बर 2021)।

2.2 योजनाओं की उपलब्धता

प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र और टाइगर रिजर्व की वैज्ञानिक और पारिस्थितिक आंकड़ों पर आधारित अपनी योजना होनी चाहिए[17]। प्रत्येक टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बाघ संरक्षण योजना होना भी वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत एक विधिक आवश्यकता है। इसके अलावा, ईको संवेदी क्षेत्र अर्थात अधिसूचित परिधीय क्षेत्र जो संरक्षित क्षेत्र के दो किलोमीटर की परिधि में आते हैं एवं टाइगर रिजर्व के मामले में टाइगर रिजर्व के पूरे बफर क्षेत्र हेतु एक जोनल मास्टर प्लान अनिवार्यतः होना चाहिए। वार्षिक कार्य योजनाएँ, जो भारत सरकार से निधियों की माँग करने का आधार होती है एवं जिस पर उच्च अनुपालना हुई, बाघ संरक्षण योजनाओं और प्रबंध योजना के आधार पर तैयार की जाती है। नीचे दी गई **तालिका 2.2** में योजना के प्रावधानों का सारांश दिया गया है:

तालिका 2.2: योजना की आवश्यकताएँ

क्र. सं.	योजना का नाम	के लिए	आवधिकता (वर्ष)	स्वीकृति दाता प्राधिकारी	प्रावधान
1	बाघ संरक्षण योजना	टाइगर रिजर्व	10	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण	वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 (फ)
2	प्रबंध योजना	वन्यप्राणी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान	10	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)	वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 33
3	जोनल मास्टर प्लान	ईको–संवेदी क्षेत्र	---	राज्य शासन	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ईको संवेदी क्षेत्रों की अधिसूचनाएं
4	वार्षिक कार्य आयोजना	भारत सरकार से धन की मांग	एक वर्ष	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	'केंद्र प्रवर्तित योजनाओं' पर दिशा–निर्देश

बाघ संरक्षण योजनाओं और प्रबंध योजनाओं को पिछली योजना अवधि की समाप्ति से पहले तैयार कर अनुमोदित कराने की आवश्यकता होती है। इससे संबंधित कार्य, संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधकों को सौंपा जाता है। योजनाओं के घटक **तालिका 2.3** में हैं:

तालिका 2.3: योजना के घटक

घटक	दृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्य और समस्याएं, प्रबंधन रणनीति, अनुसंधान निगरानी और प्रशिक्षण, बाघों की आबादी और रहवास मूल्यांकन, संरक्षण और खुफिया जानकारी एकत्र करना, ईको पर्यटन और व्याख्या, संगठन, प्रशासन और बजट, निगरानी और मूल्यांकन

[17] जैसा कि द्वितीय राष्ट्रीय वन्यप्राणी कार्य योजना, 2002–16 में प्रावधान किया गया।

2.2.1 बाघ संरक्षण योजना

कोर और बफर क्षेत्रों के लिए दिशा–निर्देशों[18] के आधार पर अलग–अलग बाघ संरक्षण योजनाएँ तैयार की जानी हैं। कोर क्षेत्र को अक्षुण्य रखने की आवश्यकता होती है, जबकि कोर के परिधीय बफर क्षेत्र का उद्देश्य वन्यप्राणी और मानव गतिविधि के बीच सह–अस्तित्व को बढ़ावा देना है। लेखापरीक्षा अवधि 2014–19 के दौरान छः टाइगर रिजर्व में अनुमोदित योजनाओं की स्थिति **तालिका 2.4** में दर्शायी गयी है। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, छः टाइगर रिजर्व में से तीन में अनुमोदिन बाघ संरक्षण योजनाएं थी।

तालिका 2.4: स्वीकृत योजनाओं की स्थिति

क्र. सं.	टाइगर रिज़र्व	अधिसूचना की तिथि	स्वीकृत बाघ संरक्षण योजना की अवधि	टिप्पणियां
1	कान्हा (कोर)	दिसंबर 2007	2011–12 से 2020–21	उपलब्ध
	कान्हा (बफर)	अक्टूबर 2010	2011–12 से 2020–21	उपलब्ध
2	पन्ना (कोर)	दिसंबर 2007	निरंक	12 साल पहले पन्ना (कोर) की अधिसूचना के बाद से पहली बाघ संरक्षण योजना को जून 2019 में स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को भेजा गया था। मार्च 2021 की स्थिति में अनुमोदित किया जाना शेष था।
	पन्ना (बफर)	जुलाई 2014		बफर क्षेत्र के लिए बाघ संरक्षण योजना मार्च 2021 में भेजी गई।
3	पेंच (कोर)	दिसंबर 2007	2008–09 से 2017–18	2018–19 से आगे के लिए कोई बाघ संरक्षण योजना तैयार नहीं की गई है।
	पेंच (बफर)	अक्टूबर 2010	2015–16 से 2024–25	उपलब्ध, 2010 में पेंच (बफर) की अधिसूचना के बाद से पहली बाघ संरक्षण योजना, 2015–16 में अनुमोदित।
4	संजय (कोर)	फरवरी 2011	निरंक	फरवरी 2011 में संजय (कोर) और मई 2014 में संजय (बफर) की अधिसूचना के बाद से पहली बाघ संरक्षण योजना, नवंबर 2019 में अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को भेजी गई। सितंबर 2020 की स्थिति में अनुमोदित बताई गई।
	संजय (बफर)	मई 2014		
5	सतपुड़ा (कोर)	दिसंबर 2007	2015–16 से 2024–25	उपलब्ध
	सतपुड़ा (बफर)	जनवरी 2011	2015–16 से 2024–25	उपलब्ध
6	बांधवगढ़ (कोर)	दिसंबर 2007	निरंक	2007 और 2010 में क्रमशः कोर और बफर की अधिसूचना के बाद से पहली बाघ संरक्षण योजना, 2015 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को भेजी गई थी। अगस्त 2020 की स्थिति में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना शेष था।
	बांधवगढ़ (बफर)	अक्टूबर 2010		

(स्रोत: वन विभाग)

[18] तकनीकी दस्तावेजः राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण/01/07, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अप्रैल 2014 में एक पूरक दिशानिर्देश भी जारी किया गया था।

इस प्रकार, वनमंडलों में की जाने वाली गतिविधियाँ योजनाओं के अभाव में तदर्थ प्रकृति की थीं, अर्थात वे दीर्घकालिक वैज्ञानिक योजना, पूर्ण करने की समय–सीमा और उचित रूप से पहचाने गए लक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं थीं। निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुवसं/ वन्यप्राणी ने हमें आश्वासन दिया (जुलाई 2021) कि विभाग समय सीमा तय करने सहित योजनाओं की तैयारी की समीक्षा कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि तीन बाघ संरक्षण योजनाएं, यथा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और संजय टाइगर रिजर्व तैयार हो रहे थे।

बॉक्स 2.2: बाघ संरक्षण योजनाओं का महत्व – बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 1,536.938 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और यहां बाघों की आबादी 104 है (टाइगर की स्थिति, रिपोर्ट 2018)। 2014–18 की अवधि के दौरान बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में 65 प्रतिशत की वृद्धि ने इसे बाघ संरक्षण में सफलता की कहानियों में से एक बना दिया है। यद्यपि, हमने देखा कि बांधवगढ़ में भी बाघों की आपसी लड़ाई/ मांसभक्षण के कारण बाघों की मौत के 12 मामले दर्ज किए गए थे। राज्य में मानव–वन्यप्राणी संघर्ष के कुल मामलों का 50 प्रतिशत बांधवगढ़ में घटित हुआ। बाघ संरक्षण योजना के अभाव में, आपसी लड़ाई को कम करने के लिए बाघों की आबादी के बढ़ते घनत्व के स्थानिक वितरण का आकलन करने के उपायों के साथ–साथ शमन उपायों, जैसे कि चेन–लिंक फेंसिंग और निगरानी टॉवर का निर्माण, गश्ती, इत्यादि को अपेक्षित ध्यान प्राप्त नहीं हुआ।

पूर्व में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगलों में कोई जंगली हाथी नहीं था। हालांकि, 2018 के बाद से, कुछ जंगली हाथियों ने रिजर्व में प्रवेश किया है और अब वहां वास कर रहे हैं। इन हाथियों ने स्थानीय गांवों में कृषि फसलों को नुकसान पहुंचाया है और गश्ती शिविरों को भी नुकसान पहुंचाया है।

बांधवगढ़ प्रबंधन ने इस नए प्रगति से क्षेत्रीय कर्मियों और ग्रामीणों को जागरूक बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। हालांकि, टाइगर रिजर्व में हाथियों के लिए बेहतर गलियारा संपर्क सूत्र के उपाय या चलायमान हाथी जनसंख्या की व्यवहार्यता के लिए प्रबंधन दिशानिर्देश तैयार करने की योजना नहीं बनाई गई थी।

क्षेत्र संचालक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने बताया (अक्टूबर 2020) कि जंगली हाथियों के प्रबंधन के लिए 'हाथी परियोजना' के माध्यम से धन प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन योजना के अभाव में इन उपायों को प्राथमिकता नहीं दी जा सकी थी।

2.2.2 प्रबंध योजनाएं

तेरह राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यप्राणी अभयारण्यों में से छः[19] में प्रबंध योजनाएं उपलब्ध थीं। छः में लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान मौजूदा योजनाओं की समाप्ति के बाद कोई योजना तैयार नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा की पूरी अवधि के दौरान गंगऊ वन्यप्राणी अभयारण्य की कोई योजना नहीं थी। **तालिका 2.5** लेखापरीक्षित इकाइयों में अनुमोदित योजनाओं की स्थिति का विवरण उल्लेखित है:

[19] खिवनी वन्यप्राणी अभयारण्य, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, फेन वन्यप्राणी अभयारण्य, सिंघोरी वन्यप्राणी अभयारण्य, सोन घड़ियाल वन्यप्राणी अभयारण्य और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान।

तालिका 2.5: लेखापरीक्षित इकाइयों में प्रबंध योजनाओं की स्थिति

क्र. सं.	राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य	योजना की अवधि	टिप्पणियां
1	फेन वन्यप्राणी अभयारण्य	2011–12 से 2020–21	उपलब्ध
2	केन घडियाल वन्यप्राणी अभयारण्य	2007–08 से 2016–17	पिछली योजना की समाप्ति के बाद 2017–18 से दो साल के लिए कोई योजना नहीं।
3	गंगऊ वन्यप्राणी अभयारण्य	पिछली योजना: 2006–12 की समाप्ति के बाद कोई योजना नहीं	2012–13 से कोई योजना नहीं।
4	बगदरा वन्यप्राणी अभयारण्य	2017–18 से 2026–27	अधिकांश लेखापरीक्षा अवधि अर्थात 2014–15 से 2016–17 के लिए कोई प्रबंध योजना नहीं।
5	सोन घड़ियाल वन्यप्राणी अभयारण्य	2008–09 से 2018–19	उपलब्ध
6	माधव राष्ट्रीय उद्यान	2007–08 से 2016–17	पिछली योजना की समाप्ति के बाद 2017–18 से 2018–19 तक दो वर्षों के लिए कोई प्रबंध योजना नहीं।
7	करैरा वन्यप्राणी अभयारण्य	2008–09 से 2017–18	पिछली योजना की समाप्ति के बाद एक वर्ष (2018–19) के लिए कोई प्रबंध योजना नहीं।
8	कूनो राष्ट्रीय उद्यान	2010–11 से 2019–20	उपलब्ध
9	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	2012–13 से 2021–22	उपलब्ध
10	नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य	2007–08 से 2016–17	पिछली योजना की समाप्ति के बाद 2017–18 से दो साल के लिए कोई योजना नहीं।
11	रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य	2008–09 से 2017–18	पिछली योजना की समाप्ति के बाद एक वर्ष (2018–19) के लिए कोई प्रबंध योजना नहीं।
12	सिंघोरी वन्यप्राणी अभयारण्य	2012–13 से 2021–22	उपलब्ध
13	खिवनी वन्यप्राणी अभयारण्य	2007–08 से 2019–20	उपलब्ध

(स्रोत: वन विभाग)

प्रमुवसं/ वन्यप्राणी ने हमें आश्वासन दिया (अगस्त 2019) कि क्षेत्रीय अधिकारियों से प्रतिवेदन मांगे जाएंगे और देरी के कारणों की जांच की जाएगी।

हमने देखा कि योजनाओं को समय पर तैयार करना सुनिश्चित करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं था। इस कार्य के लिए न ही कोई समर्पित कर्मचारी थे और न ही इस कार्य के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई थी। जबकि वनमंडल पहले से ही विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे थे, परिक्षेत्र अधिकारियों के स्तर पर 41 प्रतिशत की कमी और उप वनपरिक्षेत्र अधिकारियों के स्तर पर 52 प्रतिशत की कमी (कंडिका 3.5.2.1 देखें) ने उनके लिए बाघ संरक्षण योजना/ प्रबंध योजना तैयार करने के लिए समय निकालने को और अधिक कठिन बना दिया।

बॉक्स 2.3: समर्पित कर्मियों का महत्व

वन क्षेत्रों (संरक्षित क्षेत्रों के अलावा) का प्रशासन करने वाले क्षेत्रीय वनमंडल, वन संवर्द्धन संबधी कार्यो के क्रियान्वयन हेतु दस साल की अवधि के लिए कार्य आयोजना तैयार करते हैं, अर्थात पेड़ लगाने एवं उनकी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए। ये कार्य आयोजनाएं, भारत सरकार से कटाई के लिए अनुमोदन का आधार बनाती हैं। हमने देखा कि ऐसी कार्य आयोजनाओं को तैयार करने के लिए प्रत्येक वृत्त में राज्य स्तर पर प्रमुवसं/ कार्य आयोजना के नेतृत्व में एक समर्पित टीम है। यह योजनाओं को समय पर तैयार किया जाना सुनिश्चित करता है।

2.2.3 आंचलिक महायोजना

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986[20] के अनुसार संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्र की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें पारिस्थितिक रूप से भंगुर घोषित किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों को भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के प्रस्तावों[21] के आधार पर ईको संवेदी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाना है, ये क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में पारगमन क्षेत्र के रूप में भी कार्य करेंगे। संबंधित राज्यों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव/ प्रारूप अधिसूचना के आधार पर, ऐसे क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यप्राणी अभयारण्यों के आसपास दो किलोमीटर के दायरे में आते हैं, एवं टाइगर रिजर्व के मामले में पूरे बफर क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा ईको संवेदी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाना है।

हमने पाया कि राज्य शासन ने मध्य प्रदेश में कुल 35 ईको–संवेदी क्षेत्रों की पहचान की थी, जिनमें से दिसंबर 2016 और मार्च 2021 के मध्य 9,437.53 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ईको संवेदी क्षेत्र के रूप में जोड़ते हुए 30 ईको संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया था। अधिसूचित 30 ईको संवेदी क्षेत्रों में से 23 में अभी तक दो वर्ष की निर्धारित अवधि के अंदर आंचलिक महायोजना तैयार नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा में नमूने में लिए गए 24 संरक्षित क्षेत्रों में से 21[22] संरक्षित क्षेत्रों में कुल 6,967.15 वर्ग किलोमीटर. क्षेत्र, ईको संवेदी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया था । इन ईको संवेदी क्षेत्र में से चार[23] को हाल ही में नवंबर 2019 और मार्च 2021 के बीच ही अधिसूचित किया गया था। हमने देखा कि ईको संवेदी क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले क्षेत्र मुख्य रूप से टाइगर रिजर्व के आसपास के बफर क्षेत्र थे। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना टाइगर रिजर्व और गंगऊ वन्यप्राणी अभयारण्य के लिए प्रारंभिक अधिसूचना भी जारी नहीं की गई (जनवरी 2021)।

ईको–संवेदी क्षेत्रों के संबंध में, राज्य शासन को स्थानीय लोगों के परामर्श से अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से दो साल की अवधि के भीतर एक आंचलिक महायोजना[24] तैयार और अनुमोदित करना होता है। आंचलिक महायोजना में कई प्राधिकरण, पर्यावरण विभाग, वन और वन्यप्राणी, कृषि, राजस्व, शहरी विकास, पर्यटन, पंचायती राज और लोक निर्माण जैसे राज्य के विभाग सम्मिलित होते हैं। इसलिए, यह एक समय लेने वाला काम है। चयनित वनमंडलों में 21 अधिसूचित ईको–संवेदी क्षेत्रों के संबंध में कोई

---

20 द्वितीय राष्ट्रीय वन्यप्राणी कार्य योजना (2002–16) के परिच्छेद 3 (6) के अनुसार केंद्र सरकार को उप–धारा (1) खंड (पांच) और उप–धारा (2) के खंड (चार) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप–धारा (3) जिसे पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 की उप–धारा (3) के साथ पढ़ा जाए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संबंध में फरवरी 2011 और सितंबर 2014 में निर्देश जारी किए थे।

21 पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशों (फरवरी 2011) के अनुसार, मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, एक पारिस्थितिकीविद्, और स्थानीय स्वशासन और राजस्व विभागों के एक–एक अधिकारी वाली एक समिति, संरक्षित क्षेत्रों के लिए पारिस्थितक संवेदी क्षेत्र का विस्तार, आघात अवशोषक के रूप में कार्य करने के लिए ऐसे क्षेत्र की आवश्यकताएं, क्षेत्र के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम विधि और क्षेत्र के लिए महायोजना में व्यापक विषयवस्तु आधारित विषयगत गतिविधियों को शामिल किया जाने सम्बन्धी सुझाव देगी। मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक इन गतिविधियों को प्रतिषेध, प्रतिबंधित और अनुमेय गतिविधियों की श्रेणियों में वर्गीकृत करेंगे एवं आगे की प्रक्रिया और अधिसूचना के लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अंतिम प्रस्ताव भेजेंगे।

22 बगदरा, बांधवगढ़, बोरी, कान्हा, करैरा, केन घड़ियाल, खिवनी, माधव, नौरादेही, पचमढ़ी, पनपथा, पेंच और पेंच मोगली, फेन, रातापानी, सिंघोरी, संजय, संजय डुबरी, सतपुड़ा, सोन घड़ियाल और वन विहार।

23 पेंच और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच मोगली और फेन वन्यप्राणी अभयारण्य।

24 आंचलिक महायोजना में खंडित क्षेत्रों का पुनरूद्धार, मौजूदा जल निकायों का संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्रों का प्रबंधन, भू–जल प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण और ईको–संवेदी क्षेत्रों में विकास के नियमन का प्रावधान होगा, जिससे स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा हेतु पर्यावरण के अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके।

आंचलिक महायोजना तैयार नहीं की गई थी और इन 21 आंचलिक महायोजनाओं में से 17 अपनी निर्धारित अवधि से दो साल से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी नहीं बनाई गई थी।

इन कमियों के कारण, ईको–संवेदी क्षेत्रों की अधिसूचना में परिकल्पित गतिविधियों के निषेध एवं विनियमन को लागू नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, प्रमुवसं/ वन्यप्राणी ने कहा (जुलाई 2021) कि ईको संवेदी क्षेत्र की प्रारूप अधिसूचनाएं अनुमोदन के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत की गई हैं और अधिसूचित ईको संवेदी क्षेत्रो के लिए आंचलिक महायोजना तैयारी के उन्नत चरणों में हैं। इन्हें अगले चार से पांच महीनों के भीतर राज्य शासन द्वारा अनुमोदित किए जाने की संभावना है।

विलम्ब होने के कारण ईको–संवेदी क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों का निषेध/ विनियमन नहीं किया जा सका और संरक्षण गतिविधियों को ठीक से लागू नहीं किया जा सका।

बॉक्स 2.4: योजना बनाने का प्रकरण: अंतर्राज्यीय समन्वय

पेंच, कान्हा और संजय टाइगर रिजर्व, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और बगदरा वन्यप्राणी अभयारण्य विभिन्न रूप से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ सीमाएं साझा करते हैं। पेंच और कान्हा टाइगर रिजर्व की सुरक्षा योजनाओं ने निकटवर्ती राज्यों के अपराधियों से उत्पन्न खतरों को पहचानना और उपयुक्त प्रति–उपायों जैसे संयुक्त गश्ती, खुफिया जानकारी साझा करना, सार्वजनिक स्थानों और सीमाओं के पास के बाजारों की निगरानी आदि को सुनिश्चित किया। कान्हा कोर टाइगर रिजर्व की पूर्वी सीमा, बफर जोन से घिरी नहीं है क्योंकि यह छत्तीसगढ़ राज्य के कवर्धा जिले में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व की बाघ संरक्षण योजना के अनुसार पार्क प्रबंधन और कवर्धा वनमंडल संयुक्त रूप से गश्ती करेंगे और इस उद्देश्य के लिए बेहतर समन्वय हेतु जानकारी साझा करेंगे, जिसके लिए वार्षिक रोस्टर भी तैयार किए गए थे।

बगदरा वन्यप्राणी अभयारण्य में ये उपाय इस तथ्य के बावजूद भी अनुपस्थित थे कि निकटवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रों को अवैध शिकार और चराई के लिए संवेदनशील माना गया था। संजय टाइगर रिजर्व और कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भी संयुक्त गश्ती अनुपस्थित थी। पेंच टाइगर रिजर्व की बाघ संरक्षण योजना में बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की आवधिक संयुक्त निगरानी और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की निगरानी की परिकल्पना की गई थी। यद्यपि इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संस्थागत क्रियाविधि का अभाव था।

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितम्बर 2021)।

गलियारों का प्रबंधन

रहवासों का संयोजन, जानवरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के अलावा, कोर क्षेत्रों से फैलने वाली आबादी के लिए शरणस्थल के रूप में भी काम करते हैं। बाघ संरक्षण योजना के साथ–साथ गलियारों के प्रबंधन के लिए एक सांकेतिक योजना तैयार की जाए, जिसे मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा क्रियान्वित किया जाना है।

वर्ष 2014 से 2018 के मध्य, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 308 से बढ़कर 526 हो गई अर्थात् 71 प्रतिशत बढ़ गई, जो देश के किसी भी राज्य से ज्यादा थी। इस प्रकार, नए क्षेत्रों में बाघों और वन्यप्राणियों के सुरक्षित फैलाव की और अधिक आवश्यकता थी।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यप्राणी संस्थान ने 2014 में आनुवंशिक विविधता बनाए रखने और युवा बाघों के लिए फैलाव प्रदान करने के लिए एक ओर मध्य प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों के मध्य

और दूसरी ओर मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान के मध्य बाघ गलियारों की पहचान की। उनमें से सात लेखापरीक्षित वनमंडलों से संबंधित हैं, जैसा कि नीचे **तालिका 2.6** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.6: भारतीय वन्यप्राणी संस्थान के अनुसार राज्य में वन्यप्राणी गलियारे

क्र. सं.	गलियारा	संरक्षित क्षेत्र	शामिल राज्य
1	कान्हा–पेंच	कान्हा टाइगर रिजर्व–पेंच टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश
2	कान्हा – नवेगांव–नागजीरा–ताडोबा–इंद्रावती	कान्हा टाइगर रिजर्व, भोरमदेव वन्यप्राणी अभयारण्य, नवेगांव–नागजीरा टाइगर रिजर्व, ताडोबा–अंधारी टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश (अब तेलंगाना)
3	कान्हा–अचानकमार	कान्हा टाइगर रिजर्व, फेन वन्यप्राणी अभयारण्य, अचानकमार टाइगर रिजर्व, भोरमदेव वन्यप्राणी अभयारण्य	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
4	पेंच–सतपुड़ा–मेलघाट	पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र
5	रणथंभौर–कूनो–माधव	रणथंभौर टाइगर रिजर्व, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान	मध्य प्रदेश और राजस्थान
6	बांधवगढ़–संजय–दुबरी–गुरु घासीदास	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
7	बांधवगढ़–अचानकमार	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, अचानकमार टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़

(स्रोतः भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा बाघ गलियारा प्रतिवेदन 2014)

चयनित वनमंडलों में 2014–2018 के दौरान 80 बाघों के मृत्यु के प्रकरणों में से 40, जो कुल का 50 प्रतिशत था, अंतर्कलह एवं मांसभक्षण के कारण थे जैसा कि पैराग्राफ 3.1.1 में उल्लिखित है। यह अत्यधिक संभावित है कि ऐसा, कोर क्षेत्रों में उनकी बढ़ रही आबादी की गतिशीलता के लिए उपलब्ध अवसर में कमी के कारण था। राज्य में वन्य प्राणियों की संख्या में और वृद्धि करने के लिए काफी मात्रा में और पर्याप्त रूप से प्रबंधित गलियारे, जीन प्रवाह के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

वन्यप्राणी संरक्षण में इन सभी गलियारों का महत्व और वन विभाग के प्रबंधन प्रयास **परिशिष्ट 2.1** में दिये गये हैं।

उत्तर में बांधवगढ़, पेंच एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालकों ने बताया कि गलियारों का प्रबंधन संबंधित क्षेत्रीय वनमंडलों द्वारा किया जा रहा है। पेंच टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक ने आगे कहा कि गलियारों के लिए सांकेतिक योजना को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक ने कहा कि वर्ष 2019–20 के दौरान संरक्षण कार्यों के लिए क्षेत्रीय वनमंडलों को धनराशि प्रदान की गई थी, जबकि क्षेत्र संचालक, संजय टाइगर रिजर्व ने कहा कि प्रमुवसं/ वन्यप्राणी के निर्देशों के अनुसार योजना तैयार कर कार्यान्वित की जायेगी। संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान ने बताया कि 10 वर्ष की अवधि के लिए एक योजना प्रमुवसं/ वन्यप्राणी को भेजी गई थी (2005), जिसे अनुमोदित नहीं किया गया था।

राज्य में महत्वपूर्ण गलियारों का प्रबंधन संबंधित क्षेत्रीय वनमंडलो द्वारा किया जा रहा था, जिसका मुख्य उद्देश्य सिल्वीकल्चर[25] गतिविधियां थी। हमें सांकेतिक योजनाओं के क्रियान्वयन पर क्षेत्रीय वनमंडलों के साथ टाईगर रिजर्व के घनिष्ठ समन्वय का प्रमाण नहीं मिला।

[25] वृक्षों का उगाना और उनकी खेती।

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितम्बर 2021)।

2.2.4 योजनाओं में सम्मिलित तत्व

संरक्षित क्षेत्रों के लिए प्रबंध योजनाओं को तैयार करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कोई मानक प्रारूप नहीं है। यद्यपि, भारतीय वन्यजीव संस्थान के श्री वी.बी. सावरकर ने वर्ष 2002 में व्यापक प्रबंध योजना के सभी संभावित तत्वों को दृष्टिगत रखते हुए एक प्रारूप तैयार किया था। यद्यपि इसके अनुपालन के संबंध में इसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है और यह केवल परामर्शकारी प्रवृत्ति का है, देश भर में कई संरक्षित क्षेत्र इसका पालन करते हैं। बाघ और हाथी की बहुतायतः तथा वनस्पतियों एवं वन्यप्राणियों से समृद्ध कर्नाटक जैसे राज्य काफी हद तक इसका अनुपालन करते हैं। जबकि, नौरादेही वन्यप्राणी वनमंडल जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर, मध्य प्रदेश में अन्य संरक्षित क्षेत्र अपनी प्रबंध योजना तैयार करने के लिए सावरकर–दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया।

हमने देखा कि प्रबंध योजनाओं में योजना के सभी पहलुओं को व्यापक रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था **(परिशिष्ट 2.2)**। मुख्य विषय जिनका योजनाओं में उल्लेख नहीं किया गया, वे **तालिका 2.7** में दर्शाए गए हैं:

तालिका 2.7: आयोजना के विषय जो प्रबंध योजनाओं में सम्मिलित नहीं हैं

क्र. सं.	विषय–वस्तु	संरक्षित क्षेत्र का नाम
1	शोध क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई थी	रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान
2	बजट आवश्यकताओं का आंकलन नहीं किया गया	रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य, कूनो राष्ट्रीय उद्यान
3	गश्ती एवं उनकी निगरानी की विस्तृत योजना निर्धारित नहीं थी	रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य एवं करैरा वन्यप्राणी अभयारण्य
4	अन्य निकटवर्ती संरक्षित क्षेत्रों के साथ विद्यमान बाघ गलियारे के प्रबंधन की योजना नहीं थी।	माधव राष्ट्रीय उद्यान और नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य
5	पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव पर चर्चा नहीं की गई	लेखापरीक्षित संरक्षित क्षेत्रों की किसी भी प्रबंध योजना में चर्चा नहीं की गई
6	आनुवांशिक बदलाव की संभावना को कम करने के उपाय	लेखापरीक्षित संरक्षित क्षेत्रों की किसी भी प्रबंध योजना में चर्चा नहीं की गई

2.3 अनुसंधान

प्रबंध योजनाएं और बाघ संरक्षण योजनाएं संरक्षण प्रयासों के प्रभाव का आंकलन करने के लिए मूलभूत आंकड़ो की समीक्षा का प्रावधान करती हैं।

बॉक्स 2.5: योजना के संदर्भ में शोध निष्कर्ष

वर्ष 2019 में सोन घड़ियाल वन्यप्राणी अभयारण्य के संबंध में हुए एक अध्ययन ने घड़ियाल के संरक्षण में आ रही समस्याओं को रेखांकित किया (जैसे कि नर घड़ियाल की अपर्याप्त आबादी)। अध्ययन रिपोर्ट के निष्कर्षों और सुझावों को 2020–21 से 2029–30 की अवधि के लिए अभयारण्य की प्रबंध योजना में सम्मिलित किया गया था।

अनुसंधान गतिविधियाँ ऐसे आंकड़ो के स्रोत हैं एवं योजनाओं का महत्वपूर्ण अंग है। व्यवहारिक अनुसंधान संरक्षित क्षेत्रों में विशिष्ट प्रबंधन समस्याओं को दूर करने में मदद करता है[26]।

यहां तक कि जब योजनाओं में अनुसंधान विषयों की पहचान की गई तब भी हमारी लेखापरीक्षा ने दिखाया कि इस तरह के शोध को संचालित करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं था। हमने समयबद्ध तरीके से शोध करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों या शोधकर्ताओं के साथ संस्थागत गठजोड़ किया जाना अभिलेखों में नहीं पाया। अनुसंधान गतिविधियों को विकास निधि (प्रवेश शुल्क प्राप्ति) द्वारा वित्त पोषित करने की अनुमति है, लेकिन हमने पाया कि इसका उपयोग केवल पेंच टाइगर रिजर्व में किया गया था (बॉक्स 2.7 देखें)। इसके अलावा प्रबंधन, अनुसंधान के लिए वार्षिक कार्य योजना में मांगों को रख सकता है। केवल तीन टाइगर रिजर्व पन्ना, संजय और कान्हा ने अनुसंधान के लिए 2014–15 और 2017–18 में धनराशि (₹ 1.12 करोड़) स्वीकृत की। जारी की गई राशि का उपयोग नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप कान्हा में 96.6 प्रतिशत की बचत हुई और अन्य दो टाइगर रिजर्व में 100 प्रतिशत बचत हुई।

बॉक्स 2.6: महत्वपूर्ण शोध नहीं किया गया

कान्हा टाइगर रिजर्व 2011–21 की बाघ संरक्षण योजना में अवैध शिकार, के संबंध में एक अनुसंधान का क्षेत्र 'कार्यप्रणाली, परिमाण, अपराध खुफिया और नेटवर्किंग' था। यह अनुसंधान नहीं किया गया था। 2014–18 के दौरान राज्य में बाघों एवं तेंदुओं के अवैध शिकार एवं जब्ती के 102 मामलों के साथ अवैध शिकार, एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस प्रतिवेदन का परिच्छेद 3.1.1 अवैध शिकार को संदर्भित करता है।

हमने देखा कि प्रबंध योजनाएं और बाघ संरक्षण योजनाएं औपचारिक अधिसूचना के माध्यम से या उनकी वेबसाइटों के माध्यम से जनता के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं हैं (यद्यपि यह वर्गीकृत जानकारी नहीं है)। परिणामस्वरूप, जो लोग विभाग के व्यक्तिगत संपर्क में रहेंगे या जो इन योजनाओं की तैयारी की सूक्ष्म रूप से निगरानी करेंगे, वे उनमें शोध के लिए प्रस्तावित विषयों को जान पाएंगे। तीन बाघ संरक्षण योजनाओं[27] में प्रस्तावित 178 विषयों और दो[28] संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंध योजना में 28 विषयों में से केवल दो विषयों में शोध का चयन किया गया था, वह भी केवल पेंच टाइगर रिजर्व में।

अनुसंधान की वैकल्पिक धारा शोधकर्ताओं के माध्यम से है जो स्वयं शोधकर्ताओं द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए आवश्यक अनुमति के लिए प्रबंधन से संपर्क करते हैं। ऐसे अनुरोधों को अक्सर प्रमुवसं/ वन्यप्राणी द्वारा इस शर्त के अंतर्गत अनुमति दी जाती है कि अनुसंधान के निष्कर्षों (अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट) को वन विभाग के साथ साझा किया जाएगा। जैसा कि हमने देखा, ऐसे 74 विषयों को शोधकर्ताओं द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रस्तावित किया गया था और विभाग द्वारा किए जाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन इन अनुमतियों में शोध पूरा करने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं थी। विभाग के पास अनुसंधान की स्थिति को पता करने या यह सुनिश्चित करने के लिए भी कोई तंत्र नहीं है कि शोध निष्कर्ष वास्तव में साझा किए गए थे।

26 द्वितीय राष्ट्रीय वन्यप्राणी कार्य योजना, 2002–16 का पैरामीटर–6।

27 कान्हा, पेंच और सतपुड़ा।

28 बगदरा वन्यप्राणी अभयारण्य और खिवनी वन्यप्राणी अभयारण्य।

बॉक्स 2.7: नियोजित अनुसंधान की वस्तुस्थिति

केस स्टडी 1: पेंच टाइगर रिजर्व

पेंच कोर के लिए बाघ संरक्षण योजना, 2008–2018 में तीन व्यापक क्षेत्रों यथा संरक्षित क्षेत्रों से संबंधित मूल्य (34 विषय), आर्द्रभूमि का अध्ययन (तोतलाडोह जलाशय : तीन विषय) तथा संरक्षित क्षेत्रों पर जैविक दबाव (17 विषय) से संबंधित कुल 54 शोध विषयों को सम्मिलित किया गया था।

क्षेत्र संचालक ने योजना में प्रस्तावित 54 विषयों में से दो[29] पर शोध के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ दो अनुबंध (2016) किए। यद्यपि अनुसंधान के लिए विकास निधि से ₹ 7.20 लाख जारी किए गए थे, हमें अनुसंधान से संबंधित प्रतिवेदन अभिलेख में नहीं मिले।

वर्ष 2014–19 के दौरान अलग–अलग शोधकर्ताओं द्वारा अपने स्वयं के प्रस्तावों के आधार पर, यानी विभाग द्वारा प्रस्तावित 54 गतिविधियों की सूची के बाहर 14 अन्य विषयों को अनुसंधान के लिए लिया गया था। दो प्रतिवेदनों[30] को छोड़कर, हमें सितंबर 2019 तक कोई भी अन्य प्रतिवेदन, अंतरिम या अंतिम, अभिलेख में नहीं मिले।

क्षेत्र संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व ने कहा (सितंबर 2019) कि अवैध शिकार, आग, ईको–पर्यटन और वन्यप्राणी रोगों पर अनुसंधान की योजना बनाई गई थी और आर्द्रभूमि और जैविक दबाव पर दो अन्य शोध गतिविधियां भी प्रस्तावित थीं। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में शोध कार्य किया जाएगा। हालांकि, हमें ऐसी योजना अभिलेखों में नहीं मिली।

केस स्टडी 2: कान्हा और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व

इसी प्रकार, कान्हा और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बाघ संरक्षण योजनाओं में कुल 124 विषयों को सम्मिलित किया गया था। टाइगर रिजर्व ने अनुसंधान का क्रियान्वयन नहीं किया, लेकिन व्यक्तिगत शोधकर्ताओं ने 2014–19 के दौरान अनुसंधान के लिए नौ विषयों को लिया, इसके अलावा योजनाओं में पहचाने गए 124 विषयों के अतिरिक्त 51 अन्य विषयों को भी लिया। उन 60 शोधकर्ताओं में से केवल नौ ने ही विभाग को अपना अंतिम रिपोर्ट सौंपा है, जबकि अन्य में से किसी ने भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट भी कान्हा और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को क्रमशः जनवरी 2020 और सितंबर 2020 तक जमा नहीं की है।

अन्य तीन टाइगर रिजर्व (बांधवगढ़, संजय और पन्ना) ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान अपनी बाघ संरक्षण योजना तैयार नहीं की।

हमने देखा कि छः संरक्षित क्षेत्रों [31] की प्रबंध योजनाओं में किसी में भी शोध गतिविधि की परिकल्पना नहीं की गई थी। खिवनी वन्यप्राणी अभयारण्य की प्रबंध योजना ने कुल 11 शोध गतिविधियों की पहचान की थी। वनमंडल अधिकारी ने बताया (सितम्बर 2020) कि निधि के अभाव में इन्हें सम्पादित नहीं किया जा सका। हमें यह साक्ष्य नहीं दिए गए कि इन निधियों की मांग की गई थी। इसी प्रकार, क्षेत्र संचालक, संजय टाइगर रिजर्व ने बगदरा वन्यप्राणी अभयारण्य में अनुमोदित प्रबंध योजना (2017–27) में प्रस्तावित 17 विषयों में से किसी के भी अध्ययन की न योजना बनाई थी न कार्य किया था। क्षेत्र संचालक ने कहा (नवंबर 2019) कि प्रबंध योजना (2017–18 से 2026–27) नया है और प्रस्तावित गतिविधियों को भविष्य में प्रारंभ किया जाएगा।

---

29 (1) पेच टाईगर रिजर्व के आस–पास के क्षेत्रों फसल हानि के कारण मानव–वन्यजीव संघर्ष पर अध्ययन एवं शमन उपायों का सुझाव (2) पेंच टाईगर रिजर्व के छोटे जंगली शाकाहारी जीवों में लेंटाना विषाक्तता पर अध्ययन।

30 'बाघों के शिकार का निगरानी चरण–चार' और 'भारत के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में मुक्त विचरित बंगाल टाइगर का शावक जन्म अंतराल और आकार'।

31 करैरा वन्यप्राणी अभयारण्य, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य, रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य और सिंघोरी वन्यप्राणी अभयारण्य।

दूसरी ओर, हमने चार वनमंडलों[32] में शोधकर्ताओं द्वारा संचालित नौ[33] शोध गतिविधियाँ खुले पटलों और वेबसाइट पर पाई गईं, लेकिन प्रबंधकों के लिए अज्ञात बनी रहीं।

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितम्बर 2021)।

बॉक्स 2.8: महत्वपूर्ण अनुसंधान क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया जाना: संजय टाइगर रिजर्व

वर्ष 2014–19 के दौरान संजय टाइगर रिजर्व में शिकार आधार बढ़ाने के लिए 324 चीतलों को स्थानांतरित किया गया था। टाइगर रिजर्व में पुनर्स्थापित किए गए चीतलों की कम प्रजनन दर को देखते हुए, क्षेत्र संचालक ने दिसंबर 2016 में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक को कारणों की पहचान करने के लिए शोध सम्बन्धी एक प्रस्ताव भेजा। यह शोध नवंबर 2019 तक नहीं किया गया था।

प्रमुवसं/ वन्यप्राणी ने कहा (जुलाई 2019) कि चीतल को नए रहवास का आदी होने में समय लगेगा और ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिसके लिए अध्ययन की आवश्यकता हो। यद्यपि, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी निगरानी प्रभावशीलता मूल्यांकन प्रतिवेदन, 2019 में चीतल प्रजनन मुद्दे की समीक्षा, तकनीकी संस्थान द्वारा किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

शोध पर अपर्याप्त ध्यान, जो संरक्षण के प्रयासों की योजना का भरण कर सकता है, एक ऐसी चुनौती थी जिस पर शासन का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। परिणामस्वरूप, प्रबंधन हस्तक्षेपों के माध्यम से समय पर मध्यावधि–सुधार को अपनाया नहीं जा सका और संभावित शोध–निष्कर्षों के तारतम्य में किए गए संरक्षण प्रयासों पर पुनर्विचार नहीं किया जा सका।

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितम्बर 2021)।

2.4 संरक्षण निधिकरण

राज्य शासन द्वारा अनुदान के लिए किए गए निवेदनों के आधार पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों को निधियां प्राप्त होती है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी द्वारा जनहानि के लिए क्षतिपूर्ति, गांवों के पुनर्वास के लिए क्षतिपूर्ति, और संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन जैसी योजनाओं के अंतर्गत भी राज्य शासन बजट प्रदान करती है। इसके अलावा, विकास निधि और प्रतिपूरक वनरोपण निधि के अंतर्गत भी धनराशि स्वीकृत की गई थी।

वर्ष 2014–19 की अवधि के दौरान, राज्य में केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत ₹ 633.32 करोड़ और राज्य में चार राज्य योजनाओं के अंतर्गत ₹ 1,265.92 करोड़ व्यय किए गए, जैसा कि नीचे **तालिका 2.8** में दिखाया गया है।

32 कूनो राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य और ओबेदुल्लागंज वनमंडल।

33 नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य से असली कीड़े, जीनस नियोस्कोना साइमन और कुछ ओडोनेट्स के ओर्ब–वीवर मकड़ियों के बीच शिकारी मुठभेड़, नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य से केस स्टडी और स्पाइडर प्राणियों पर प्रारंभिक जांच, रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य, रायसेन की पारिस्थितिक स्थिति, संभावित परिणाम विश्लेषण–आधारित प्रबंधित वनों की जैव विविधता की स्थिति का आकलन करने के लिए संकेतक देलावाडी परिक्षेत्र पर एक केस स्टडी, रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य, रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य के हेमिप्टेरा प्राणी, मध्य भारतीय और पूर्वी घाट टाइगर लैंडस्केप में कनेक्टिविटी संरक्षण और स्मार्ट ग्रीन लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक नीतिगत ढांचा, बुंदेलखंड क्षेत्र में गिद्ध के लिए संभावित स्थल, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुए की बहुतायत का अनुमान।

तालिका 2.8: केंद्र और राज्य की योजनाओं के अंतर्गत व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	व्यय
1	केंद्र प्रवर्तित योजना	633.32
	राज्य योजनाएं	
1	राष्ट्रीय उद्यान	483.37
2	जंगली जानवरों द्वारा जनहानि के लिए मुआवजा	50.01
3	गांवों के पुनर्वास के लिए मुआवजा	642.47
4	संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन	90.07
	कुल	**1,265.92**

(स्रोत: विनियोग लेखे)

2.4.1 केंद्र प्रवर्तित योजना

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत वर्ष 2014–19 के दौरान चयनित टाइगर रिजर्वों एवं संरक्षित क्षेत्रों में स्वीकृति एवं व्यय की स्थिति नीचे **तालिका 2.9** में दी गई है:

तालिका 2.9: केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि, व्यय और बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	स्वीकृत राशि	स्वीकृति का माह	कटौती की गई राशि[34]	निवल स्वीकृत राशि	व्यय	बचत (5–6)	प्रतिशत बचत
1	2	3	4	5	6	7	8
2014–15	68.86	मई–नवंबर 2014	1.85	67.00	61.04	5.96	8.90
2015–16	33.33	जून–सितंबर 2015	0.58	32.75	30.31	2.44	7.24
2016–17	280.95	जून–सितंबर 2016	1.46	279.49	194.79	84.70	30.30
2017–18	246.57	मई–सितंबर 2017	16.53	230.04	221.65	8.39	3.65
2018–19	125.58	जुलाई 2018 – जनवरी 2019	12.40	113.18	98.09	15.09	13.33
कुल	**755.29**		**32.82**	**722.46**	**605.88**	**116.59**	**16.14**

(स्रोत: वन विभाग)

- राशि ₹ 722.46 करोड़ की निवल स्वीकृति के विरूद्ध ₹ 116.59 करोड़ (16.1 प्रतिशत) की राशि अव्ययित रही। इसके कारण अगले वर्ष के लिए स्वीकृतियों से ₹ 32.82 करोड़ की कटौती हुई। 2016–17 को छोड़कर बचत 14 प्रतिशत से कम रही, संजय टाइगर रिजर्व के लिए गांवों के स्थानांतरण के लिए प्राप्त ₹ 75.50 करोड़ का उपयोग नहीं किया जाना इसका प्रमुख कारण था;
- हमने गतिविधि–वार व्यय की जाँच की और पाया कि 2014–19 के दौरान नमूना चयनित छः टाइगर रिजर्व और 13 संरक्षित क्षेत्रों में की गई कुल 2,258 गतिविधियों में से 387 गतिविधियों जैसे कि कॉज–वे निर्माण, डाइक निर्माण, अनुसंधान गतिविधियाँ, वायरलेस रखरखाव, टीकों की खरीद, स्वास्थ्य शिविर, चेक–डैम निर्माण, घास का मैदान विकास इत्यादि, में 50 से 100 प्रतिशत की बचत हुई;
- वर्ष 2014–19 की अवधि के दौरान, छः टाइगर रिजर्व और 13 संरक्षित क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजनाओं में ₹ 947.81 करोड़ की मांग के विरूद्ध पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजना से केवल ₹ 755.29 करोड़ स्वीकृत किए गए थे। इस प्रकार, वनमंडलों द्वारा मांगों के विरूद्ध ₹ 192.52 करोड़ की कमी थी।

इन टाइगर रिजर्व/ संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधकों ने बचतों के लिए मुख्य रूप से वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा निधियों की स्वीकृति में देरी और कुछ गतिविधियों के लिए भुगतान पर शासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को जिम्मेदार ठहराया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि धनराशि सामान्यतः प्रत्येक वर्ष सितम्बर तक प्राप्त हो गई थी (2014–19 के दौरान 35 स्वीकृतियों में से 32 में)। इसके अलावा, वर्ष की अंतिम

[34] कटौती की गई राशि पिछले वर्ष की अव्ययित राशि है जिसे अगले वर्ष के लिए पुनर्वेधीकृत नहीं किया गया।

तिमाही में राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा व्यय पर लगाए गए प्रतिबंध, केंद्रीय योजनाओं पर लागू नहीं होते हैं।

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितम्बर 2021)।

2.4.2 वार्षिक कार्य योजनाएं

हमने देखा कि सभी चयनित वनमंडलों की वार्षिक कार्य योजनाएं भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी। तथापि, 2014–19 की अवधि के लिए वार्षिक कार्य योजना में कुछ गतिविधियों के लिए धन की मांग नहीं की गई थी यद्यपि इन्हें बाघ संरक्षण योजना और प्रबंध योजनाओं में सम्मिलित किया गया था। उदाहरण के लिए, कान्हा टाइगर रिजर्व में, चारागाह के सुधार और ईको–विकास कार्यों के लिए धन की मांग नहीं की गई थी, यद्यपि इन्हें बाघ संरक्षण योजना (2011–21) में सम्मिलित किया गया था। प्रबंध योजनाओं में सन्निहित गतिविधियों को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित न करने के ऐसे ही उदाहरण, बगदरा वन्यप्राणी अभयारण्य, नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य और माधव राष्ट्रीय उद्यान में पाए गए थे। विभाग के पास अन्य स्रोत थे, जैसे विकास निधि, प्रतिपूरक वनीकरण निधि और राज्य बजट, जिससे वह उन गतिविधियों पर व्यय कर सकता था, जिन्हें केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत स्वीकृति नहीं मिली थी। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था कि क्रियाकलाप (बाघ सरंक्षण योजना/ प्रबंध योजना में सम्मिलित), जिन्हें केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत स्वीकृति नहीं मिली थी, अन्य स्रोतों के माध्यम से वित्त पोषित किया जाए। फलस्वरूप, विभाग आश्वस्त नहीं हो सका कि बाघ संरक्षण योजना/ प्रबंध योजना में निर्धारित निर्देशों के अनुसार टाइगर रिजर्व/ संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन किया गया था।

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितम्बर 2021)।

बॉक्स 2.9: कूनो राष्ट्रीय उद्यान में आवारा मवेशियों का प्रबंधन

कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनमें से एक गैर–पालतू मवेशियों के झुंड थे, जो कि विस्थापित गांवों के ग्रामीणों द्वारा छोड़े गए थे, जो घास के मैदानों में चरने लगे जिससे कंटीली झाड़ियों और खर–पतवार में वृद्धि हुई। इस स्थिति को दूर करने के लिए, प्रबंध योजना ने इन मवेशियों के रहने के स्थलों में बाड़ लगाने जैसे उपाय निर्धारित किए।

हालांकि, प्रबंधन ने गतिविधियों के लिए धन की मांग नहीं की। हमने यह भी पाया कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान शेर और अफ्रीकी चीता को लाने के लिए एक चयनित स्थल है। अति–चराई की समस्या से शाकाहारियों के लिए भोजन की कमी हो सकती है जो अंततः उनके शिकारियों की आबादी को प्रभावित करेगा।

वनमंडल अधिकारी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान ने आश्वासन दिया (सितंबर 2019) कि आवारा मवेशियों पर प्रबंध योजना के निर्देशों को लागू किया जाएगा।

2.4.3 भूमि व्यपवर्तन के मामलों में संबंधित संरक्षित क्षेत्रों में जैव विविधता और वन्यप्राणी के संरक्षण के लिए निधियों का उपयोग

वर्ष 2014–19 के दौरान केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत निधियों के अतिरिक्त विभाग ने विकास निधि (प्रवेश शुल्क) के अन्तर्गत प्राप्तियों के विरूद्ध ₹ 198.10 करोड़ तथा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के अन्तर्गत ₹ 163.23 करोड़ व्यय किये।

अक्टूबर 2002[35] में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार और प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 4 की उप धारा 3 (चार) के अनुसार, संरक्षित क्षेत्रों के वन भूमि के व्यपवर्तन

[35] रिट पिटीशन सिविल क्रमांक 202/1995 में आई.ए. क्रमांक 566 में आदेश दिनांक 30 अक्टूबर, 2002।

के मामलों में उपयोगकर्ता एजेंसियों से वसूली योग्य धन को जैव विविधता और वन्यप्राणी के संरक्षण से संबंधित गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य के प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि में जमा किया जाएगा। परियोजना लागत का पांच प्रतिशत जैव विविधता और वन्यप्राणियों के संरक्षण से संबंधित गतिविधियों के लिए लिया जाएगा।

हालांकि, प्रमुवसं/ वन्यप्राणी के एक प्रस्ताव के आधार पर (दिसंबर 2017), राज्य वन्यप्राणी बोर्ड ने निर्णय लिया (दिसंबर 2017) कि वनरोपण निधि से निधियों में होने वाली प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण अब से धन, प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में जमा करने की वर्तमान प्रथा के स्थान पर मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी[36] के खातों में जमा किया जाएगा। सोसाइटी, यद्यपि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा परिधि से बाहर है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दिसम्बर 2017 तथा दिसम्बर 2018 के मध्य नौ वनमंडलों[37] में ₹ 32.92 करोड़ प्राप्त हुए तथा मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के खातों में जमा कर दिये गये। प्रमुवसं/ वन्यप्राणी द्वारा निधियों और व्यय के लिए दी गई गई स्वीकृतियों से संबंधित अभिलेख हमें प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अभिलेखों को प्रस्तुत न करने के कारण, हम यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि क्या निधियों का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही किया गया था।

उत्तर में राज्य शासन ने बताया (जुलाई 2021) कि प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में जमा की जाने वाली राशि से अधिकतम पांच प्रतिशत की वसूली अतिरिक्त थी। उत्तर, इस तरह के धन को प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में जमा करने के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों और प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।

2.5 अनुशंसाएं

उपर्युक्त निष्कर्षों के दृष्टिगत हम निम्नलिखित की अनुशंसा करते हैं:

1. *वन विभाग को समर्पित टीम के माध्यम से बाघ संरक्षण योजनाओं/ प्रबंध योजनाओं को तैयार करने में सहायता करना चाहिए, और प्रबंध योजना तैयार करने के लिए व्यापक दिशानिर्देशों के साथ एक तय प्रक्रिया भी निर्धारित करना चाहिए;*
2. *राज्य शासन को समयबद्ध रूप से जोनल मास्टर प्लान की तैयारी और अनुमोदन सुनिश्चित करना चाहिए और उसमें शामिल गतिविधियों की प्रभावी तरीके से निगरानी सुनिश्चित करना चाहिए;*
3. *विभाग को बाघ संरक्षण योजनाओं/ प्रबंध योजनाओं में चिन्हित क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए संस्थागत गठजोड़ स्थापित करना चाहिए;*
4. *विभाग को एक निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए जो बाघ संरक्षण योजनाओं/ प्रबंध योजनाओं में पहचान की गई प्रत्येक गतिविधि पर निधियों के आबंटन और उपयोग का पता लगाए।*

---

36 मध्य प्रदेश वन विभाग के अधीन एक समिति जो बाघों के संरक्षण का कार्य कर रही है।

37 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, देवास वनमंडल, माधव राष्ट्रीय उद्यान, नौरादेही वनमंडल, दमोह वनमंडल और ओबेदुल्लागंज वनमंडल।

अध्याय 3
वन्यप्राणियों का संरक्षण एवं सुरक्षा

फोटो सौजन्य (ऊपर से, बाएं से दाएं):
वरूण मणि, भोपाल बर्डस, वरूण मणि
संजय शुक्ला, अभिनंदन शुक्ला, वरूण मणि
अभिनंदन शुक्ला, अभिनंदन शुक्ला, सचिन मटकर

अध्याय 3

वन्यप्राणियों का संरक्षण एवं सुरक्षा

सारांश

हमने पाया कि 2018 की बाघ गणना में बाघों की संख्या 71 प्रतिशत बढ़कर 526 हो गई, जो देश के किसी भी राज्य में सर्वाधिक थी। तथापि, स्थानान्तरण की योजना बनाने और निगरानी में अपर्याप्तता के कारण अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में मिश्रित परिणाम मिले। बढ़ते मानव–वन्यप्राणी संघर्ष ने वन्यप्राणियों का विनाश किया है और जंगली जानवरों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रति मानव मन में शत्रुता की भावना उत्पन्न की है। जमीनी स्थिति ने मानव–वन्यजीव संघर्षों के मामलों में बढ़ती प्रवृत्ति को दिखाया, क्योंकि संघर्षों को कम करने के लिए स्थल–विशिष्ट उपायों को निर्धारित करने और लागू करने की कमी थी। स्थानान्तरण एक वन्यप्राणी संरक्षण उपाय है जिसके लिए एक प्रजाति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पकड़ने, परिवहन और छोड़ने की आवश्यकता होती है। हमारी लेखापरीक्षा में पाया गया कि ओडिशा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व में दो बाघों के अंतर–राज्यीय स्थानान्तरण के मामले में, स्थानान्तरण से पहले नए स्थल पर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप एक बाघ का नुकसान हुआ और दूसरा बाघ भी नए स्थल पर परिस्थितियों को अपना नहीं सका। हालांकि, विभाग संजय टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य में बाघों के स्थानान्तरण में सफल रहा है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, मध्य प्रदेश शासन और वन विभाग के बीच त्रिपक्षीय समझौते (2009–2010) में निर्धारित होने के बावजूद राज्य शासन द्वारा तीन चयनित टाइगर रिजर्व (बांधवगढ़, कान्हा और पेंच) में विशेष बाघ संरक्षण बल की स्थापना नहीं की गई थी। हथियारों और वायरलेस सेटों के आकलन और वितरण की प्रक्रिया दोषपूर्ण थी और नियमित गश्ती में मेटल डिटेक्टरों का उपयोग नहीं किया गया था।

वन्यप्राणियों की सुरक्षा संबंधी खतरों में अवैध शिकार, अतिक्रमण, विद्युत आघात, जहर, फंदे, सड़कों और रेलमार्गों पर दुर्घटनाएं, इत्यादि शामिल हैं। 2014 से 2018 के मध्य विभिन्न कारणों[38] से 115 बाघों की और 209 तेंदुओं की मृत्यु प्रतिवेदित की गई। चयनित वनमंडलों में 2014 से 2018 के दौरान कुल बाघ और तेंदुए की मृत्यु में अवैध शिकार और जब्ती का योगदान 19 प्रतिशत रहा है। अवैध शिकार के कारणात्मक कारकों, विशेषतः बालाघाट जिले में अवैध शिकार की सर्वाधिक घटनाओं को कम करने के लिए, एक उपयुक्त योजना तैयार करने हेतु पर्याप्त विश्लेषण नहीं किया गया। सड़क और रेलमार्ग जैसे रेखीय अधोसंरचनाओं के विरूद्ध शमन उपाय पर्याप्त नहीं पाए गए।

वन विभाग के विभागीय अधिकारियों को वन–अपराध के प्रकरण पंजीकृत करने, जांच करने, अपराधियों को पकड़ने और कानूनी कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है। हमने पाया कि लंबित वन–अपराध प्रकरणों में कमी हुई, साथ ही नए पंजीकृत प्रकरण और जांच में स्वागत योग्य प्रगति हुई। फिर भी, कुल विवेचित प्रकरणों में से लगभग 20 प्रतिशत प्रकरण जांच के पश्चात् भी प्रशमन या न्यायालय में प्रस्तुति हेतु लंबित थे।

ईको–पर्यटन एक संरक्षित क्षेत्र को बृहद जनसंख्या से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है और संरक्षण हेतु समर्थन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। हालांकि, यह स्पष्ट था कि इस संबंध में राष्ट्रीय

[38] आपसी लडाई, विद्युत आघात, जहर, बीमारी, दुर्घटना, फंदा, इत्यादि।

बाघ संरक्षण प्राधिकरण के निर्देशों के उल्लंघन के कारण अत्यधिक पर्यटन, टाइगर रिजर्व में वन्यप्राणियों के तनाव के स्तर को प्रभावित कर रहा था।

रोगों के प्रकोप को रोकने और बड़े पैमाने पर मृत्यु को नियंत्रित करने हेतु समय पर बीमारी नियंत्रण की कार्रवाई भी आवश्यक है। इस तरह की बीमारियों के प्रमुख स्रोत मवेशी और इसके बाद कुत्ते हैं। हमने पाया कि वन विभाग ने संरक्षित क्षेत्र के आसपास के ग्रामों में टीकारकण हेतु कुल मवेशियों के आंकड़े प्राप्त करने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग के साथ एक प्रभावी समन्वय तंत्र स्थापित नहीं किया। उपलब्ध मवेशियों के आंकड़ों के अभाव में हम संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के सभी मवेशियों के टीकाकरण का आश्वासन प्राप्त नहीं कर सके। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यप्राणी अभ्यारण्यों में और उसके आसपास मवेशियों और कुत्तों का प्रतिरक्षण करने और समय–समय पर परजीवीय और संक्रामक रोगों के सर्वेक्षण के लिए कोई कर्मचारी नहीं था। हमने पाया कि पन्ना टाइगर रिजर्व को छोड़कर, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के खतरे के विरूद्ध कुत्तों और बिल्लियों का टीकाकरण नहीं किया गया था।

वन्यप्राणी संरक्षण में असंख्य गतिविधियां सम्मिलित होती हैं।

प्रमुख गतिविधियों को शामिल करने के लिए इस अध्याय को छः भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें वन्यप्राणियों की मृत्यु; वन्यप्राणी अपराधों की जांच और कार्रवाई; सुरक्षा उपायों को कम करना; बाघ संरक्षण के लिए प्रशासनिक उपाय; संसाधन संरक्षण; तथा संरक्षण प्रयासों को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दे शामिल हैं।

बॉक्स 3.1: बाघ संरक्षण की स्थिति

खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होने के कारण, बाघों की एक व्यवहार्य आबादी, सह–शिकारियों, शिकार की व्यवहार्य आबादी और जंगल भी सुनिश्चित करती है, जिससे पूरे क्षेत्र या रहवास की पारिस्थितिकीय व्यवहार्यता सुनिश्चित होती है[39]।

मध्य प्रदेश, 2006 में देश के शीर्ष स्थान से गिरकर वर्ष 2014 में 308 बाघों की संख्या के साथ तीसरे स्थान पर आ गया। यद्यपि, वर्ष 2018 में बाघों की संख्या 71 प्रतिशत बढ़कर 526 हो गई, जो देश में एक राज्य हेतु सर्वाधिक थी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, जहां बाघों की संख्या वर्ष 2014 की तुलना में 63 से बढ़कर वर्ष 2018 में 104 (65 प्रतिशत की वृद्धि) हो गई, बाघों की संख्या में वृद्धि में इसके बाद सतपुड़ा (54 प्रतिशत वृद्धि) और पन्ना (47 प्रतिशत वृद्धि) टाइगर रिजर्वों का स्थान था।

पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य भारत के सबसे उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित है। वर्ष 2009 तक पन्ना टाइगर रिजर्व से बाघों की संपूर्ण आबादी समाप्त हो गई थी। बाघ पुनर्स्थापन कार्यक्रम नवंबर 2009 में प्रारंभ किया गया और वर्ष 2018 की बाघ गणना के अनुसार, टाइगर रिजर्व 25 वयस्क बाघों से भर गया जो इसे सफलता की एक कहानी बनाता है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 2018 में देश के 50 टाइगर रिजर्वों की प्रबंधन–प्रभावशीलता मूल्यांकन ढांचे के अंतर्गत इसके विभिन्न मानदंडों यथा, संदर्भ, योजना, आगत, प्रक्रिया, उत्पाद और परिणाम संबंधी लेखापरीक्षा की। मध्य प्रदेश के तीन टाइगर रिजर्वों यथा, पेंच, कान्हा और सतपुड़ा ने 93.75 से 90.63 प्रतिशत के मध्य प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन अंक प्राप्त कर देश के शीर्ष चार टाइगर रिजर्वों में स्थान प्राप्त किया।

[39] राष्ट्र बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बाघ संरक्षण और पर्यटन पर अक्टूबर 2012 में जारी विस्तृत दिशा–निर्देशों की कण्डिका 7.3.2।

किंतु हमने देखा कि दिसंबर 2007 से बाघ संरक्षण योजना न तो बांधवगढ़ और न ही पन्ना टाइगर रिजर्व में थी। इसलिए, जबकि वर्तमान में बाघों की बढ़ती संख्या एक स्वस्थ जंगल का अस्तित्व दर्शाती है, इन संरक्षित क्षेत्रों का भविष्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रणनीतिक योजनाओं पर निर्भर करती है जैसे बाघों की एक आदर्श संख्या जिसे कि सीमित क्षेत्र में रखा जा सके, और वे अपने गैर–विस्तारित क्षेत्राधिकारों के अंदर लगातार बढ़ते बाघों के घनत्व की चुनौती का कैसे सामना करेंगे तथा परिणामी आपसी संघर्ष, शिकार की कमी, संभावित अंतः प्रजनन कुछ मुख्य क्षेत्र हैं।

3.1 वन्यप्राणियों की मृत्यु

वन्यप्राणियों का शिकार एवं अवैध व्यापार देश में वन्यप्राणियों के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में उभरा है।

कान्हा बफर टाइगर रिजर्व में विद्युत आघात से मृत बाघ (अक्टूबर 2016)

पेंच टाइगर रिजर्व में डूबने के कारण बाघ की मृत्यु (जनवरी 2016)

3.1.1 घटना

बाघों की मृत्यु

वर्ष 2014 से 2018[40] के दौरान राज्य में बाघों की मृत्यु के कुल 115 प्रकरण प्रतिवेदित किए गए। 13 लेखापरीक्षित वनमंडलों में से सात वनमंडलों में 80 बाघों की मृत्यु के प्रकरण प्रतिवेदित किए गए जो राज्य में कुल प्रकरणों का 70 प्रतिशत है जैसा कि नीचे **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: 2014 से 2018 के दौरान बाघों की मृत्यु के प्रतिवेदित प्रकरण

क्र. सं.	वनमंडल	शिकार/ जब्ती[41]	आपसी संघर्ष[42]	बीमारी	अन्य[43]	कुल प्रकरण
1	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व	5	12	3	5	**25**
2	कान्हा टाइगर रिजर्व	4	21	1	4	**30**
3	पेंच टाइगर रिजर्व	3	5	1	3	**12**
4	पन्ना टाइगर रिजर्व	1	1	0	3	**5**
5	तीन अन्य वनमंडल[44]	3	1	1	3	**8**
	योग	**16**	**40**	**6**	**18**	**80**

(स्रोतः वन विभाग)

40 चूंकि आंकड़े वार्षिक आधार (जनवरी से दिसम्बर तक) पर लिए जाते हैं, इसलिए 2019 के आंकड़े इसमें सम्मलित नहीं किए गए।

41 किसी व्यक्ति के कब्जे से या किसी स्थान पर जंगली जानवर के मृत अवशेषों को जब्त करना।

42 आपसी संघर्ष/ मांस भक्षण।

43 'अन्य' में अनाथ शावकों की मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु, ट्रेन दुर्घटना, डूबने और वृद्धावस्था के प्रकरण शामिल हैं।

44 ओबेदुल्लागंज वनमंडल, संजय टाइगर रिजर्व एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व।

इस प्रकार, 2014 से 2018 के दौरान कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की मृत्यु दर सबसे अधिक थी, जो इन सात वनमंडलों में कुल बाघों की मृत्यु का लगभग 70 प्रतिशत थी। इसके अंतर्गत भी, वर्ष 2014 से 2018 के दौरान कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्वों में आपसी संघर्ष के कारण मृत्यु 70 प्रतिशत और 48 प्रतिशत थी। इस प्रकार, आपसी संघर्ष, बाघों की मृत्यु के संबंध में मुख्य चुनौती है। 'जर्नल ऑफ रीसेंट साइंसेज' में 2015 में प्रकाशित एक शोध[45] ने समान प्रजातियों में भोजन की कमी से आपसी संघर्ष को क्षेत्रीय लडाई के लिए एक कारणात्मक कारक के रूप में पहचाना। नवंबर और फरवरी के बीच, सहवास के मौसम में भी संघर्ष के प्रकरण देखे जाते हैं। हमने यह भी देखा कि वर्ष 2014 से 2018 के दौरान, बांधवगढ़ और कान्हा टाइगर रिजर्वों में आपसी संघर्ष और मांसभक्षण के 33 में से 13 प्रकरण नवंबर से फरवरी माह के मध्य हुए, जो कुल प्रकरणों का 39 प्रतिशत था। कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आपसी संघर्ष की अधिक संख्या के लिए कुछ इलाकों में भोजन और पानी की बेहतर उपलब्धता के कारण शिकार आधार के उच्च घनत्व को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

बॉक्स 3.2: एम–स्ट्राइप्स का उपयोग

एम–स्ट्राइप्स[46] प्रणाली राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित आंकड़ा–संग्रह हेतु एक साधन है। एम–स्ट्राइप्स वांछित सामयिक और स्थानिक पैमाने पर अवैध गतिविधियों, वन्यजीव अपराध, संरक्षण प्रयासों और पारिस्थितिक स्थिति पर जानकारी को संश्लेषित करने वाली रिपोर्ट और मानचित्र तैयार करता है। इस प्रणाली के माध्यम से जनित मानचित्र सभी टाइगर रिजर्व द्वारा मासिक आधार पर प्रमुवसं/ वन्यप्राणी को भेजे जाते हैं।

हमने चयनित टाइगर रिजर्वों में इन मानचित्रों की जांच की। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का एक उदाहरण नीचे दिखाया गया है, जहां गुलाबी और हरे रंग के बिंदु क्रमशः मांसाहारी और शाकाहारी जीवों के अवलोकनों को दर्शाते हैं :

मानचित्र 3.1 : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मांसाहारी और शाकाहारी वन्यप्राणियों के अवलोकनों के स्थल

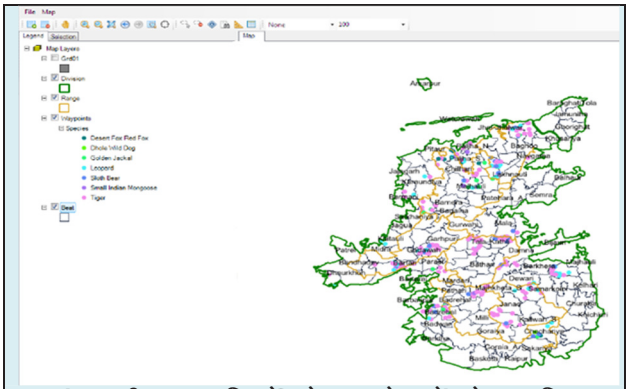

मांसाहारी वन्यप्राणियों के अवलोकनों के मानचित्र (नवम्बर 2019)

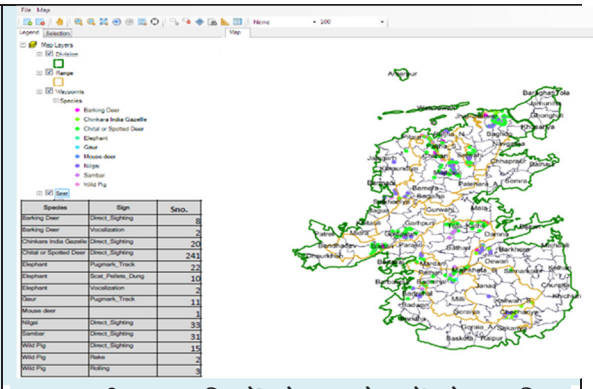

शाकाहारी वन्यप्राणियों के अवलोकनों के मानचित्र (नवम्बर 2019)

(स्रोत : बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व)

हमने जांच में पाया कि मांसाहारी और शाकाहारी वन्यप्राणी बार–बार उसी लघुक्षेत्र में देखे गए, संभवतः ऐसा अन्य क्षेत्रों में उपयुक्त रहवास, भोजन और चारा की कमी के कारण हो। इन विशिष्ट स्थानों पर

45 संजीव कुमार द्वारा 'कार्बेट टाइगर रिवर्ज में बाघों की मृत्यु के कारण और परिणाम'।

46 बाघों की निगरानी प्रणाली– गहन सुरक्षा और पारिस्थितिक स्थिति, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लिकेशन आधारित निगरानी प्रणाली वर्तमान में केवल टाइगर रिजर्व में उपयोग की जाती है।

वन्यप्राणी के इस तरह के सघनता से आपसी संघर्ष बढ़ने के साथ–साथ शिकारी द्वारा इनके शिकार में आसानी हो सकती है। स्मरण रहे कि वर्ष 2014 से 2018 के दौरान बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आपसी संघर्ष के कारण 12 और शिकार के कारण 5 (कंडिका 3.1.1 में तालिका 3.1 देखें) बाघों की मृत्यु हुई थी। तथापि, अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चले कि इस प्रकार के विश्लेषण हेतु उपरोक्तानुसार एम–स्ट्राइप्स आगतों का उपयोग किया गया।

उत्तर में, प्रमुवसं/ वन्यप्राणी ने बताया (जुलाई 2020) कि जंगल में मैदानी इलाकों, घास के मैदानों और तटवर्ती क्षेत्रों में शिकार की सघनता पाई जाती है, और इसीलिए इन क्षेत्रों में बाघों का घनत्व अधिक है। अतः बाघों द्वारा कुछ क्षेत्रों का कम उपयोग प्रबंधन हस्तक्षेप की कमी का परिणाम नहीं है।

तथापि, अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पता चले कि विभाग ने एम–स्ट्राइप्स आंकड़ों का उपयोग अपने हस्तक्षेपों को ठीक करने के लिए किया था।

जुलाई 2021 में शासन ने उत्तर में बताया कि चूंकि राज्य में बाघों की संख्या में 71 प्रतिशत की वृद्धि हुई, बाघ पारिस्थितिकी में आपसी संघर्ष सामान्य व्यवहार है। उपरोक्त सात वनमंडलों में 70 प्रतिशत बाघों की मृत्यु का कारण उन वनमंडलों में बाघों की 75 प्रतिशत जनसंख्या होना था। राज्य शासन ने आपसी संघर्ष की घटनाओं को कम करने के लिए कारणात्मक कारकों या इसकी योजनाओं पर अध्ययन उपलब्ध नहीं कराया।

तेंदुओं की मृत्यु

वर्ष 2014 से 2018 के दौरान राज्य में कुल 209 तेंदुओं की मृत्यु प्रतिवेदित की गई। 13 लेखापरीक्षित वनमंडलों में से नौ वनमंडलों में 49 तेंदुओं की मृत्यु हुई, जो 2014 से 2018 के दौरान राज्य में कुल प्रकरणों का 23 प्रतिशत से अधिक है। विवरण नीचे **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.2: वर्ष 2014 से 2018 के दौरान तेंदुओं की मृत्यु के प्रतिवेदित प्रकरण

क्र. सं.	वनमंडल	शिकार/जब्ती[47]	बाघों/अन्य के साथ संघर्ष	सड़क एवं रेल दुर्घटनाएं	अन्य[48]	योग
1	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व	2	3	0	3	**8**
2	कान्हा टाइगर रिजर्व	2	2	1	3	**8**
3	ओबेदुल्लागंज वनमंडल	0	0	4	4	**8**
4	पन्ना टाइगर रिजर्व	0	1	0	3	**4**
5	पेंच टाइगर रिजर्व	1	4	0	3	**8**
6	संजय टाइगर रिजर्व	0	0	1	3	**4**
7	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व	2	2	1	2	**7**
8	दो अन्य वनमंडल[49]	1	0	0	1	**2**
	योग	**8**	**12**	**7**	**22**	**49**

(स्रोतः वन विभाग)

हमारी लेखापरीक्षा ने रिपोर्टिंग की कमियों को भी इंगित किया। उदाहरणार्थ, अप्रैल 2016 और अप्रैल 2017 में तेंदुओं की मृत्यु के दो प्रकरण, जैसा कि माधव राष्ट्रीय उद्यान के अभिलेखों में देखा गया, प्रमुवसं/ वन्यप्राणी को सूचित नहीं किए गए। अप्रैल 2016 की घटना के प्रकरण में, शव–परीक्षण में रक्तस्रावी सदमे से मृत्यु होना बताया गया और चिकित्सक की अनुशंसा पर जैविक नमूने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, ग्वालियर तथा वन्यप्राणी फोरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र, जबलपुर को परीक्षण के लिए भेजे गए। तथापि, सितम्बर 2016 में संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त किए

47 विद्युत आघातों सहित।

48 'अन्य' में बीमारी, डूबने से, प्राकृतिक कारणों और अज्ञात कारण शामिल हैं।

49 माधव राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान।

बिना, मृत्यु का कारण प्राकृतिक बताते हुए प्रकरण को समाप्त कर दिया। संचालक ने बताया (दिसम्बर 2019) कि प्रकरण प्रमुवसं/ वन्यप्राणी को प्रतिवेदित किए जाएंगे और फोरेंसिक प्रतिवेदन प्राप्त कर तद्नुसार निर्णय लिया जाएगा।

अवैध शिकार, मृत्यु का एक प्रमुख कारण था, वर्ष 2014 से 2018 के दौरान 13 लेखापरीक्षित वनमंडलों में बाघ और तेंदुओं की कुल 129 में से 24 मृत्यु इसी कारण से हुई। विवरण आगे **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.3: बाघ और तेंदुआ के अवैध शिकार और जब्ती के प्रतिवेदित प्रकरण

प्रतिवेदित प्रकरण	बाघ	तेंदुए
	शिकार/ जब्ती	शिकार/ जब्ती
राज्य में	35	67
चयनित इकाईयों में	16	8
चयनित इकाईयों में *प्रतिशत*	46	12

(स्रोतः वन विभाग)

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितंबर 2021)।

3.2 वन्यप्राणी अपराधों की जांच एवं कार्रवाई

भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में विभिन्न अपराध, यथा अवैध शिकार, अवैध खनन, पेड़ों की अवैध कटाई और हटाना, अतिक्रमण, आग लगाने इत्यादि को परिभाषित किया गया है। वन अधिकारियों में इन अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों के पंजीकरण और उनकी जांच करने की शक्तियों के साथ–साथ अपराधों को प्रशमित[50] करने की शक्तियां निहित है।

3.2.1 अपराध प्रकरणों का पंजीकरण, जांच एवं निराकरण

लेखापरीक्षित वनमंडलों में पंजीबद्ध, जांच एवं प्रशमित प्रकरणों का वर्ष–वार स्थिति तालिका 3.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4: पंजीबद्ध, जांच एवं प्रशमित किये गये प्रकरणों की स्थिति

वर्ष	प्रारंभिक शेष	पंजीकृत प्रकरण	योग	जांचे गये प्रकरण	जांच हेतु लंबित प्रकरण	प्रशमित प्रकरण	न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण
2014	6137	5286	11423	4274	7149	4506	281
2015	8128	4852	12980	5426	7554	6038	311
2016	7261	4932	12193	8426	3767	6516	624
2017	5266	5327	10593	5845	4748	2272	337
2018	4419	4050	8469	5070	3399	1919	323
योग		**24447**		**29041**		**21251**	**1876**

(स्रोतः वन विभाग)

हमने पाया कि 13 लेखापरीक्षित वनमंडलों में से 12[51] में वर्ष 2014 से 2018 के दौरान प्रतिवर्ष औसतन 4,889 अपराध प्रकरण पंजीकृत हुए। 2014 से 2018 के दौरान 13 लेखापरीक्षित वनमंडलों में से 12 में पंजीकृत प्रकरणों में 23 प्रतिशत की कमी आई, जबकि जांच किए गए प्रकरणों में 2016 में 8,426 के उच्च स्तर के साथ 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। फलस्वरूप, लंबित प्रकरणों में 2015 में 7,554 के उच्चतम स्तर से 2018 में 3,399 के निचले स्तर तक 55 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी आई। ये आंकड़े जांच में स्वागत योग्य प्रगति के साथ–साथ कारित अपराधों में संभावित कमी को भी दर्शाते हैं। हमने आगे देखा कि सभी वनमंडलों द्वारा निगरानी प्रतिवेदनों में पूर्व वर्ष के अंत शेष को बाद के वर्षों के प्रारंभिक शेष में दर्शाते समय बिना कारण बताए परिवर्तित कर दिया गया।

---

50 अपराधी के अनुरोध पर अपराध हेतु जुर्माना लगाकर समझौता करना।

51 वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में कोई पंजीकृत प्रकरण नहीं था।

इन वनमंडलों में जांच किए गए 29,041 प्रकरणों में से, 21,251 प्रकरणों (73 प्रतिशत) को प्रशमित किया गया और अन्य 1,876 प्रकरण न्यायालयों को प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार, शेष 5,914 प्रकरणों, जो कि कुल प्रकरण का 1/5 भाग हैं, पर वनमंडल स्तर पर जांच पूर्ण कर लेने के बाद (प्रशमन अथवा कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ करना) लंबित थी। अभिलेखों में विलंब के कारणों का साक्ष्य नहीं मिला। हमने यह भी देखा कि विभाग, विभिन्न स्तरों पर कर्मियों की कमी से बाधित था (विवरण कंडिका 3.5.2.1 पर) जो कि त्वरित कार्रवाई में बाधक रहा।

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितंबर 2021)।

बॉक्स 3.3 : पेंगोलिन और कछुए का अवैध व्यापार

वर्ष 2014 से 2018 के दौरान राज्य में पैंगोलिन की जब्ती के कुल 16 और कछुओं की जब्ती के 21 प्रकरण प्रतिवेदित किए गए। बालाघाट जिला अवैध शिकार का प्रमुख केंद्र था, जिसमें पैंगोलिन से जुड़े 50 प्रतिशत प्रकरण और कछुओं की जब्ती के 29 प्रतिशत प्रकरण थे। बालाघाट, राज्य के उन मात्र दो जिले में से एक है जिनका कुल भौगोलिक क्षेत्र का 50 प्रतिशत से अधिक वन से आच्छादित है, और इसकी सीमाओं के भीतर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रकार समूह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इस जिले में वनस्पतियों और प्राणियों की सुरक्षा के लिए वन विभाग द्वारा पर्याप्त कार्रवाई सुनिश्चित करना विशिष्ट महत्व का है। तथापि, विभाग ने बालाघाट जिले में उच्च अपराध दर के कारणों का विश्लेषण नहीं किया। इस मुद्दे पर कोई शोध भी नहीं किया गया।

वर्ष 2014 से 2018 के दौरान 16 वनमंडलों में पेंगोलिन और कछुओं के अवैध व्यापार के 37 प्रकरण पंजीकृत किए गए जिसमें से एक प्रकरण निराकृत था, 26 प्रकरण न्यायालयों में लंबित थे और 10 प्रकरण में विभाग द्वारा जांच लंबित थी। 36 में से 6 प्रकरण तो वर्ष 2014–16 से लंबित थे।

इंडियन पेंगोलिन
(फोटोः संजय शुक्ला)

इंडियन टेंट टर्टल
(फोटोः अभिनन्दन शुक्ला)

3.2.2 फोरेंसिक जांच

अपराध–स्थल से एकत्रित नमूने की प्रजातियों की पहचान करने के लिए फोरेंसिक जांच महत्वपूर्ण है। शव का परीक्षण किया जाना और अंतरांगी सामग्री और ऊतक का नमूना फोरेंसिक जांच हेतु एक प्रतिष्ठित प्रयोगशाला में भेजा जाना आवश्यक होता है। डीएनए प्रोफाइलिंग[52] और हिस्टोपैथोलॉजी[53]

[52] वन कानूनों के उपयुक्त प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रजातियों की पहचान करने के लिए परीक्षण की आवश्यकता होती है। परीक्षण के परिणाम से तय होता है कि प्रजाति एक जंगली जानवर है या नहीं और यह भी कि क्या यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध है।

[53] हिस्टोपैथोलॉजी जांच उतकों की बीमारी का पता लगाने एवं मृत्यु या बीमारी के कारणों का अध्ययन करने हेतु किया जाता है।

परीक्षणों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए, ऊतक के नमूने भारतीय वन्यजीव संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान को भेजे जाते हैं।

राज्य में पांच फोरेंसिक प्रयोगशालाएं हैं। हमने पूर्व में मध्य प्रदेश में फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में विलंब को प्रतिवेदित[54] किया था। प्रयोगशालाओं का अपर्याप्त आधुनिकीकरण और जनशक्ति की कमी विलंब के प्राथमिक कारण थे। नीचे दर्शाए प्रकरण से, जहां रिपोर्ट मिलने में तीन वर्ष से अधिक का विलंब था, स्पष्ट है कि प्रकरणों में विलंब जारी है।

बॉक्स 3.4: फोरेंसिक जांच की अपर्याप्त निगरानी

उन्नीस वनमंडलों[55] (2000 से 2017 के मध्य) द्वारा 243 प्रकरणों के नमूने प्रजातियों की पहचान हेतु डीएनए विश्लेषण के लिए कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र, हैदराबाद को भेजे गए। 183 रिपोर्टें प्राप्त की गईं जबकि अगस्त 2007 से नवम्बर 2015 के मध्य के शेष 60 प्रकरणों से संबंधित रिपोर्ट मार्च 2017 तक प्राप्त नहीं हुई थी। अंततः प्रमुवसं/ वन्यप्राणी द्वारा इन्हें प्राप्त किया गया। किंतु रिपोर्टें प्रमुवसं/ वन्यप्राणी के पास ही रहीं, लेखापरीक्षा की पहल पर उन्हें जून 2019 में संबंधित वनमंडलों को भेजा गया।

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितम्बर 2021)।

3.3 सुरक्षा हेतु शमन उपाय

3.3.1 रेखीय अधोसंरचनाओं के विरूद्ध शमन उपाय

कई संरक्षित क्षेत्रों के भीतर, सड़कें, रेलवे पटरियाँ और पारेषण लाइनें, भू–दृश्य के आरपार होकर गुजरती हैं, जो वन्यप्राणियों के आवास को खंडित करती हैं और अक्सर जानवरों की मृत्यु का कारण बनती हैं। इस प्रकार, कई प्रजातियां खतरे में पड़ जाती हैं जो पहले से ही विकास कार्यों से गंभीर रूप से प्रभावित हो चुकी हैं। हमने इस संबंध में विद्युत, सड़क और रेल अधोसंरचना परियोजनाओं का परीक्षण किया।

3.3.1.1 विद्युत आघात

वर्ष 2014 से 2018 तक राज्य में बाघों की 115 प्रतिवेदित मृत्यु में से 16 मृत्यु विद्युत आघात से हुईं जो कि आपसी संघर्ष के बाद मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण था। इसी प्रकार राज्य में इसी अवधि में 209 तेंदुओं में से 21 की मृत्यु विद्युत आघात से हुई। इस समस्या का समाधान संवेदनशील वन क्षेत्रों में खुली विद्युत तारों के इन्सुलेशन या अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर स्थापित कर किया जाना था।

हमने पाया कि वनमंडल इन उपायों पर सार्थक उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर सके। लेखापरीक्षित वनमंडलों में से आठ[56] वनमंडलों में कुल 1,089.6 किलोमीटर विद्युत लाइन टाइगर रिजर्व/ संरक्षित क्षेत्रों से होकर गुजरती है। उपर्युक्त के अतिरिक्त 28 विद्युत लाइनें नौरादेही वनमंडल से भी गुजर रही थीं जिसकी लम्बाई अभिलेखों में अंकित नहीं थी। लेकिन, वर्ष 2013–19 के दौरान मात्र 3.6 किलोमीटर (1,089.6 किलोमीटर में से) विद्युत लाइन को इंसुलेट किया गया वह भी केवल पेंच टाइगर रिजर्व में।

---

54 मध्य प्रदेश के सामान्य और सामाजिक क्षेत्रों पर 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कण्डिका 2.2.13.1।

55 बालाघाट (दक्षिण), बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बैतूल, भोपाल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा (पूर्व), छिंदवाड़ा (दक्षिण), दमोह, गुना, ग्वालियर, होशंगाबाद, पन्ना, रीवा, सागर, सीहोर, श्योपुर, सीधी, सिवनी (दक्षिण) और सिवनी (उत्तर)।

56 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा कोर और बफर टाइगर रिजर्व, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व।

इन लाइनों में अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स भी स्थापित नहीं किए गए। फलस्वरूप, राज्य में संरक्षित क्षेत्रों में विद्युत आघात वन्यप्राणियों के लिए एक गंभीर खतरा बना रहा।

खराब कार्यान्वयन का एक कारण निधि की कमी भी थी। हमने पाया कि मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक को 12 वनमंडलों से गुजरने वाली 807.50 किलोमीटर विद्युत लाइन के इंसुलेशन हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मांगी गई (अगस्त 2013) निधि ₹ 139.26 करोड़ प्राप्त नहीं हुई। तथापि, इस गतिविधि के वित्तपोषण हेतु अन्य स्रोतों की तलाश नहीं की गई।

3.3.1.2 सड़क पर मृत्यु

वर्ष 2014 से 2018 तक 13 लेखापरीक्षित वनमंडलों में से नौ[57] में सड़क दुर्घटना में कुल 339 जानवरों की मृत्यु प्रतिवेदित की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 मार्च 2013 को अपने आदेश[58] में राज्य शासन को मध्य प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में कतिपय उपाय यथा गति अवरोधकों को स्थापित करने, गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घण्टा सीमित करने एवं रात्रि में यातायात प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने दिशानिर्देश (अक्टूबर 2016) में सड़क की चौड़ाई के अनुसार अंडरपास का निर्माण नियत किया।

बॉक्स 3.5 : कान्हा टाइगर रिजर्व में अपनाए गए शमन उपाय

हमने देखा कि कान्हा टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले राज्य राजमार्ग–26 में गति सीमा, गति अवरोधक और रात्रि यातायात प्रतिबंध जैसे उपाय लागू किए गए। बैरियर पर प्रवेश और निकास का समय तथा इनके बीच के अंतर का समय दर्ज किया जाता है जो गति–सीमा नियंत्रण की निगरानी हेतु आंकड़ा उपलब्ध कराता है।

अन्य किसी भी टाइगर रिजर्व/ संरक्षित क्षेत्रों में न तो रात्रि यातायात को प्रतिबंधित किया गया न ही गति–सीमा ही लागू की गई। टाइगर रिजर्व/ संरक्षित क्षेत्रों से गुजरने वाले सड़कों में पाए गए शमन उपायों की अपर्याप्तता का विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है।

बॉक्स 3.6 : राष्ट्रीय राजमार्ग–7 पर अपनाए गए सड़क शमन उपाय

अप्रैल 2018 में परियोजना की वन्यप्राणी अनुमति में पेंच मोंगली वन्यप्राणी अभ्यारण्य की 4.493 हेक्टेयर भूमि एवं 3.744 किलोमीटर सड़क शामिल थी। स्वीकृति में 14 भूमिगत रास्तों का निर्माण आदि जैसी शर्तें शामिल थी। तथापि, ध्वनि अवरोधकों और रात्रि यातायात एवं गति सीमा को विनियमित करने के प्रावधान नहीं थे। एक शोध–पत्र[59] में सर्पों को खतरे के बारें में जोर देने के बावजूद भी सर्प–विशेष शमन उपाय प्रावधानित नहीं किए गए।

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितंबर 2021)।

3.3.1.3 रेलवे पटरियां

रेलवे पटरियां, लेखापरीक्षित वनमंडलों में से दो, यथा संजय टाइगर रिजर्व एवं ओबैदुल्लागंज से होकर गुजरती हैं। इन वनमंडलों में वन्यप्राणियों की मृत्यु के कुल 48 पंजीकृत प्रकरणों में से 28 प्रकरण (58 प्रतिशत) रेल दुर्घटना के कारण थे।

---

57 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा कोर, कान्हा बफर, माधव राष्ट्रीय उद्यान, नौरादेही वनमंडल, ओबेदुल्लागंज वनमंडल, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व।

58 रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 202/1995 में आई.ए. क्रमांक 2062.63।

59 पेंच टाइगर रिजर्व के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग–7 पर सांपों की मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले स्थानिक पैटर्न और कारक, ए. प्रगतीश एवं आशा राजवंशी, भारतीय वन्यजीव संस्थान, 2013।

प्रमुवसं/ वन्यप्राणी ने मई 2017 में सभी क्षेत्र संचालकों एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों को उन स्थानों जहां रेल दुर्घटनाओं में जंगली जानवरों की मृत्यु हुई थी और जहाँ किसी भी प्रकार के बैरीकेड्स लगाए जाने थे तथा अण्डरपास/ ओवरपास का निर्माण किया जाना था, का नक्शा बनाने, जियो टैग करने और लम्बाई की पहचान करने के निर्देश दिए थे। तथापि, हमें ऐसे कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए जिससे पता चले कि उपर्युक्त कार्रवाई की गई। हमनें दो रेल पटरियों से संबंधित शमन उपायों का परीक्षण किया जिनके परिणाम का विवरण नीचे **तालिका 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.5 : रेलवे पटरियों पर शमन उपायों को लागू करने में कमियां

क्र. सं.	संरक्षित क्षेत्र/ टाइगर रिजर्व का नाम	रेल पटरियों की लंबाई (किलोमीटर में)	प्रतिवेदित मृत्यु (वर्ष 2014 से 2018 तक)	कमियां
1	रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य	41.420	चार तेंदुए और चार जंगली सुअर इत्यादि। आगे तीन बाघों की भी मृत्यु रातापानी वन्यप्राणी अभ्यारण्य के समीप रेल पटरी पर हुई।	राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा का प्रतिबंध भी लगाया। फिर भी, अपर महाप्रबंधक, पश्चिम मध्य रेलवे के अनुरोध पर वन विभाग ने गति सीमा प्रतिबंध को निरस्त कर दिया।
2	संजय टाइगर रिजर्व	27.500	20 वन्यप्राणी यथा, चीतल, चिंकारा, जंगली सुअर, हाइना और भालू।	भूमिगत रास्तों के लिए स्थल की पहचान नहीं की गई, चेंन लिंक घेराबंदी हेतु चयनित स्थलों की सूचना भी मुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे को नहीं दी गई। सुरक्षा उपायों की निगरानी करने वाली समिति का गठन भी प्रमुवसं/ वन्यप्राणी द्वारा नहीं किया गया।

(स्रोतः वन विभाग)

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितंबर 2021)।

3.4 बाघ संरक्षण हेतु प्रशासनिक उपाय

3.4.1 विशेष बाघ संरक्षण बल की स्थापना

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश के तीन[60] टाइगर रिजर्वों में विशेष बाघ संरक्षण बल स्थापित करने, तैनात करने और सशस्त्र करने के लिए चयनित किया गया था। वर्ष 2009–10 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राज्य शासन और इन तीन टाइगर रिजर्वों के क्षेत्र संचालकों के मध्य एक त्रिपक्षीय करार किया गया था। बल से त्वरित प्रतिक्रिया के अतिरिक्त अवैध शिकार पर निवारक प्रभाव होने की भी अपेक्षा थी।

तथापि, राज्य शासन द्वारा इन निर्दिष्ट तीनों टाइगर रिजर्वों में से किसी में भी विशेष बाघ सुरक्षा बल की स्थापना नहीं की गई। प्रमुवसं/ वन्यप्राणी ने बताया (जून 2019) कि नए पदों की संस्वीकृति और विशेष बाघ सुरक्षा बल के कर्मचारियों हेतु राज्य शासन से बजट हेतु किया गया अनुरोध लंबित है। हमने देखा कि प्रमुवसं/ वन्यप्राणी ने विशेष बाघ संरक्षण बल की सृजन हेतु राज्य शासन को प्रस्ताव फरवरी 2018 में अर्थात राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के साथ करार पर हस्ताक्षर होने के आठ वर्ष बाद भेजा। मुद्दा केवल वित्तपोषण था।

बॉक्स 3.7 : क्षेत्राधिकार के मुद्दे

वर्ष 2014 से 2018 के दौरान 115 बाघों की मृत्यु के प्रकरणों में से 79 प्रकरण संरक्षित क्षेत्रों में, 29 क्षेत्रीय वनमंडलो में और सात मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र

[60] बांधवगढ़, कान्हा और पेंच

में प्रतिवेदित किए गए। जनवरी 2018 में प्रमुवसं/ वन्यप्राणी ने वन्यप्राणी आधिक्य वाले क्षेत्रों को राज्य वन विकास निगम से क्षेत्रीय वनमंडलों को स्थानांतरित करने का सुझाव प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम को दिया। प्रमुवसं/ वन्यप्राणी द्वारा इस प्रकरण में दिए गए सुझावों पर प्रबंध संचालक द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। आगे, केवल 2018 में मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों (बरघाट परियोजना, मोहगांव परियोजना, लामटा परियोजना, और कुंडम परियोजना) में चार बाघों की मृत्यु (शिकार/ जब्ती के तीन प्रकरण एवं एक मृत्यु प्रकरण) हो गई।

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितंबर 2021)।

3.4.2 राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स

राज्य में एक राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स के साथ–साथ इसके अंतर्गत पांच क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स संचालित है।

वर्ष 2014–18 के दौरान राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने वन्यप्राणी अपराध के 27 प्रकरण पंजीकृत किए जिनमें से 23 प्रकरण न्यायालय में लंबित थे (अक्टूबर 2019 की स्थिती)। दो प्रकरणों की जांच विभाग द्वारा की जा रही थी जबकि शेष दो प्रकरणों में अपराधियों को दंडित किया जा चुका था।

न्यायालय में लंबित प्रकरणों पर प्रशासनिक कार्रवाई वांछित थी। किंतु राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स की स्थापना के बाद से कानूनी प्रकोष्ठ की स्थापना नहीं हुई थी और प्रमुवसं/ वन्यप्राणी द्वारा 2017–18 में अनुरोध किए गए अभियोजन अधिकारियों के पदों को भी सितंबर 2020 तक स्वीकृत नहीं किया गया था।

प्रमुवसं/ वन्यप्राणी ने जुलाई 2020 में बताया कि भारत सरकार से प्रमुवसं/ वन्यप्राणी को विधि प्रवर्तन एजेंसी घोषित करने का अनुरोध किया गया है और एक अलग विधिक प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए राज्य शासन को भी एक प्रस्ताव भेजा गया है, दोनो ही लंबित थे।

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितंबर 2021)।

3.5 संरक्षण हेतु संसाधन

3.5.1 उपकरण

वायरलेस सेट

आंतरिक वन क्षेत्रों में, विशेष रूप से अक्षुण्य संरक्षित क्षेत्रों में, अक्सर मोबाइल फोन नेटवर्क उपलब्ध नहीं होते और इसलिए वायरलेस नेटवर्क की उपलब्धता महत्वपूर्ण हो जाती है। वायरलेस सेट प्रसारण के भी साधन होते हैं क्योंकि इससे एक संदेश सभी संबंधितों को एक साथ भेजा जा सकता है।

लेखापरीक्षित 13 वनमंडलों में से पांच[61] ने वायरलेस सेटों की आवश्यकता का आकलन नहीं किया। तथापि, इन वनमंडलों में 698 वायरलेस सेट उपलब्ध थे जबकि अन्य 182 वायरलेस सेट अनुपयोगी थे।

अन्य आठ वनमंडलों[62] में 2,012 वायरलेस सेटों की आवश्यकता का आकलन किया गया। तथापि, इन वनमंडलों में मात्र 1,249 उपयोग करने योग्य वायरलेस सेट उपलब्ध थे तथा अन्य 793 सेट मरम्मत योग्य नहीं थे। इन अनुपयोगी वायरलेस सेटों को बदला नहीं गया था।

---

61 देवास वनमंडल, कान्हा बफर, ओबेदुल्लागंज वनमंडल, संजय टाइगर रिजर्व और वन विहार।

62 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व (कोर), कूनो राष्ट्रीय उद्यान, नौरादेही वनमंडल, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और माधव राष्ट्रीय उद्यान।

शस्त्र

द्वितीय राष्ट्रीय वन्यप्राणी कार्य योजना (2002–2016) में वन विभाग के अधिकारियों को शस्त्रों को आवश्यक रूप से साथ में रखने और उनका उपयोग आत्मरक्षा एवं वन्यप्राणियों और उनके रहवासों की रक्षा में करने हेतु राज्य पुलिस के समान अधिकार देने की अनुशंसा की। राज्य शासन ने वन विभाग को शस्त्र प्रदान किए किंतु केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य हेतु। चयनित 13 वनमंडलों में पाई गई कमियां निम्नलिखित हैं:

- आठ[63] वनमंडलों में शस्त्रों की आवश्यकता का आकलन नहीं किया गया किंतु कुल 334 शस्त्र उपलब्ध थे।
- कान्हा टाइगर रिजर्व में 13 परिक्षेत्रों के लिए पांच शस्त्र प्रति परिक्षेत्र की गणना करके 65 शस्त्रों की आवश्यकता का आकलन किया गया। वनमंडल में 76 शस्त्र उपलब्ध थे।
- तीन वनमंडलों[64] ने 67 शस्त्रों की आवश्यकता का आकलन किया। हालांकि, इन वनमंडलों के पास 107 शस्त्र उपलब्ध थे जो कि आकलन से अधिक थे।

आगे, हमने देखा कि ओबेदुल्लागंज वनमंडल में सभी टाइगर रिजर्वों की अपेक्षा अधिक शस्त्रों की उपलब्धता (83) थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वनमंडलों में शस्त्रों की आपूर्ति तर्कसंगत आंकलन के आधार पर थी या नहीं।

लेखापरीक्षित 13 वनमंडलों में उपलब्ध शस्त्र वनमंडल कार्यालय या परिक्षेत्र कार्यालय या वन चौकियों या पुलिस विभाग के स्ट्रांग रूम में रखे हुए थे। यह स्पष्ट नहीं था कि क्षेत्र में तत्काल आवश्यकता के समय शस्त्रों का त्वरित प्रदाय कैसे सुनिश्चित किया जा सकेगा। आगे, जैसा कि कंडिका 3.5.3 में उल्लेखित है संयुक्त रूप से निरीक्षित गश्ती शिविरों में से केवल सात प्रतिशत में ही शस्त्र उपलब्ध थे, वह भी केवल संजय टाइगर रिजर्व, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और ओबेदुल्लागंज वनमंडलों में ही। यह दर्शाता है कि शस्त्र–वितरण प्रक्रिया की पुनः समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

मेटल डिटेक्टर

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा–निर्देशों के अनुसार, धातु के जाल एवं फंदो का पता लगाने हेतु इलाकों में डीप सर्च मेटल डिटेक्टरों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना है। तीन लेखापरीक्षित वनमंडलों[65] में वर्ष 2014 से 2018 के दौरान 4 बाघों का शिकार फंदों के प्रयोग द्वारा किया गया था।

पांच टाइगर रिजर्वों[66] में 34 मेटल डिटेक्टर उपलब्ध थे जबकि संजय टाइगर रिजर्व में ये उपलब्ध नहीं थे। पेंच टाइगर रिजर्व में मेटल डिटेक्टरों का उपयोग वन्यप्राणी मृत्यु के प्रकरण में गोलियों और अन्य धातुओं को खोजने में किया गया। केवल पन्ना टाइगर रिजर्व ने ही उपलब्ध छः मेटल डिटेक्टरों का उपयोग परिधीय क्षेत्रों में जाल एवं फंदों का पता लगाने हेतु किया।

---

63 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा बफर, खिवनी वन्यप्राणी अभयारण्य, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, नौरादेही वनमंडल और ओबेदुल्लागंज वनमंडल।

64 कूनो राष्ट्रीय उद्यान, संजय टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व

65 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व तथा पन्ना टाइगर रिजर्व।

66 बांधवगढ़ (पांच), कान्हा कोर (दो), कान्हा बफर (छः), पन्ना (छः), पेंच (सात) और सतपुड़ा (आठ)।

3.5.2 मानवशक्ति

3.5.2.1 उपलब्धता

वन्यप्राणी संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु मानवशक्ति की पर्याप्तता महत्वपूर्ण है। तथापि, 13 लेखापरीक्षित वनमंडलों में से आठ में हमने मानवशक्ति में 20 प्रतिशत से अधिक की कमी देखी। सर्वाधिक 52 प्रतिशत की कमी उप वनक्षेत्रपाल के पदों की जबकि वन रक्षकों के पदो में 16 प्रतिशत की कमी थी। परिक्षेत्र अधिकारियों के पदों में भी 41 प्रतिशत की कमी देखी गई, जो कि परिक्षेत्र स्तर पर शीर्ष पर्यवेक्षी पद होता है। आगे विवरण **परिशिष्ट 3.2** में है।

आगे, विभाग ने वन रक्षकों[67] द्वारा निगरानी हेतु एक बीट के क्षेत्र का मानदण्ड निर्धारित नहीं किया था। एक वन रक्षक को औसतन 9.09 वर्ग किलोमीटर स्वीकृत किया गया था। हमने देखा कि स्वीकृत पदों और गश्ती क्षेत्रों के निर्धारण हेतु कोई निर्धारित मानदण्ड नहीं था जो कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में 0.10 वर्ग किलोमीटर से लेकर संजय टाइगर रिजर्व में 18.14 वर्ग किलोमीटर तक था। वनमंडलवार ब्यौरा **परिशिष्ट 3.3** में दिया गया है। 13 लेखापरीक्षित वनमंडलों में स्वीकृत पदों की तुलना में वन रक्षकों की कमी के कारण उनके द्वारा निगरानी किया जा रहा क्षेत्र औसतन 17 प्रतिशत बढ़ गया। निगरानी सीमा में वन विहार में 0.11 वर्ग किलोमीटर से लेकर संजय टाइगर रिजर्व में 19.48 वर्ग किलोमीटर तक भिन्नता थी। औसतन एक वन रक्षक 10.68 वर्ग किलोमीटर के लिए तैनात किया गया था। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कान्हा टाइगर रिजर्व (कोर), पेंच टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को छोड़कर अन्य टाइगर रिजर्व की तुलना में प्रति वर्ग किलोमीटर कार्यरत वन रक्षकों की संख्या अधिक थी। यह इंगित करता है कि इन टाइगर रिजर्वों में वन रक्षकों के स्वीकृत पदों के साथ कार्यरत संख्या तर्कसंगत नहीं थी।

राज्य शासन ने उत्तर में बताया (जुलाई 2021) कि कर्मचारियों की पदोन्नति का प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। चूंकि उप वनक्षेत्रपाल के सभी पद और परिक्षेत्र अधिकारियों के एक तिहाई पद पदोन्नति से भरे जाते हैं इसलिए इन पदों पर रिक्तियां हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एक चिड़ियाघर होने के साथ–साथ रेस्क्यू केंद्र भी है, इसलिए वहाँ मानवशक्ति की पदस्थापना अधिक प्रतीत हो रही है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान पारंपरिक रूप से डकैती और अवैध शिकार की समस्याओं से प्रभावित रहा है, तथा शेरों को भी इस संरक्षित क्षेत्र में लाया जाना था। अतः कर्मचारियों की अधिक संख्या वहां आवश्यक थी। तथापि, परिक्षेत्र अधिकारियों एवं वन रक्षकों के सीधी भर्ती हिस्से के अंतर्गत रिक्त पदों को भरने के बारे में उत्तर मौन था। विभिन्न वनमंडलों मे प्रति वर्ग किलोमीटर में वन रक्षकों की तैनाती संख्या में भिन्नता के बारे में भी उत्तर मौन था।

3.5.2.2 प्रशिक्षण

प्रशिक्षित मानवशक्ति की उपलब्धता, इष्टतम् संरक्षण प्रयासों को सुनिश्चित करने में एक आवश्यक घटक है। द्वितीय राष्ट्रीय वन्यप्राणी कार्य योजना (2002–2016) में प्रत्येक राज्य में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों हेतु एक वन्यप्राणी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया।

वन सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण

संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु अपेक्षित क्षमता वाले पेशेवरों का एक समूह विकसित करने की दृष्टि से, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा समय–समय पर उन्नत वन्यजीव प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित किया जाता है। यह पाठ्यक्रम सेवारत भारतीय वन सेवा और राज्य वन सेवा के उप वन संरक्षक/ सहायक वन संरक्षक और समकक्ष पद के अधिकारियों के लिए है। इसी

[67] बीट गार्ड के नाम से भी जाना जाता है।

प्रकार, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून सेवारत परिक्षेत्र अधिकारी/ उप वनक्षेत्रपाल के लिए भी एक प्रमाणपत्र पाठयक्रम चलाता है।

हमने देखा कि 13 लेखापरीक्षित वनमंडलों में तैनात 55 भारतीय वन सेवा/ राज्य वन सेवा अधिकारियों में से केवल 10 ने भारतीय वन्यजीव संस्थान से पाठ्यक्रम पूरा किया था। वनमंडलों ने हमें बताया की पेंच और संजय टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक ही भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में प्रशिक्षित थे। चार वनमंडलों में 90 परिक्षेत्र अधिकारियों में से मात्र सात के पास ही भारतीय वन्यजीव संस्थान का प्रमाणपत्र था।

अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का प्रशिक्षण

द्वितीय राष्ट्रीय वन्यप्राणी कार्य योजना (2002–2016) के अनुसार, प्रत्येक राज्य को अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए एक वन्यप्राणी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना चाहिए। जैव–विविधता प्रशिक्षण केंद्र, ताला, उमरिया 1980 में अस्तित्व में आया था, जो संरक्षण के साथ–साथ वन्यप्राणी और जैव–विविधता संरक्षण से संबंधित 15 मॉड्यूल संचालित करता था।

हमने देखा कि प्रशिक्षण प्रदान करने वाले कर्मियों और समय की कमी के कारण प्रशिक्षण केंद्र में वन रक्षकों के लिए गेम गार्ड प्रशिक्षण और अभिविन्यास पाठ्यक्रम 2003 से बंद कर दिए गए थे। गेम गार्ड (वन रक्षक) वन्यप्राणी संरक्षण में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी होते हैं।

लेखापरीक्षित वनमंडलों के क्षेत्र संचालकों/ संचालकों ने बताया कि विभिन्न विषयों यथा नमूनों के संग्रह और फोरेंसिक, मानव वन्यप्राणी संघर्ष आदि पर कार्यशालाएं और संगोष्ठियां आयोजित की गई हैं। हालांकि, ये अभिकथन समुचित अभिलेखों द्वारा समर्थित नहीं थे।

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितंबर 2021)।

3.5.3 गश्ती शिविर

रणनीतिक रूप से स्थित वन शिविर और सदा सतर्क कर्मचारियों द्वारा गहन गश्ती, घुसपैठ और अतिक्रमण पर नियंत्रण रखकर वन्यप्राणियों की संख्या बढ़ाने में सहायता करते हैं।

लेखापरीक्षित 13 वनमंडलों में से 12[68] में, कुल 915 गश्ती शिविर संचालित थे, संजय टाइगर रिजर्व में, 39 गश्ती शिविर मानवशक्ति की कमी के कारण निष्क्रिय थे। हमने 121 गश्ती शिविरों का संयुक्त निरीक्षण किया, जिनमें से 103 टाइगर रिजर्व में थे और शेष 18 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यप्राणी अभयारण्यों में थे। हमारे निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं–

- टाइगर रिजर्वों में 103 गश्ती शिविरों में से 99 में रजिस्टर और फील्ड फॉर्म संधारित किए गए जो गश्ती और विभिन्न घटनाओं की दैनिक गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए आवश्यक हैं। चार[69] गश्ती शिविरों ने अभिलेखों को संधारित नहीं किया;
- माधव़ राष्ट्रीय उद्यान के चार निरीक्षित गश्ती शिविरों में से दो[70] शिविर रात्रि में निष्क्रिय थे क्योंकि इनके पास बिस्तर, प्रकाश और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं। हमने पाया कि दो गतिविधियों यथा गश्ती शिविरों में हैण्डपंप की स्थापना और गश्ती शिविर की मरम्मत एवं रखरखाव में 90 प्रतिशत से अधिक की बचत थी। करैरा गश्ती शिविर, वन्यप्राणी अभ्यारण्य के स्थान पर वन कॉलोनी में स्थापित किया गया था और उसमें कर्मचारियों की तैनाती नहीं की गई थी।

---

68 वन विहार को छोडकर।

69 संजय टाइगर रिजर्व में बीछी और बांधवगढ टाइगर रिजर्व में पलहा, गबदीघाट और जोड़ातालाब।

70 फूटी बावडी और गतवाय गश्ती शिविर।

- पेंच टाइगर रिजर्व में 20 निरीक्षित शिविरों में से चार[71] शिविर झोपड़ियों में थे जो शिविर कर्मचारियों को वर्षा एवं गर्मी से पर्याप्त सुरक्षा नहीं प्रदान करते थे। हमने देखा कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 12 अन्य निरीक्षण शिविरों के निर्माण के लिए मांग की गई थी किन्तु इन चार निरीक्षण शिविरों को इस मांग में शामिल नहीं किया गया था। नौरादेही वनमंडल में देवलपानी गश्ती शिविर 2017–18 में बनाया गया था। संयुक्त निरीक्षण (अक्टूबर 2019) में हमने देखा कि भवन में खिड़कियां व दरवाजे नहीं थे और टाइल्स नहीं लगाए गए थे। यद्यपि कार्य की इन मदों के लिए भुगतान किया गया था जो कि धन के संभावित दुरुपयोग को दर्शाता है।

नव निर्मित घाटपेंडरी गश्ती शिविर, पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी, (अगस्त 2019)

पेंच टाइगर रिजर्व में मिट्टी की झोपड़ी में संचालित छिंदेवानी गश्ती शिविर (अगस्त 2019)

नौरादेही वन्यप्राणी अभ्यारण्य में देवलपानी शिविर (अक्टूबर 2019)

ओबेदुल्लागंज वनमंडल में करतोली गश्ती शिविर (दिसम्बर 2019)

अगस्त 2019 से दिसम्बर 2019 के मध्य वन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा दल द्वारा लिए गए चित्र

- अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को मिट्टी का तेल, दवाएं, फील्ड किट, मच्छरदानी, टॉर्च इत्यादि उपलब्ध कराना होता है। हमने बीट गार्डों, जो कि गश्ती शिविरों के प्रभारी होते हैं, का पूर्व निर्धारित प्रश्नावली के माध्यम से सर्वेक्षण किया, जिसका परिणाम **परिशिष्ट 3.4** में दिया गया है। सात प्रतिशत शिविरों में शस्त्र थे, 81 प्रतिशत शिविरों में बाघ ट्रेसर थे। इस प्रकार शस्त्र कुछ ही गश्ती शिविरों में उपलब्ध थे जो कि कर्मचारियों की आत्मरक्षा से समझौता था। केवल 68 प्रतिशत गश्ती शिविरों में प्रसाधन सुविधाएं थी। हमने देखा कि केवल टाइगर रिजर्व के शिविरों में दवाई किट उपलब्ध थी। अन्य संरक्षित क्षेत्रों में, इसके लिए निधि उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसके अलावा, 2014–15 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मेडिसिन किट के लिए ₹ 25,000 की मांग की गई थी, लेकिन निधि उपलब्ध नहीं कराई गई।
- शिविरों में बीट गार्डों के साथ एक या दो दैनिक मजदूर लगाए गए। वे शिविरों में ही ठहरते हैं और गश्ती भी करते हैं। उन्हें मासिक भुगतान दिया जाता है और राशन भत्ता, पानी की बोतलें और मच्छरदानियां, तथा समय–समय पर उनकी स्वास्थ्य जांच की जाती है। उन्हें साप्ताहिक छुट्टी देने

[71] छिंदेवानी, मोयाकट्टा, महुआदान और नलयार।

एवं अच्छे कार्य हेतु पुरस्कार देने का प्रावधान भी है। हमने 13 लेखापरीक्षित वनमंडलों में से 12[72] के गश्ती शिविरों में तैनात 119 मजदूरों से उनका संतुष्टि स्तर जानने के लिए प्रश्न किए। 31 प्रतिशत मजदूरों ने मजदूरी के भुगतान में विलंब की बात कही विशेषतः कान्हा बफर, बांधवगढ़ और पन्ना टाइगर रिजर्व में। कुल 69 प्रतिशत मजदूरों को स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं उपलब्ध थी किंतु दो[73] राष्ट्रीय उद्यानों और तीन[74] वन्यप्राणी अभयारण्य वनमंडलों में उपलब्ध नहीं थी। चार राष्ट्रीय उद्यान/ वन्यप्राणी अभ्यारण्य वनमंडलों[75] में पानी की बोतलें उपलब्ध नहीं कराई गईं थी और ओबेदुल्लागंज वनमंडल एवं खिवनी वन्यप्राणी अभयारण्य में मच्छरदानियां उपलब्ध नहीं कराई गईं थी। कान्हा टाइगर रिजर्व में चिकित्सा शिविर हेतु स्वीकृत ₹ 3.66 लाख के विरूद्ध 89 प्रतिशत की बचत हुई। पेंच टाइगर रिजर्व में पानी की बोतलों के लिए स्वीकृत ₹ 0.50 लाख का उपयोग नहीं किया गया था।

- संजय और सतपुड़ा टाइगर रिजर्वों को छोड़कर सभी टाइगर रिजर्वों[76] ने राशन भत्ता प्रदान किया। 12 लेखापरीक्षित वनमंडलों के 81 प्रतिशत मजदूरों को साप्ताहिक छुट्टी भी दी गई। प्रतिक्रियाओं का सारांश **परिशिष्ट 3.5** में दर्शाया गया है।

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितंबर 2021)। निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रमुख सचिव ने मजदूरों को मजदूरी भुगतान में विलंब के संबंध में कहा कि स्थिति में सुधार लाने के लिए इस प्रकरण की जांच की जाएगी।

3.6 संरक्षण के अन्य मुद्दे

3.6.1 मानव–वन्यप्राणी संघर्ष

मानवीय गतिविधियों यथा गैर–वानिकी उद्देश्यों हेतु वन भूमि व्यपवर्तन के कारण वन्यप्राणी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। दूसरी तरफ, वन्यप्राणियों के रहवासों के नजदीक रहने वाले लोगों को भी जंगली जानवरों द्वारा फसल पर हमला, मवेशियों का विनाश, मांसाहारियों द्वारा मनुष्यों पर हमले और वन्यप्राणियों से बीमारियों के संचरण के कारण आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है[77]। फलस्वरूप, मानव–वन्यप्राणी संघर्ष होते हैं और समय के साथ धीरे–धीरे बढ़ते हैं।

तीन बाघ रिजर्वों– पेंच, कान्हा और सतपुड़ा की बाघ संरक्षण योजनाएं सामान्य तौर पर मानव–वन्यप्राणी संघर्ष के कारणों को चिन्हित करती हैं। इनमें से दो[78] संघर्ष की घटना के प्रकरण में निर्दिष्ट कार्रवाई[79] को भी चिन्हित करते हैं। बांधवगढ़, पन्ना और संजय टाइगर रिज़र्वों में कोई अनुमोदित बाघ संरक्षण योजना नहीं थी (कंडिका 2.2.1 में भी संदर्भित)।

---

72 वन विहार को छोड़कर।

73 कूनो वन्यपाणी अभयारण्य और माधव राष्ट्रीय उद्यान वनमंडल।

74 देवास (सामान्य) वनमंडल, नौरादेही वनमंडल और ओबेदुल्लागंज वनमंडल।

75 देवास (सामान्य) वनमंडल, माधव राष्ट्रीय उद्यान, नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य और ओबेदुल्लागंज वनमंडल।

76 भारत के राजपत्र (जुलाई 2014) द्वारा यथा संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38–ण की उप–धारा (1) का उपबंध (ग) द्वारा बीट गार्ड्स के साथ–साथ शिविर मजदूरों को राशन भत्ता प्रदान करने की अनुमति।

77 बाघ संरक्षण योजना (कोर), पेंच टाइगर रिजर्व की कंडिका 5.5।

78 कान्हा और सतपुड़ा।

79 प्रबंधन परिवार को सांत्वना देता है, जल्द से जल्द निर्धारित अनुग्रह राशि का भुगतान करता है और साथ ही साथ ग्रामीणों के पार्क विरोधी गुस्से/ विरोध को शांत करता है। प्रबंधन सार्वजनिक घोषणाओं और गांवों में पर्चे के वितरण के माध्यम से सीमाओं की अनुल्लंघनीयता के बारे में जागरूकता फैलाने का भी प्रयास करता है, ताकि मानव–वन्यप्राणी संघर्ष के ऐसे मामलों को कम से कम रखा जा सके।

मांसाहारियों द्वारा किए गए हमलों के कारण पशुओं का शिकार/ घायल होने और मानव मृत्यु/ घायल होने के लिए दिए गए मुआवजे का विवरण **परिशिष्ट 3.6** में दर्शाया गया है। 11 वनमंडलों[80] के प्रबंधन ने 2014–19 के दौरान पांच वर्षों में मांसाहारियों के हमलों द्वारा मवेशियों के शिकार/ घायल होने के 17,466 प्रकरणों के लिए ₹ 15.44 करोड़ और मनुष्यों के घायल होने और मृत्यु के 1,156 प्रकरणों के लिए ₹ 1.66 करोड़ का मुआवजा दिया। माधव और वन विहार राष्ट्रीय उद्यानों में मानव–वन्यप्राणी संघर्ष का कोई मामला नहीं था। 2014–19 के दौरान मानव–वन्यप्राणी संघर्ष के कुल प्रतिवेदित मामलों में 73 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

पशु शिकार को दर्शाती एक तस्वीर
(स्रोतः बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व)

चयनित वनमंडलों के प्रबंधन द्वारा कान्हा टाइगर रिजर्व को छोड़कर संघर्षों को कम करने हेतु स्थल विशिष्ट के लिए उपायों को निर्धारित करने और लागू करने के लिए मानव–वन्यप्राणी संघर्ष की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई थी। कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक ने कहा कि टाइगर रिजर्व के चार परिक्षेत्रों को मानव–वन्यप्राणी संघर्ष के प्रकरणों के लिए हॉट–स्पॉट के रूप में पहचाना गया है।

उत्तर में, शासन ने कहा (जुलाई 2021) कि वन्यप्राणियों की जनसंख्या और गलियारों में रहवासों में वृद्धि के कारण, मवेशियों की मौत और चोट के मामलों में वृद्धि हुई। इसके अलावा, संरक्षित क्षेत्रों के पास के क्षेत्रों में क्षेत्रीय बचाव दल और जागरूकता कार्यक्रमों के संचालन ने मानव–वन्यप्राणी संघर्ष पर नियंत्रण को सुदृढ़ किया है। हालांकि, आंकड़े वर्ष के दौरान मानव–वन्यप्राणी संघर्षों में निरंतर वृद्धि दर्शा रहे हैं।

फसलों पर आक्रमण

शाकाहारी वन्यप्राणी जंगलों के पास के खेतों पर आक्रमण कर फसलों को नष्ट करते हैं जिससे निवासियों और वन्यप्राणियों के बीच में शत्रुता विकसित हुई। जनवरी 2014 में राज्य शासन की अधिसूचना के अनुसार फसल आक्रमण प्रकरणों का निराकरण राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है।

हमने पाया कि इस प्रकार की घटनाओं में राजस्व विभाग द्वारा मुआवजे का भुगतान करने की आवश्यकता होती है जो वन विभाग के फील्ड स्टाफ के साथ संयुक्त निरीक्षण के आधार पर किया जाता है, इस तथ्य के बावजूद वनमंडलों ने फसल आक्रमण पर आंकड़े संधारित नहीं किए।

3.6.2 जंगली प्रजातियों में आनुवांशिक बदलाव

द्वितीय राष्ट्रीय वन्यप्राणी कार्य योजना (2002–2016) के अनुसार, कुछ जंगली प्रजातियों की आनुवांशिक शुद्धता में परिवर्तन पालतू या जंगली समकक्षों के साथ इनब्रीडिंग के माध्यम से एक और गंभीर आसन्न खतरा है, जो जंगली भैंस, जंगली सुअर और जंगली मुर्गी जैसी प्रजातियों की आनुवांशिक शुद्धता को गंभीर रूप से खतरे में डाल रहा है। द्वितीय राष्ट्रीय वन्यप्राणी कार्य योजना में घरेलू और जंगली प्रजातियों के प्रवेश को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की बात की गई जो आनुवांशिक बदलाव लाने का कारण हो सकते हैं[81]।

---

80 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, देवास वनमंडल (खिवनी वन्यप्राणी अभयारण्य), कान्हा टाइगर रिजर्व (कोर), कान्हा टाइगर रिजर्व (बफर), कूनो नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व, नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य, पेंच टाइगर रिजर्व, ओबेदुल्लागंज वनमंडल, संजय टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व।

81 स्थानीय जीनो को संकरों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना।

वन्यप्राणियों के रहवासों में घरेलू और जंगली प्रजातियों के प्रवेश को पशु–रोधी दीवारों और खाइयों के निर्माण और परिधीय क्षेत्रों में गश्ती द्वारा नियंत्रित किया जाना है। हालांकि, उपलब्ध बाघ संरक्षण योजनाओं/ चयनित वनमंडलों की प्रबंध योजनाओं ने आनुवांशिक बदलाव के मुद्दे का उल्लेख नहीं किया। हमने देखा कि भारत में बाघों, सह–शिकारियों और शिकार की स्थिति पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट, 2018 ने राज्य के सभी छः टाइगर रिजर्वों में घरेलू कुत्तों और पशुधन के अधिक संख्या में दिखाई देने पर प्रकाश डाला। संबंधित टाइगर रिजर्व/ संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन ने भी आनुवांशिक बदलाव के प्रति संवेदनशील प्रजातियों की पहचान नहीं की थी।

राज्य शासन प्रेक्षण पर सहमत हुआ (सितम्बर 2021)।

3.6.3 वन्यप्राणियों का स्थानान्तरण

एक प्रजाति को एक स्थान से पकड़कर परिवहन कर दूसरे स्थान पर छोड़ना स्थानान्तरण है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 12 (बब) के अनुसार, मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक किसी भी जंगली जानवर को उपयुक्त वैकल्पिक रहवास में स्थानांतरित करने की अनुमति दे सकता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की मानक संचालन प्रक्रिया[82] निर्दिष्ट करती है कि स्थानान्तरण से पहले नये स्थान पर क्षेत्रीय सुरक्षा और शिकार की पर्याप्तता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, स्थानान्तरण के लिए अनुमति देने से पहले नये स्थान की उपयुक्तता प्रमुख विमर्श होता है। राज्य में चयनित वनमंडलों में वन्यप्राणियों के स्थानान्तरण पर हमारे निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

- संजय टाइगर रिजर्व में, 2014–19 के दौरान मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा तीन प्रजातियों यथा बाघ, तेंदुआ और चीतल को टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई। पन्ना, पेंच, बांधवगढ़ और कान्हा टाइगर रिजर्वों से छः बाघ, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से 324 चीतल और सतना (सामान्य) वनमंडल और कान्हा टाइगर रिजर्व से दो तेंदुए संजय टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किए गए थे। क्षेत्र संचालक द्वारा बताए गए वर्तमान स्थिति के अनुसार दो बाघों की मौत आपसी संघर्ष और बीमारी के कारण हुई, जबकि चीतल और तेंदुआ टाइगर रिजर्व में विचरण कर रहे थे;

- ओडिशा में सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व एक ऐसे वंशावली का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मेलानिस्टिक[83]बाघ पैदा करता है और इस स्थान में एक अद्वितीय जीन समूह होने की संभावना है। मध्य भारत के अन्य क्षेत्रों से बाघों को इस समूह में स्थानांतरित ना करके इस समूह की आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखने की आवश्यकता है[84]।

  राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने नये स्थान पर सुरक्षा और शिकार क्षेत्र सुनिश्चित करने की शर्त के साथ सतकोसिया टाइगर रिजर्व में बाघों के पुर्नस्थापन की अनुमति दी (दिसंबर 2016)। इस प्रक्रिया में छः बाघों को स्थानांतरित किया जाना था। जून 2018 में कान्हा टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से क्रमशः एक नर और एक मादा बाघ का स्थानांतरण किया गया था। कथित तौर पर नवंबर 2018 में नर बाघ की मौत फंदे में लगी चोटों से हो गई। अन्य चार बाघों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, बाघिन को वापस लाया गया और कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बाड़े में रखा गया (मार्च 2021)।

---

82 भू–दृश्य स्तर पर स्रोत क्षेत्रों से बाघों के पुनर्वास की ओर सक्रिय प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली।

83 एक दुर्लभ जीन पूल जिस पर टाइगर्स की काली धारियां अधिक प्रमुखता से होती हैं।

84 भू–दृश्य स्तर पर स्रोत क्षेत्रों से बाघों के पुनर्वास की ओर सक्रिय प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली।

इस प्रकार, दो बाघों का सतकोसिया टाइगर रिजर्व में स्थानान्तरण राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मानक संचालन प्रक्रिया के प्रावधानों के विरूद्ध था और नए स्थल पर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

उत्तर में, शासन ने कहा (जुलाई 2021) कि दो बाघों का सतकोसिया में स्थानान्तरण राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार किया गया था और बाघों के संरक्षण और रख रखाव की जिम्मेदारी ओडिशा राज्य की थी। हालांकि, मानक संचालन प्रक्रिया ने मध्य भारत के अन्य क्षेत्रों से बाघों को सतकोसिया टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित नहीं करने का सुझाव दिया था। इसके अतिरिक्त, प्रमुवसं/वन्यप्राणी द्वारा सतकोसिया टाइगर रिजर्व में संरक्षण और शिकार आधार उपलब्ध होना सुनिश्चित नहीं किया गया जैसा कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मानक संचालन प्रक्रिया के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक है।

- जनवरी 2015 और जनवरी 2017 के मध्य 33 बारासिंघाओं को एक वैकल्पिक घर प्रदान करने की दृष्टि से कान्हा टाइगर रिजर्व से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया और पशुओं को एक बाड़े में रखा गया। टाइगर रिजर्व में उनकी जनसंख्या बढ़ने के बाद जनवरी 2019 में 72 बारासिंघाओं का होना प्रतिवेदित किया गया, जिनमें से 51 को जंगल में छोड़ दिया गया (जनवरी 2019)। हालांकि, मार्च 2020 के बाद छोडे गए बारासिंघाओं की नियमित निगरानी नहीं की गई। हमने आगे देखा कि स्थानान्तरण से पहले टाइगर रिजर्व में उनके भोजन के लिए आवश्यक पर्याप्त दलदलों की उपलब्धता का विश्लेषण नहीं किया गया था।

  सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक ने बताया (सितंबर 2020) कि भविष्य में छोड़े गए जानवरों की नियमित निगरानी को स्थानान्तरण के लिए तैयार प्रोटोकॉल में शामिल किया जाएगा। तथापि, जंगल में छोड़े गए बारासिंघाओं की निगरानी पर क्षेत्र संचालक द्वारा किए जाने वाले तत्काल उपायों के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया। जंगल में छोड़े गए बारासिंघाओं की पर्याप्त निगरानी के बिना, स्थानान्तरण प्रक्रिया की सफलता या विफलता का आकलन नहीं किया जा सकता है। आगे विभाग ने यह भी नहीं बताया कि नया प्रोटोकॉल तैयार किया गया या नहीं।

हमने राज्य में सफल स्थानान्तरण के प्रकरण पाए जो नीचे बॉक्स 3.8 में दर्शाए गए हैं:

बॉक्स 3.8: सफल स्थानान्तरण

- अगस्त 2014 में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अपनी मां की मृत्यु के बाद पांच महीने की एक मादा बाघ शावक को बचाया गया था। बाद में, उसे मार्च 2016 में संजय टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया। अक्टूबर 2016 में, उसे जंगल में छोड़ दिया गया था। पहली बार उसने जून 2017 में तीन शावकों के समूह और दूसरी बार मार्च 2019 में चार शावकों के समूह को जन्म दिया। प्रथम बार में जन्में तीनो शावक बड़े हो गए और संजय टाइगर रिजर्व के जंगलों में स्वयं का इलाका स्थापित कर लिया है।

  इस प्रकार, एक अनाथ शावक का स्थानान्तरण किया गया, उसकी देखभाल की गई और एक बाड़े के अंदर बंदी जानवर के रूप में पाला गया, एक वयस्क के रूप में जंगल में छोड़ा गया और लुप्तप्राय प्रजातियों की आबादी को बढ़ाया गया, जिसने स्थानांतरण के माध्यम से संरक्षण का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया।

दुबरी परिक्षेत्र में चीतल और बाघ के बाड़े,
(फोटोः क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान लेखापरीक्षा दल)

मांद में शावक के साथ बाघिन,
(फोटोः परिक्षेत्र अधिकारी, दुबरी वन्यप्राणी अभयारण्य)

- इसी प्रकार, मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्य प्रदेश की स्वीकृति (मार्च 2018) के अंतर्गत अप्रैल 2018 में नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य में एक बाघ और एक बाघिन को लाया गया था। इन बाघों को पहले कान्हा टाइगर रिजर्व के घोरेला बाड़े में रखा गया था और नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया। इस बाघिन ने भी मई 2019 में वन्यप्राणी अभयारण्य में तीन शावकों को जन्म दिया है।
- वर्ष 2009 में पन्ना टाइगर रिजर्व से बाघों की पूरी जनसंख्या खत्म हो गई थी (बॉक्स 3.1)। बाघों के पुर्नस्थापन का कार्य नवंबर 2009 से प्रारम्भ किया गया था और 2018 बाघ जनगणना के अनुसार टाइगर रिजर्व 25 वयस्क बाघों से भरा हुआ था।

3.6.4 ईको पर्यटन

ईको पर्यटन, "प्राकृतिक क्षेत्रों की जिम्मेदार यात्रा है जो पर्यावरण को संरक्षित करती है और स्थानीय लोगों के हितों में सुधार करती है"। इसने एक संरक्षित क्षेत्र को एक व्यापक समुदाय से जोड़ने और संरक्षण के लिए समर्थन तैयार किया, जबकि बड़े पैमाने पर जनता में पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्य और नाजुकता के बारे में जागरूकता बढ़ाई[85]।

3.6.4.1 टाइगर रिजर्वों में पर्यटक वाहन का विनियमन

बाघ संरक्षण के लिए, गैर–उपभोग्य[86], विनियमित, कम प्रभाव वाले पर्यटन को कोर या क्रिटिकल बाघ रहवास के अंदर अनुमति दी जानी चाहिए। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 टाइगर रिजर्व में पर्यटन गतिविधियों के लिए नियामक मानकों को उचित अनुपालन के लिए विशेष रूप से निर्धारित करने का प्रावधान करता है।

तदनुसार, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा टाइगर रिजर्व की वाहन धारण क्षमता अनुमोदित की गई थी (सितंबर 2015), जो 2017–18 तक लागू रही। मई 2018 में, प्रमुवसं/ वन्यप्राणी द्वारा **तालिका 3.6** में दर्शाए अनुसार धारण क्षमता में वृद्धि कर दी।

85 पेंच टाइगर रिजर्व के बाघ संरक्षण योजना की कंडिका 11.2।

86 किसी भी वन क्षेत्र से वन संसाधनों का ऐसा उपयोग जो, उस बिंदु पर या उसके निकट जहां से इसे लिया गया था, वहां उसे मात्रा या गुणवत्ता में पर्याप्त कमी के बिना वापस किया गया।

तालिका 3.6: सितंबर 2015 में अनुमोदित धारण क्षमता और अक्टूबर 2018 में समिति द्वारा दिया गया सुझाव

क्र. स.	टाइगर रिजर्व	धारण क्षमता		
		सितंबर 2015	अक्टूबर 2018	प्रतिशत वृद्धि
1	कान्हा टाइगर रिजर्व	140	178	27
2	पेंच टाइगर रिजर्व	88	99	13
3	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व	111	147	32
4	पन्ना टाइगर रिजर्व	70	85	21
5	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व	24	140	483
6	संजय टाइगर रिजर्व	–	80	–

(स्रोतः प्रमुवसं/ वन्यप्राणी)

हमने देखा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने संशोधित धारण क्षमता को अस्वीकार कर दिया (अक्टूबर 2018) और निर्देशित किया कि वाहनों को पूर्व निर्धारित धारण क्षमता के अनुसार प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। फिर भी विभाग ने अक्टूबर 2018 से बढ़ी हुई क्षमता के अनुसार वाहनों के प्रवेश की अनुमति देना जारी रखा। प्रमुवसं/ वन्यप्राणी ने ऑनलाइन सिस्टम में बुक किए गए टिकटों के वापसी में समस्या का हवाला दिया।

वर्ष 2014–19 के दौरान एक पर्यटन वर्ष[87] में छः टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों की संख्या 6.65 लाख से बढ़कर 9.80 लाख (47 प्रतिशत) हो गई। कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में किए गए एक अध्ययन[88] ने विशिष्ट बाघों के फेकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड[89] मेटाबोलाइट[90] सांद्रता तथा पर्यटन और गैर–पर्यटन अवधि के दौरान संबंधित रिजर्व के मानवजनित विघ्न की स्थिति का आकलन करके मानवजनित विघ्न और शारीरिक तनाव के स्तर के बीच संबंधों की जांच की। अध्ययन प्रतिवेदन में वाहनों के यातायात और पर्यटक वाहनों की संख्या के सख्त विनियमन, कृत्रिम जलाशयों को पर्यटक सड़कों से दूर स्थानांतरित किए जाने और टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से गांवों के स्थानांतरण सहित अन्य मानवजनित विघ्न को कम किए जाने की सिफारिश की गई।

प्रमुवसं/ वन्यप्राणी ने वहन क्षमता में वृद्धि को वापस लेने हेतु इस अध्ययन प्रतिवेदन को संज्ञान में नहीं लिया और इसके बजाय ऑनलाइन प्रणाली में बुक टिकटों की वापसी की समस्या बताई।

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितम्बर 2021)।

3.6.5 रोग नियंत्रण

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक को वन्यप्राणी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान[91] के पांच किलोमीटर या उसके भीतर रखे गए पशुओं के संक्रामक रोगों के खिलाफ टीकाकरण के लिए निर्धारित उपाय करना है। बीमारी के प्रकोप को रोकने और बड़े पैमाने पर मृत्यु दर को नियंत्रित करने हेतु समय पर कार्यवाई रोग नियंत्रण के लिए भी आवश्यक है[92]।

87 जुलाई से जून के मध्य।

88 अभिनव त्यागी और अन्य, 2019, मानवजनित अशांति के कारण बाघों की शारीरिक तनाव प्रतिक्रियाएं, विशेष रूप से दो केंद्रीय भारतीय टाइगर रिजर्व में पर्यटन, लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयोगशाला, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद–सेलुलर और आणविक जीवविज्ञान केंद्र, हैदराबाद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा सह–वित्त पोषित।

89 ग्लूकोकार्टिकोइड्स तनाव के प्रतिक्रिया में एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित आवश्यक स्टेरॉयड हार्मोन हैं।

90 विश्लेषण विभिन्न प्रकार के तनावों के लिए वन्यप्राणियों की शारीरिक प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए एक गैर–आक्रामक विधि प्रदान करता है और वन्यप्राणी प्रबंधन और संरक्षण में एक महत्वपूर्ण निगरानी तकनीक है।

91 वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35(8) के साथ पठित 33क।

92 पेंच टाइगर रिजर्व की बाघ संरक्षण योजना की कंडिका 12.2।

3.6.5.1 रोग निगरानी

जंगली जानवरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए समय–समय पर परजीवीय और संक्रामक रोगों की निगरानी और सर्वेक्षण करना आवश्यक है जिससे कि बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

लेखापरीक्षित 13 वनमंडलों में से तीन[93] में पशु चिकित्सक का कोई पद स्वीकृत नहीं था जबकि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्वीकृत होने पर भी पद फरवरी 2016 से रिक्त पड़ा था। हमने देखा कि रिक्तियों को भरने के लिए कोई कार्रवाई अभिलेख में नहीं थी। कान्हा टाइगर रिजर्व को छोड़कर पशु चिकित्सा सहायक का कोई स्वीकृत पद नहीं था। रोगग्रस्त/ घायल जंगली जानवरों की बुनियादी स्वास्थ्य निगरानी में अग्रिम पंक्ति के मैदानी कर्मचारियों (वन रक्षक, वनपाल और परिक्षेत्र अधिकारी) को प्रशिक्षण भी अपर्याप्त था। यहां तक कि प्रशिक्षण कैलेण्डर भी तैयार नहीं किया गया था। किसी भी टाइगर रिजर्व/ संरक्षित क्षेत्र में पशु चिकित्सा औषधालय या अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशाला वाला अस्पताल स्थापित नहीं किया गया था। इन बिन्दुओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013–14[94] के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी प्रकाश डाला गया था। तथापि, यह लेखापरीक्षित वनमंडलों में अभी भी उपलब्ध नहीं थे।

घरेलू पशु जो वन्यप्राणियों के बीच बीमारी को प्रसारित कर सकते हैं, उनमें पैर और मुंह की बीमारी, ब्लैक क्वार्टर और हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया होने से रोकने के लिए टीकाकरण की आवश्यकता होती है। हमने पाया कि वन विभाग ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मध्य प्रदेश के साथ एक प्रभावी समन्वय तंत्र स्थापित नहीं किया जिससे लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के गांवों में टीकाकरण किए जाने योग्य कुल पशुओं का आंकड़ा प्राप्त किया जा सके। यहां तक कि बांधवगढ़ और कान्हा टाइगर रिजर्व को छोड़कर, लेखापरीक्षित वनमंडलों के पास यह आंकड़ा उपलब्ध भी नहीं था।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग और गैर सरकारी संगठनों की मदद से छः[95] टाइगर रिजर्व के साथ–साथ माधव और कूनो राष्ट्रीय उद्यानों में और आसपास के गांवों में मवेशियों का रोगनिरोधी टीकाकरण किया गया था। हालांकि, कुल उपलब्ध मवेशियों के आंकड़ों के अभाव में हम सभी मवेशियों के टीकाकरण पर आश्वासन प्राप्त नहीं कर सके। पांच संरक्षित क्षेत्रों[96] में मवेशियों का टीकाकरण नहीं किया गया था। कान्हा टाइगर रिजर्व में भी लगभग 40 प्रतिशत उपलब्ध मवेशियों का ही टीकाकरण किया गया, जबकि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में चिन्हित 162 गांवों में से केवल पांच गांवों में टीकाकरण 2015–16 में किया गया था।

इस प्रकार, पशुपालन और डेयरी विभाग से अपर्याप्त समन्वय के साथ–साथ अपर्याप्त स्वास्थ्य अधोसंरचना विशेषतः पशुचिकित्सा स्टाफ की कमी के कारण बीमारी निगरानी प्रभावित हुई।

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितम्बर 2021)।

---

93 ओबेदुल्लागंज, नौरादेही और देवास।

94 2015 की प्रतिवेदन संख्या 1 'टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यप्राणी अभ्यारण्यों की कार्यप्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा की कंडिका संदर्भ 2.1.9.2।

95 बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय और सतपुड़ा।

96 खिवनी वन्यप्राणी अभयारण्य, नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य, रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य, सिंघोरी वन्यप्राणी अभयारण्य एवं वनविहार राष्ट्रीय उद्यान।

3.6.5.2 कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से खतरे के विरूद्ध कार्रवाई

कुत्ते, खुर वाले पशु (जिसका वे शिकार करते हैं) और मांसाहारी पशुओं, दोनों के लिए खतरा हैं क्योंकि वे रेबीज, पारवोवायरस और डिस्टेंपर जैसे संक्रामक बीमारी फलाते हैं[97]। जून 2013 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने निर्देशित किया कि टाइगर रिजर्वों के आस–पास रहने वाले आवारा मवेशियों, कुत्तों और बिल्लियों का नियमित अंतराल पर टीकाकरण किया जाना चाहिए। जनवरी 2014 में इसने पुनः निर्देशित किया कि शव–परीक्षण के दौरान रक्त/ ऊतक के नमूने, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस की जांच हेतु निर्दिष्ट संस्थानों को भेजा जाना चाहिए।

हमने देखा कि पन्ना टाइगर रिजर्व को छोड़कर, कुत्तों और बिल्लियों को कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से प्रतिरक्षित नहीं किया गया था। पन्ना टाइगर रिजर्व को छोड़कर, जहां परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 2014 से 2018 के दौरान कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के कारण एक बाघ और दो तेंदुए की मौत हो गई थी, अज्ञात बीमारियों के कारण मरने वाले बाघों के ऊतकों का नमूना कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के निदान के लिए निर्दिष्ट संस्थानों को नहीं भेजा गया था।

प्रमुवसं/ वन्यप्राणी ने कहा (अगस्त 2019) कि कैनाइन डिस्टेंपर वायरस का कोई मामला नहीं पाया गया। इसलिए कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से संबंधित कार्रवाई नहीं की गई थी। हालांकि, उत्तर गलत था क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व के नमूनों से भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के तीन मामलों का पता लगाया गया था (अगस्त 2015, नवंबर 2015 और दिसंबर 2016)।

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितम्बर 2021)।

3.7 अनुशंसाएं

5. *विभाग को शिकार और मौतों की उच्च घटनाओं के लिए कारणात्मक कारकों की पहचान कर स्थल विशिष्ट सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए हॉट स्पॉट की पहचान करना चाहिए;*

6. *राज्य शासन को विशेष बाघ संरक्षण बल की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाना चाहिए;*

7. *विभाग को उपयुक्त मानदण्ड और पैमाने तैयार कर मानव संसाधन और अन्य संसाधनों की स्वीकृति और तैनाती को युक्तिसंगत बनाना चाहिए;*

8. *विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक टाइगर रिजर्व/ राष्ट्रीय उद्यान/ वन्यप्राणी अभयारण्य के लिए एक स्थन विशिष्ट मानव–वन्यजीव संघर्ष शमन योजना तैयार और कार्यान्वित की गई है;*

9. प्रमुवसं/ वन्यप्राणी *को पर्याप्त स्टाफ, प्रशिक्षण और आधारभूत संरचना प्रदान करके रोग नियंत्रण और निगरानी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए;*

10. *विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यटन से संबंधित गतिविधियां और बुनियादी ढांचे युक्तिसंगत हों जिससे जंगली जानवरों और रहवासों की भलाई में बाधा न आए;*

11. *राज्य शासन को अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों से संबंधित कार्यों हेतु वित्त पोषण में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए।*

---

97 राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, 2018, भारत में बाघों, सह–शिकारियों और शिकार की स्थिति पर रिपोर्ट।

अध्याय 4
वन्यप्राणी रहवासों का प्रबंधन एवं समेकन

फोटो सौजन्य (ऊपर से, बाएं से दाएं):
भोपाल बर्डस, अभिनंदन शुक्ला, संजय दत्त
सईद तारिक कमाल, फैजान खान, अभिनंदन शुक्ला
भोपाल बर्डस, अभिनंदन शुक्ला, अभिनंदन शुक्ला

अध्याय–4

वन्यप्राणी रहवासों का प्रबंधन एवं समेकन

सारांश

द्वितीय राष्ट्रीय वन्यप्राणी कार्य योजना (2002–2016) ने वन्यप्राणी और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक रणनीति के रूप में संरक्षित क्षेत्रों की सीमा बढ़ाने के प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। हमने पाया कि 645.84 वर्ग किलोमीटर संरक्षित भूमि में अधिसूचना की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सका और प्रक्रियात्मक और निर्णय लेने में देरी के कारण राज्य में लगभग 1,583.772 वर्ग किलोमीटर को टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में जोड़ा नहीं जा सका।

राज्य शासन ने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम द्वारा पठित मुनारों की स्थिति, वन विभाग द्वारा डिजीटाईज्ड वन–सीमा मानचित्र, और राजस्व विभाग द्वारा डिजीटाईज्ड भू–कर मानचित्रों का उपयोग करते हुए वन–राजस्व सीमा का मिलान करने का निर्देश जारी किया था। हमारी लेखापरीक्षा में पाया गया कि न तो डिजिटल मानचित्रों एवं भू–कर मानचित्रों के माध्यम से वन–राजस्व सीमा का मिलान किया गया और न ही 13 लेखापरीक्षित वनमंडलों में से किसी में भी पर्याप्त सीमा सर्वेक्षण किया गया।

लैंटाना, खरेटी, गाजर घास, चकौडा और वन तुलसी मध्य प्रदेश में वन्यप्राणी रहवासों में पाए जाने वाले तेजी से फैलने वाले प्रमुख विदेशी पौधे हैं। हमने पाया कि उनके उन्मूलन के संबंध में नियोजित कार्य का लगभग 50 प्रतिशत ही विभाग द्वारा निष्पादित किया जा सका।

जल निकायों के उपयुक्त प्रबंधन के लिए जल निकायों में जल की उपलब्धता की नियमित निगरानी आवश्यक है। हमने वनमण्डलों में इस तरह की गतिविधि का कोई प्रमाण नहीं देखा। इसके अलावा, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में जल मार्ग में परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव जैसी कमियों पर उचित उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। माधव राष्ट्रीय उद्यान, नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य और ओबेदुल्लागंज वनमंडल में अग्निशमन योजनाओं में कमियां देखी गईं और संजय टाइगर रिजर्व को छोड़कर लेखापरीक्षित वनमंडलों में पर्याप्त अग्निशमन उपकरण उपलब्ध नहीं थे।

मानवजनित गतिविधियाँ, जैसे कृषि भूमि का विस्तार, मानव आवास और अवैध खनन प्रमुख खतरे हैं जो वन्यप्राणियों के रहवासों के बिगड़ने और विखंडन के लिए जिम्मेदार हैं। हमने देखा कि टाइगर रिजर्व में और उसके आसपास वाणिज्यिक गतिविधियों, यातायात नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन का विनियमन पर्याप्त नहीं था, जो वन्यप्राणियों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न करते हैं एवं वन्यप्राणी आवासों में और विखंडन पैदा करते है। 13 लेखापरीक्षित वनमंडलो में 6,942.906 हेक्टेयर क्षेत्र पर अतिक्रमण बताया गया था, जिसमें से केवल वनमंडल कार्यालय, ओबेदुल्लागंज वनमण्डल ने 2014–19 के दौरान 279.989 हेक्टेयर वन भूमि में बेदखली की सूचना दी थी। हमने पाया कि 13 लेखापरीक्षित वनमंडलों में से 12 में पेड़ों की अवैध कटाई के मामले धीरे–धीरे 4,303 से घटकर 3,307 हो गए थे। पांच वनमंडलों में अवैध कटाई के मामले बढ़े जबकि सात अन्य वनमंडलों में घटे।

राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों के बीच पर्याप्त समन्वय की कमी, मुआवजे के भुगतान का लम्बित रहने, भूमि पर पुनः कब्जा, प्रबंधन एवं जनप्रतिनिधियों के बीच सहमति का अभाव तथा गांवों को वन भूमि के रूप में अधिसूचित करने में विलम्ब के कारण संरक्षित क्षेत्रों के मुख्य खंडों में से गांवों के स्थानांतरण में देरी हुई।

रहवास एक ऐसा स्थान है जहां प्रजातियां रहती हैं तथा इसमें आत्मनिर्भर आबादी को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक संसाधन शामिल हैं। रहवास पर विभिन्न कारकों से खतरे उत्पन्न होते हैं जैसेः

- जंगल की आग;
- अतिक्रमण;
- वनों का विखंडन;
- तेजी से फैलने वाली विदेशी प्रजातियां।

निम्नलिखित कंडिकाएं मध्य प्रदेश में वन्यप्राणी रहवास के प्रबंधन और समेकन पर हमारे निष्कर्षों की चर्चा करती हैं।

4.1 संरक्षित क्षेत्रों और टाइगर रिजर्वों का आवर्धन

द्वितीय राष्ट्रीय वन्यप्राणी कार्य योजना (2002–2016) ने वन्यप्राणी और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक रणनीति के रूप में संरक्षित क्षेत्रों की सीमा बढ़ाने के प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। 80–100 बाघों की व्यवहार्य आबादी को बनाए रखने के लिए, 800–1,200 वर्ग किलोमीटर के एक अनछुए स्थान की आवश्यकता होती है।

अक्टूबर 2018 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कूनो वन्यप्राणी अभयारण्य की पुनः अधिसूचना के अलावा जनवरी 2011 के बाद राज्य में कोई नया राष्ट्रीय उद्यान या वन्यप्राणी अभयारण्य अधिसूचित नहीं किया गया था। हमने चार उदाहरणों पर भी ध्यान दिया जहां राज्य शासन ने क्षेत्रों को बढ़ाने के अवसरों का लाभ नहीं उठाया। ऐसा ही एक उदाहरण बॉक्स 4.1 में है।

बॉक्स 4.1: इंदिरा सागर परियोजना अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर 1987 में नर्मदा सागर परियोजना, जिसे इंदिरा सागर परियोजना के रूप में भी जाना जाता है, को वन अनुमति प्रदान की। पांच संरक्षित क्षेत्रों की अधिसूचना का प्रस्ताव, जिसमें 696.91 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र समाहित था, राज्य शासन को प्रस्तुत किया गया था (मई 2005), जिसे इस आधार पर निरस्त कर दिया गया था कि एक बड़ा क्षेत्र शामिल है और यह मछली पकड़ने, पर्यटन और कृषि जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित करेगा और उस क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए कठिनाई का कारण बनेगा। प्रमुवसं/ वन्यप्राणी ने फिर से ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान (246.44 वर्ग किलोमीटर), दो वन्यप्राणी अभयारण्यों (177.11 वर्ग किलोमीटर सिंगाजी वन्यप्राणी अभयारण्य के लिए और 68.75 वर्ग किलोमीटर मंधाता वन्यप्राणी अभयारण्य के लिए) और दो संरक्षण रिजर्व (नर्मदा सीआर–1, 134.53 वर्ग किलोमीटर और नर्मदा सीआर–2, 19.01 वर्ग किलोमीटर) जिसमें कुल क्षेत्रफल 645.84 वर्ग किलोमीटर शामिल था, के गठन के लिए एक प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन को भेजा (दिसंबर 2007)। उसके बाद इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है।

मछली पकड़ने पर प्रतिबंध, पर्यटन आदि संरक्षित क्षेत्रों को अधिसूचित करने में विलंब का कारण नहीं थे, क्योंकि इन गतिविधियों को संबंधित विभाग द्वारा आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था।

अन्य तीन ऐसे मामले जोड़ने के चूके हुए अवसरों के संबंध में थे:

- वर्ष 2008–09 में बाघ संरक्षण योजना मंजूरी के 10 साल से अधिक समय के बाद भी इसमें परिकल्पित पेंच टाइगर रिजर्व (कोर) में 227.55 वर्ग किलोमीटर क्रिटिकल बाघ रहवास का अक्षुण्य क्षेत्र;
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी (अगस्त 2008) मिलने के बाद प्रस्तावित रातापानी टाइगर रिजर्व के 1,244.518 वर्ग किलोमीटर (कोर एरिया के रूप में 763.812 वर्ग किलोमीटर और बफर के रूप में 480.706 वर्ग किलोमीटर), और
- फेन वन्यप्राणी अभयारण्य के 111.704 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में, जिसके लिए प्रमुवसं/ वन्यप्राणी ने मार्च 2017 में अधिसूचना का प्रस्ताव भेजा था।

वनमंडलों और शासन के स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी पुनरावर्ती समस्या थी। विवरण **परिशिष्ट 4.1** में दिया गया है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अधिसूचना के अभाव में, विभिन्न अपराधों जैसे अवैध शिकार, विकासात्मक गतिविधियों के विस्तार को कानूनी ढांचे के अनुसार प्रतिवाद/ कार्रवाई नहीं की जा सकती थी।

राज्य शासन ने विलम्ब को स्वीकार किया (जुलाई 2021)।

4.2 क्रिटिकल वन्यप्राणी रहवास की अधिसूचना

जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संवेदनशील वन्यप्राणी रहवास की अधिसूचना के लिए प्रकाशित दिशा–निर्देश (2014) में वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 2 (बी) के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों के भीतर अक्षुण्य स्थान, यानी क्रिटिकल वन्यप्राणी रहवास बनाने की परिकल्पना की गई। लेखापरीक्षित वनमण्डलों में से नौ में तीन[98] राष्ट्रीय उद्यान और 10[99] वन्यप्राणी अभ्यारण्य जो किसी भी अधिसूचित क्रिटिकल बाघ रहवास का हिस्सा नहीं थे, उन्हें क्रिटिकल वन्यप्राणी रहवास के रूप में अधिसूचित करने के लिए विचार किया जाना था। हालांकि, राज्य शासन ने किसी भी राष्ट्रीय उद्यान/ वन्यप्राणी अभयारण्य को एक क्रिटिकल वन्यप्राणी रहवास के रूप में अधिसूचित नहीं किया। कान्हा टाइगर रिजर्व ने फेन वन्यप्राणी अभयारण्य को क्रिटिकल वन्यप्राणी रहवास के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य एवं माधव राष्ट्रीय उद्यान के प्रस्ताव, गांवों का विस्थापन लंबित होने के कारण नहीं भेजे जा सके। अन्य वनमण्डलों द्वारा चूक के लिए कोई कारण नहीं बताया गया।

इस प्रकार, राष्ट्रीय उद्यान/ वन्यप्राणी अभयारण्यों को वन्यप्राणी संरक्षण के लिए अक्षुण्य रखने के वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनिवार्य आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था।

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितम्बर 2021)।

4.3 संरक्षित क्षेत्रों की अधिसूचना और पुनर्स्थापन

द्वितीय राष्ट्रीय वन्यप्राणी कार्य योजना (2002–16) में उच्च संरक्षण मूल्य और संरक्षित क्षेत्रों के कोर क्षेत्रों से स्वैच्छिक आधार पर या अनुनय द्वारा गांवों के स्थानांतरण और पुनर्वास की परिकल्पना की गई।

राज्य शासन, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 और 35 के अंतर्गत क्रमशः किसी भी क्षेत्र को वन्यप्राणी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने के इरादे की घोषणा को अधिसूचित करती है। राज्य शासन ने 2008 में टाइगर रिजर्व सहित संरक्षित क्षेत्रों से गांवों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया निर्धारित की थी। इसके बाद, संबंधित क्षेत्रों के जिलाधीशों को पूर्वोक्त घोषणा की अधिसूचना के दो साल के अंदर अधिकारों के दावों का निपटान करने की आवश्यकता होती है। जिलाधीशों द्वारा सभी दावों को प्राप्त करने और निपटाने के बाद वन्यप्राणी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान की अंतिम अधिसूचना, उस क्षेत्र की सीमा निर्दिष्ट करते हुए, राज्य शासन द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा क्रमशः 26 (ए) और 35 (4) के अंतर्गत जारी की जाती है। खाली कराए गए राजस्व गांवों को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

लेखापरीक्षित 13 वनमंडलों में, वन्यजीव (संरक्षण), अधिनियम 1972 के अंतर्गत नौ राष्ट्रीय उद्यानों और 15 वन्यप्राणी अभयारण्यों के गठन का इरादा 1956 और 2018 के बीच अधिसूचित किया गया था। दावों के निपटान के बाद वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अंतिम अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता थी। अंतिम अधिसूचना केवल पेंच राष्ट्रीय उद्यान, मोगली वन्यप्राणी अभयारण्य और खिवनी

98 माधव, कूनो और वन विहार।

99 बगदरा, गंगऊ, करैरा, खिवनी, केन घडियाल, फेन, नौरादेही, सिंघोरी, रातापानी और सोन घडियाल।

वन्यप्राणी अभयारण्य के लिए ही अगस्त 1998 और सितंबर 2006 के बीच जारी की गई थी। शेष 21 चयनित संरक्षित क्षेत्रों में, अंतिम अधिसूचना 2019 की स्थिति के अनुसार एक से 44 वर्ष तक अलग–अलग अवधि के लिए लंबित थी।

आठ[100] राष्ट्रीय उद्यानों से 97 राजस्व और 37 वन गांवों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया था। साथ ही, कुल 69 राजस्व ग्रामों और 29 वन ग्रामों को नौ[101] वन्यप्राणी अभयारण्यों से स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया था। तीन टाइगर रिजर्वों[102] के बफर जोन से पांच राजस्व और दो वन ग्रामों के स्थानांतरण की योजना बनाई गई थी। उपरोक्त 171 राजस्व एवं 68 वन ग्रामों में से केवल 111 राजस्व एवं 63 वन ग्रामों को मई 2019 तक स्थानान्तरित किया गया था। विवरण **परिशिष्ट 4.2** में दर्शाया गया है। हमने छः वनमंडलो[103] में राजस्व और वन विभागों के अधिकारियों के बीच समुचित समन्वय की कमी, प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजे के भुगतान का लम्बित रहना, भूमि पर पुनः कब्जा, प्रबंधन और जन प्रतिनिधियों के बीच आम सहमति की अनुपस्थिति, और विस्थापित ग्रामों के क्षेत्र का वन भूमि के रूप में अधिसूचना नहीं होने जैसे कारणों से स्थानांतरण प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में देरी देखी।

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितम्बर 2021)।

4.4 सीमाओं का सीमांकन

अच्छी तरह से सीमांकित सीमाएं संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा, समेकन और उचित प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण प्रणेता हैं। उस प्रयोजन के लिए, राज्य शासन ने वन–राजस्व सीमा को समेटने के लिए, वन विभाग द्वारा डिजीटलकृत वन सीमा मानचित्रों और राजस्व विभाग द्वारा डिजिटलीकृत भू–कर मानचित्रों के साथ मुनारों के ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रीडिंग को सुपरइम्पोज करने का निर्देश जारी किया (जून 2017)। उनके मिलान होने की स्थिति में पुष्टि के लिए पांच प्रतिशत सीमा–स्तंभों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाना था। इस प्रकार अंतिम रूप दिए गए डाटा शीट को जिलाधीशों और वनमंडल अधिकारियों द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना था और दोनों विभागों की वेबसाइटों में प्रकाशित किया जाना था। वनमंडल अधिकारी एवं जिलाधीश के बीच मतभेद होने की स्थिति में राजस्व संभाग के आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति इस संबंध में अंतिम निर्णय लेगी।

हमने देखा कि न तो वन–राजस्व सीमा का मिलान डिजिटल मानचित्रों और भू–कर मानचित्रों के माध्यम से किया गया था, न ही 13 लेखापरीक्षित वनमंडलों में से किसी में भी पर्याप्त सीमा सर्वेक्षण किया गया था। इस चूक का कोई कारण लेखापरीक्षित वनमंडलों के क्षेत्र संचालकों/ संचालकों/ वनमंडल अधिकारियों द्वारा नहीं बताया गया, सिवाय दो वनमंडलों[104] के जहां यह बताया गया था कि आदेश प्राप्त नहीं हुए थे।

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितम्बर 2021)।

4.5 जल निकायों का प्रबंधन

संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधक, क्षेत्र के जल संसाधनों को बढ़ाने में संरक्षित क्षेत्रों के योगदान के आवधिक मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार हैं। सभी स्थलीय संरक्षित क्षेत्रों में जल स्रोतों का उद्धार और वृद्धि की जानी है। इन स्थलीय संरक्षित क्षेत्रों में धाराओं और नदियों की सूची तैयार करने के साथ, प्रवाह और उसकी

100 बांधवगढ़, कान्हा, कूनो, माधव, पन्ना, पेंच, संजय और सतपुड़ा।
101 बोरी, गंगऊ, खिवनी, नौरादेही, पचमढ़ी, पनपथा, फेन, रातापानी और संजय दुबरी।
102 कान्हा, पन्ना और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व।
103 बांधवगढ़, नौरादेही, संजय, ओबेदुल्लागंज, पन्ना और सतपुड़ा।
104 माधव राष्ट्रीय उद्यान और संजय टाइगर रिजर्व।

मौसमी अवधि का अनुमान भी अवश्य करना चाहिए। उन्हें कम पानी के मौसम में संरक्षित क्षेत्रों से प्रवाह को मापना चाहिए, और यह व्याख्या करना चाहिए कि प्राकृतिक पुनरूत्पादन के माध्यम से वन्यप्राणी संरक्षण, जल निकायों और जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में कैसे गाद को कम कर सकता है और साल भर के जल प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है[105]।

लेखापरीक्षित 13 वनमंडलों में 2,791 जल निकाय थे। 2014–19 के दौरान आठ[106] संरक्षित क्षेत्रों में कुल 393 कृत्रिम जल निकायों का निर्माण किया गया। इन संरक्षित क्षेत्रों में नदियों और नदियों की सूची बाघ संरक्षण योजनाओं और प्रबंधन योजनाओं में उपलब्ध थी, लेकिन प्रवाह और मौसमी अवधि के अनुमान दर्ज नहीं किए गए थे। इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि इन जल निकायों में जल की उपलब्धता की नियमित निगरानी वनमंडल स्तर पर की जाती थी। इसके अलावा, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में जल मार्ग में परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव जैसी कमियों का विवरण **परिशिष्ट 4.3** में दिया गया है।

बॉक्स 4.2: साख्य सागर झील जाने वाले जलमार्ग में बदलाव

शिवपुरी शहर से अधिकांश जल–मल जाधव सागर तालाब में बह जाता है जो एक तलछट टंकी के रूप में कार्य करता है और फिर छना हुआ पानी माधव नेशनल पार्क में साख्य सागर तालाब में बह जाता है जो मगरमच्छों और कई प्रकार के मछलियों का घर है, और कई प्रवासी पक्षियों को भी आकर्शित करता है।

जाधव सागर तालाब, साख्य सागर तालाब और माधव सागर तालाब, जो इसी क्रम में एक श्रृंखला में एक धारा के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। जाधव सागर तालाब में नए जल–मल शोधन संयंत्र के निर्माण के एक प्रस्ताव के अनुसार, इस प्लांट से निकलने वाले अपशिष्ट को बरही नदी में छोड़ा जाना था।

इस प्रकार, जल–मल शोधन संयंत्र के शुरूआत के बाद, जाधव सागर का पानी सांख्य सागर में नहीं बहेगा और विशेष रूप से गर्मियों में झील का जल स्तर प्रभावित होगा, क्योंकि तब सांख्य सागर के लिये जाधव सागर पानी का मुख्य स्रोत था। हमने देखा कि विभाग ने जल–मल शोधन संयंत्र के कारण साख्य सागर के जल मार्ग में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण भी नहीं किया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने अप्रैल 2018 में परियोजना को पहले चरण की वन अनुमति दी।

इसके अलावा, माधव राष्ट्रीय उद्यान की प्रबंध योजना के अनुसार, शिवपुरी शहर के सभी कचरे को ले जाने वाला नाला साख्य सागर में चला जाता है, जिससे धीमी गति से सुपोषण होता है।

साख्य सागर झील की ओर जाने वाला नाला

(फोटोः लेखापरीक्षा दल)

105 द्वितीय राष्ट्रीय वन्यप्राणी कार्य योजना (2002–16)।

106 कान्हा टाइगर रिजर्व (कोर), कान्हा टाइगर रिजर्व (बफर), कूनो वन्यप्राणी अभयारण्य, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ओबेदुल्लागंज, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व।

न तो संचालक और न ही ईको–संवेदी जोन की निगरानी के लिए गठित समिति ने इस अपशिष्ट जल अन्तर्वाह को सांख्य सागर से मोड़ने के लिए कोई कार्रवाई की, जो राष्ट्रीय उद्यान के वन्यप्राणियों के लिए खतरनाक था।

हमने निष्कर्ष निकाला कि जल निकायों का स्थायी प्रबंधन नहीं किया जा रहा था।

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितम्बर 2021)।

4.6 जंगल की आग

जंगल की आग का जंगल और वन्यप्राणियों पर गहरा और अक्सर दीर्घकालिक प्रभाव होता है। आग, आवास के सूक्ष्म जीवों और वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाती है और कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देती है जो अधःस्तर की धरण सामग्री में योगदान देते हैं। आग, जमीन के घोंसले वाले कई पक्षियों और सरीसृपों के अंडों को भी नष्ट कर देती है। वे पशु और पक्षियों की आबादी को विभिन्न दिशाओं में बेतरतीब ढंग से प्रवास करने के लिए मजबूर करते हैं, जो स्थान और समय दोनों के संदर्भ में आवास के उपयोग को उलट–पलट कर सकते हैं। कई बीज और कई पौधों की प्रजातियां आग से पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं और उनके पुनरूत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा प्रकाशित इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2019 ने मध्य प्रदेश में वन आवरण क्षेत्र को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया है, जैसा कि नीचे **तालिका 4.1** में दिखाया गया है:

तालिका 4.1: अग्नि–प्रवृत्ति के विभिन्न वर्गों के अंतर्गत वनावरण क्षेत्र

(प्रतिशत में क्षेत्रफल)

अत्यधिक प्रवृत्ति	बहुत उच्च प्रवृत्ति	उच्च प्रवृत्ति	मध्यम प्रवृत्ति	कम प्रवृत्ति
0.14	3.79	11.87	19.36	64.84

मध्य प्रदेश में अग्नि–प्रवृत्ति क्षेत्र दिखाने वाला नक्शा

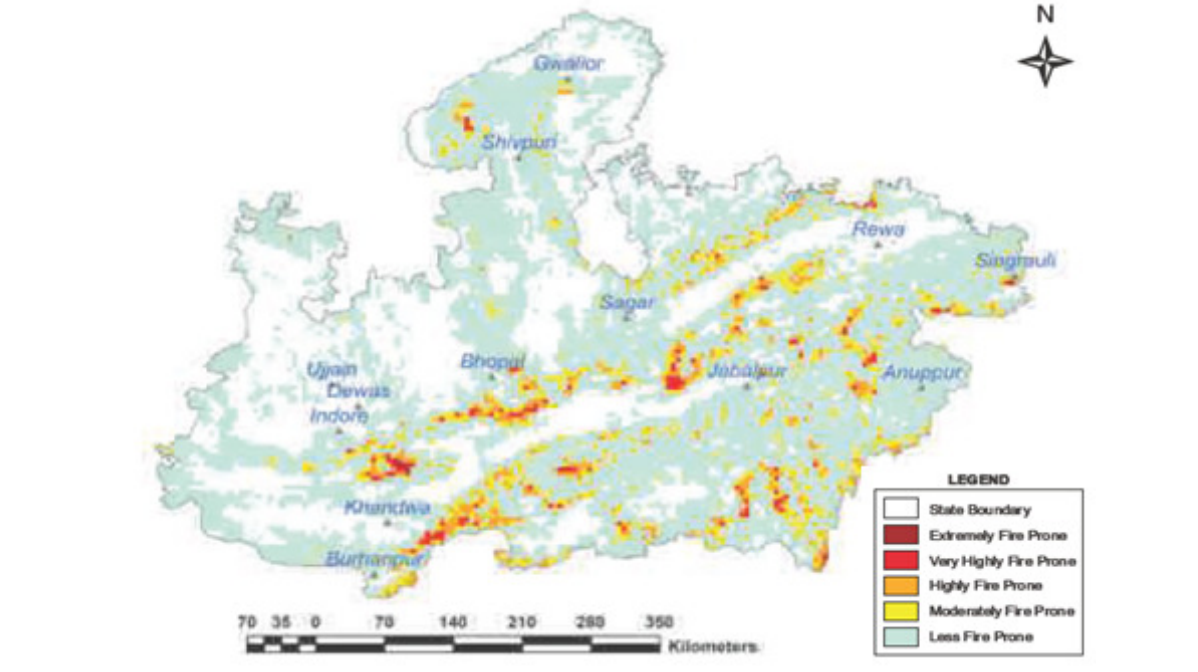

(स्रोतः भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट, 2019)

हमने देखा कि अधिकांश संरक्षित क्षेत्र उच्च अग्नि–प्रवृत्ति वाले वर्गों के अंतर्गत स्थित हैं।

वर्ष 2014–18 के दौरान 13 लेखापरीक्षित वनमंडलों में से 12 में 1,737 मामलों में 8,636 हेक्टेयर जंगल आग से प्रभावित हुआ था। लेकिन, इन टाइगर रिजर्व/ संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधकों द्वारा रहवास पर इसके प्रभाव का विश्लेषण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षित 13 वनमंडलों में वर्ष 2014–19 के दौरान 1,15,189.36 किलोमीटर अग्नि लाइन में सफाई और जलाई जैसी अग्नि नियंत्रण गतिविधियां की गईं। हमने देखा कि माधव राष्ट्रीय उद्यान, नौरादेही वन्यप्राणी अभ्यारण्य और ओबेदुल्लागंज वनमंडल ने अग्नि योजना तैयार नहीं की थी। नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य में वर्ष 2018–19 में अग्निशामकों के मजदूरी के लिए स्वीकृत राशि का केवल 30 प्रतिशत खर्च किया गया था और उसी वर्ष के दौरान, सबसे अधिक 394.50 हेक्टेयर क्षेत्र उस वन्यप्राणी अभयारण्य में आग से प्रभावित हुआ था।

कान्हा (कोर और बफर), बांधवगढ़, पेंच, पन्ना और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए बैठक/ प्रशिक्षण आयोजित किए गए। शेष वनमंडलों में बैठक/ प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था।

वन अग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना का सुझाव है कि अग्निशामकों को पर्याप्त अग्निशमन उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए, जिसमें लीफ लिटर ब्लोअर और सुरक्षात्मक कपड़े शामिल हैं। संजय टाइगर रिजर्व को छोड़कर, जहां अग्निशमन किट और एयर ब्लोअर का इस्तेमाल किया गया था, यह उपकरण लेखापरीक्षित इकाईयों में उपलब्ध नहीं थे।

लेखापरीक्षित 13 वनमंडलों में से 12 के प्रबंधकों ने आग पर नियंत्रण के लिए केवल फायर बीटर[107] का उपयोग किया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 500 फायर बीटरों की आवश्यकता का आकलन किया गया था, लेकिन केवल 265 फायर बीटरों की खरीद की गई। फायर बीटर खुले इलाकों में सीमित पहुंच के भीतर ही आग बुझा सकते हैं।

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितम्बर 2021)।

4.7 तेजी से फैलने वाली विदेशी प्रजातियों का उन्मूलन और घास के मैदानों का विकास

लैंटाना, खरेटी, गाजर घास, चकौडा और वन तुलसी मध्य प्रदेश में वन्यप्राणियों के रहवासों में पाए जाने वाले तेजी से फैलने वाले प्रमुख विदेशी पौधे हैं। हालांकि, स्थल विशिष्टता के आधार पर, लैंटाना को बाघों और उनके सह–शिकारियों के शिकार, विश्राम और प्रजनन के लिए उपयुक्त माना गया था। रहवास सुधार गतिविधियों में घास के मैदान का विकास, खरपतवार/ लैंटाना उन्मूलन और सफाई कार्य शामिल है। सफाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खरपतवार उस क्षेत्र में पुनः उत्पन्न न हों जहां से इसे हटाया गया था। 2014–19 के दौरान 13 लेखापरीक्षित वनमंडलों में टाइगर रिजर्व और संरक्षित क्षेत्रों में रहवास सुधार गतिविधियों के घटकों की प्रगति को नीचे **तालिका 4.2** में दिखाया गया है:

[107] फायर बीटर हैंडल और रबर बीटर से बना एक साधन है।

तालिका 4.2: 2014–19 के दौरान टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यानों / वन्यप्राणी अभयारण्यों में रहवास सुधार गतिविधियाँ

(क्षेत्रफल हेक्टेयर और राशि ₹ करोड़ में)

क्र. स.	गतिविधि	टाइगर रिजर्व / संरक्षित क्षेत्रों की संख्या	वार्षिक कार्य योजना में मांग		भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य		निष्पादित कार्य	
			क्षेत्रफल	राशि	क्षेत्रफल	राशि	क्षेत्रफल	राशि
1	घास का मैदान विकास	12[108]	5,388.30	5.26	2,696.55	2.58	2,460.30 (46 *प्रतिशत*)	2.05
2	खरपतवार / लैंटाना उन्मूलन	15[109]	37,576.10	14.34	22,648.50	7.38	19,573.50 (52 *प्रतिशत*)	6.49
3	खरपतवार / लैंटाना सफाई	6[110]	13,481.00	2.35	7,691.00	0.96	4,638.00 (34 *प्रतिशत*)	0.50

इस प्रकार, निष्पादित कार्य उस योजना का लगभग 50 प्रतिशत था, जिसका मुख्य कारण भारत सरकार द्वारा निधियों की स्वीकृति में विलम्ब था (यद्यपि स्वीकृत निधियों में से ₹ 1.88 करोड़ अव्ययित रहे)।

इसके अलावा, सात[111] टाइगर रिजर्व / राष्ट्रीय उद्यान / वन्यप्राणी अभयारण्य, जिनमें से पिछले वर्षों (2014–15 से 2017–18 के दौरान) में 5,620.00 हेक्टेयर खरपतवार / लैंटाना का उन्मूलन किया गया था, ने सफाई के लिए धन राशि की मांग नहीं की।

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितम्बर 2021)।

4.8 मानवजनित गतिविधियाँ

मानवजनित गतिविधियाँ, जैसे कृषि भूमि और मानव रहवास का विस्तार और अवैध खनन प्रमुख खतरे हैं जो वन्यप्राणी आवासों के बिगड़ने और विखंडन के लिए जिम्मेदार हैं।

4.8.1 संरक्षित क्षेत्रों में और आसपास वाणिज्यिक गतिविधियों का विनियमन

वाणिज्यिक गतिविधि की तेज वृद्धि से प्रेरित अधोसंरचना, जैसे कि इमारतों, होटलों, रिसॉर्ट्स, घेराबंदी आदि के कारण टाइगर रिजर्व के आसपास कचरे के ढेर इकट्ठा होते हैं, परिणामस्वरूप वन्यप्राणियों के मुक्त आवागमन में बाधा उत्पन्न हुई और वन्यप्राणी रहवास विखंडित होते हैं। ये व्यावसायिक गतिविधियां ज्यादातर टाइगर रिजर्व के बफर जोन में होती हैं।

राज्य शासन द्वारा प्रत्येक टाइगर रिजर्व के लिए एक स्थानीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता संभागायुक्त और सदस्य सचिव, क्षेत्र संचालक होते हैं स्थानीय सलाहकार समिति के कार्यों में टाइगर रिजर्व के संबंध में पर्यटन रणनीति की समीक्षा और गलियारों का महत्व और पारिस्थितिक सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए टाइगर रिजर्व के अंदर और आसपास के क्षेत्रों में इमारतों और

---

108 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा (बफर) टाइगर रिजर्व, कान्हा (कोर) टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, करैरा वन्यप्राणी अभयारण्य, बगदरा वन्यप्राणी अभयारण्य, रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य, सोन–घड़ियाल वन्यप्राणी अभयारण्य और खिवनी वन्यप्राणी अभयारण्य।

109 बगदरा वन्यप्राणी अभयारण्य, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, गंगऊ वन्यप्राणी अभयारण्य, कान्हा (कोर) टाइगर रिजर्व, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, फेन वन्यप्राणी अभयारण्य, रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य, संजय टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सिंघोरी वन्यप्राणी अभयारण्य और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान।

110 कान्हा (बफर) टाइगर रिजर्व, कान्हा (कोर) टाइगर रिजर्व, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान।

111 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, फेन वन्यप्राणी अभयारण्य, माधव राष्ट्रीय उद्यान, नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य, रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य, संजय टाइगर रिजर्व और सिंघोरी वन्यप्राणी अभयारण्य।

अधोसंरचना हेतु स्थल–विशिष्ट मानदंड सुनिश्चित करना था[112]। स्थानीय सलाहकार समिति की कम से कम अर्द्धवार्षिक बैठकें होनी थीं। लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा देखी गई कमियों को नीचे **तालिका 4.3** में संक्षेप में और विवरण **परिशिष्ट 4.4** में दिखाया गया है:

तालिका 4.3: स्थानीय सलाहकार समिति के कार्यों में कमियां

क्र. स.	टाइगर रिजर्व	कमियां
1	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व	• 2014–19 के दौरान स्थानीय सलाहकार समिति ने आवश्यक न्यूनतम 10 बैठकों के बदले केवल पांच बैठकें की। • ताला–धमोखर रोड पर रात्रि यातायात यद्यपि निषिद्ध था, परंतु नियंत्रित नहीं किया गया। • स्थानीय सलाहकार समिति ने टाइगर रिजर्व के संबंध में पर्यटन रणनीति और इमारतों पर स्थल विशिष्ट मानदंड की समीक्षा नहीं की।
2	पेंच टाइगर रिजर्व	• स्थानीय सलाहकार समिति की पेंच टाइगर रिजर्व में आवश्यक न्यूनतम 10 के बजाय केवल दो बैठकें आयोजित की गईं। • स्थानीय सलाहकार समिति ने अपने निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी नहीं की, जैसे टाइगर रिजर्व के आसपास पर्यटक गतिविधि, निर्माण का प्रकार, नियोजित व्यक्तियों का विवरण प्राप्त करना आदि। • इन्होने राज्य शासन को किसी भी मामले में सलाह नहीं दी थी जैसा कि अनिवार्य था।
3	पन्ना टाइगर रिजर्व	• 2014–19 के दौरान स्थानीय सलाहकार समिति की निर्धारित न्यूनतम 10 बैठकों के विरुद्ध केवल तीन बैठकें आयोजित की गयी। • पन्ना नगरपालिका द्वारा पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर के क्षेत्रों में कचरे का ढेर इकट्ठा करने की समस्या के समाधान के लिए स्थानीय सलाहकार समिति द्वारा कार्रवाई नहीं की गयी।.
4	कान्हा टाइगर रिजर्व	• 2014–19 के दौरान स्थानीय सलाहकार समिति की केवल छः बैठकें हुई, जबकि न्यूनतम 10 बैठकें अपेक्षित थीं। • होटल/ रिसॉर्ट/ भवन और अन्य वाणिज्यिक अवसंरचनाओं से घेराबंदी हटाने के साथ–साथ कोर और बफर क्षेत्रों के वन्यप्राणियों पर पर्यटन के प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन करने के संबंध में स्थानीय सलाहकार समिति द्वारा अपने स्वयं के निर्णयों पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई।
5	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व	• अन्य विभागों के सदस्यों से क्षेत्र संचालक के कार्यालय में बैठकों की अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी, जो टाइगर रिजर्व में और उसके आसपास वाणिज्यिक गतिविधियों की समिति द्वारा खराब निगरानी को दर्शाता है। • टाइगर रिजर्व में और उसके आसपास होटलों/ रेस्तरां द्वारा उत्पन्न कचरे के प्रबंधन का अभाव • रिजर्व के आस–पास आ चुके या आने वाले नए बुनियादी ढांचे को स्थानीय सलाहकार समिति से मंजूरी प्राप्त करने के लिए अधिदेशित नहीं किया गया था।. • पर्यटन क्षेत्रों चूरना एवं मढ़ई में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में कार्यवाही नहीं की गयी।

(स्रोतः वन विभाग)

इस प्रकार, टाइगर रिजर्व में और उसके आस–पास वाणिज्यिक गतिविधियों, यातायात और अपशिष्ट प्रबंधन का विनियमन पर्याप्त नहीं था, जिससे वन्यप्राणियों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हुई और वन्यप्राणी रहवासों में विखंडन हुआ।

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितम्बर 2021)।

4.8.2 वन्यप्राणी रहवासों में मानवजनित गतिविधियां

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35 (6) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी कृत्य द्वारा मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा दिए गए अनुज्ञापत्र और उसके अनुरूप के सिवाय किसी भी वन्यप्राणियों

[112] राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली, द्वारा टाइगर रिजर्वों के लिए राज्य पर्यटन रणनीति विकसित करने के लिए दिशा–निर्देशों की कंडिका 2.1.8 (अक्टूबर 2012)।

के निवास स्थान को नष्ट या क्षति या विपथित नहीं करेगा। उसी अधिनियम की धारा 34 ए (1) एक वन अधिकारी जो सहायक वन संरक्षक के पद से कम न हो, अतिक्रमणकारियों को राष्ट्रीय उद्यानों या वन्यप्राणी अभयारण्य में अनाधिकृत कब्जे से बाहर निकालने का अधिकार प्रदान करती है।

4.8.2.1 अतिक्रमण

जैसा कि **परिशिष्ट 4.5** में दर्शाया गया है, 13 लेखापरीक्षित वनमंडलों में से आठ[113] में 6,942.906 हेक्टेयर क्षेत्र का अतिक्रमण बताया गया था। 13 वनमंडलों में से केवल वनमंडल कार्यालय, ओबेदुल्लागंज ने 2014–19 के दौरान 279.989 हेक्टेयर वन भूमि में बेदखली सूचित की।

कान्हा टाइगर रिजर्व (बफर), पेंच टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालकों ने अपने वनमंडलों में शून्य अतिक्रमण की सूचना दी और क्षेत्र संचालक, संजय टाइगर रिजर्व ने अपने अधिकार के क्षेत्र में 475.376 हेक्टेयर में अतिक्रमण की सूचना दी। हालांकि इन आंकड़ों का बाघ संरक्षण योजनाओं, अतिक्रमणों की स्थिति प्रतिवेदन आदि से मिलान नहीं हुआ, जिनमें इन टाइगर रिजर्वों में 6,279.20 हेक्टेयर में अतिक्रमण दिखाया गया था। इन चार वनमण्डलों में अतिक्रमण के आंकड़ों में विसंगतियों के साथ–साथ नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य और माधव राष्ट्रीय उद्यान में देखे गए अतिक्रमणों के खराब प्रबंधन का विवरण **परिशिष्ट 4.6** में दिखाया गया है।

कान्हा टाइगर रिजर्व (कोर) के क्षेत्र संचालक ने भी वनमण्डल में 'निरंक' अतिक्रमण की सूचना दी। हालांकि, कान्हा टाइगर रिजर्व की बाघ संरक्षण योजना के अनुसार, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 940.00 वर्ग किलोमीटर है और इसके अंदर 17[114] गांव मौजूद थे। 917.43 वर्ग किलोमीटर का एक अक्षुण्य क्षेत्र कान्हा टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल बाघ रहवास के रूप में अधिसूचित किया गया था। लेकिन 22.57 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जिसके भीतर 17 गांव हैं कान्हा टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल बाघ रहवास का हिस्सा नहीं है। हमने 'गूगल अर्थ' से प्राप्त प्रतिबिंब पर वन विभाग के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का डिजिटल सीमा मानचित्र अध्यारोपित किया जिसने राष्ट्रीय उद्यान सीमा के अंदर लगभग 48.20 हेक्टेयर ग्राम/आबादी के क्षेत्र में वनों से कृषि और घरों हेतु भूमि उपयोग परिवर्तन दिखाया। इस ग्राम का नाम उन 17 ग्रामों की सूची में भी नहीं है जो अभी भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा हैं। फरवरी 2019 की स्थिति में 'गूगल अर्थ' प्रतिबिंब को एक स्क्रीनशॉट में नीचे देखा जा सकता हैं:

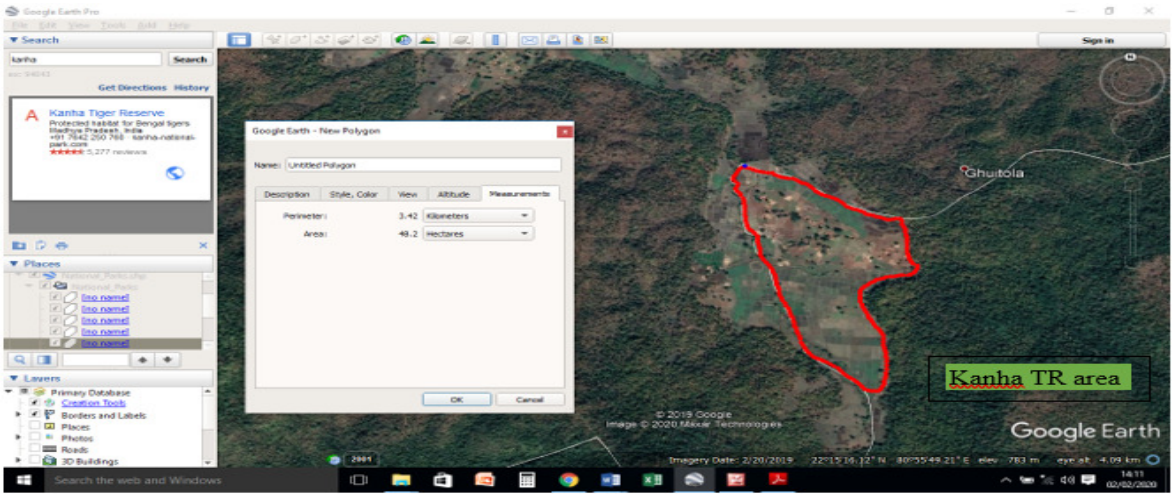

113 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, खिवनी वन्यप्राणी अभयारण्य, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व और ओबेदुल्लागंज वनमण्डल।

114 अजानपुर, बेंदा, भीलवानी, बिठली, छतरपुर, धनियाझोर, झापुल, जंगलीखेड़ा झोलर, कदला, करिवाह, लिंगा, मुक्की, पटुवा, रनवाही, रोले और सुकडी।

तथापि, प्रबंधन को कान्हा टाइगर रिजर्व के अंदर 48.20 हेक्टेयर भूमि में इस तरह के स्पष्ट अतिक्रमण की जानकारी नहीं थी। उत्तर में, प्रमुवसं/ वन्यप्राणी ने कहा (जनवरी 2021) कि जांच करने पर इस क्षेत्र में एक पुरानी (1948 से पहले से) बस्ती पाई गई।

राज्य शासन ने कहा (जुलाई 2021) कि दिखाया गया क्षेत्र 'भुईटोला' ग्राम का हिस्सा है, जो कि क्रिटिकल बाघ रहवास का हिस्सा नहीं है। हालाँकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उक्त ग्राम उन 17 ग्रामों की सूची में भी शामिल नहीं है जो अभी भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित हैं। इस प्रकार, ग्राम की स्थिति अस्पष्ट है कि क्या ग्राम टाइगर रिजर्व के अधिसूचित कोर क्षेत्र के अंदर स्थित है, या राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र के अंदर है लेकिन कोर क्षेत्र के बाहर है।

4.8.2.2 सोन घड़ियाल वन्यप्राणी अभयारण्य में अवैध खनन

वर्ष 1981 में अधिसूचित सोन घड़ियाल वन्यप्राणी अभयारण्य सीधी, सिंगरौली, सतना और शहडोल जिलों में स्थित है और 209 किलोमीटर में फैला हुआ है। सोन, गोपद और बनास नदियों के दोनों किनारों पर इसकी चौड़ाई 200 मीटर है। वन्यप्राणी अभयारण्य जलीय वनस्पतियों और जीवों की कई अनोखी प्रजातियों, जैसे कि इंडियन स्किमर, घड़ियाल, मगर, ऊदबिलाव, डॉल्फिन और कछुओं की देख–रेख करता है, जिनमें से कई 'इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर' की संकटग्रस्त या लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में हैं।

इंडियन स्किमर (आईयूसीएन स्थितिः संकटग्रस्त)

सॉफ्ट शेल टर्टल (आईयूसीएन स्थितिः असुरक्षित)

मगर (आईयूसीएन स्थितिः संकटग्रस्त)

घड़ियाल (आईयूसीएन स्थितिः गंभीर रूप से खतरे में)

फोटो स्रोतः सोन घड़ियाल वन्यप्राणी अभयारण्य की प्रबंध योजना (2020–21 से 2029–30)

हमने पाया कि 2014 से 2018 के बीच इस वन्यप्राणी अभयारण्य में/ के पास अवैध रेत खनन के कुल 355 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से केवल 23 मामलों (6.5 प्रतिशत) को प्रशमित किया गया था और केवल 26 (7.3 प्रतिशत) मामले कानूनी कार्यवाही के लिए न्यायालयों में प्रस्तुत किए गए थे। शेष 86.2 प्रतिशत मामले वन अधिकारियों के पास जांच के लिए लंबित थे।

अवैध खनन पर नियंत्रण स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण था, जैसा कि जांच में विलम्ब से स्पष्ट है। यह देखते हुए कि नदी तलों में अवैध खनन, विशेष रूप से गर्मियों में, इस अत्यंत नाजुक पारिस्थितिक तंत्र का विनाश कर सकता है, विभाग की यह ढिलाई इस अद्वितीय रहवास पर बहुत हानिकारक प्रभाव डाल सकती है।

राज्य शासन ने बताया (जुलाई 2021) कि सोन–घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य की चार रेंजों में 84 फील्ड स्टाफ कार्यरत हैं। यद्यपि, तथ्य यह है कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान एक रेंज के अंतर्गत केवल

26 फील्ड कर्मचारी ही इस वन्यजीव अभयारण्य की 209 किलोमीटर की पूरी लंबाई का प्रबंधन कर रहे थे। इसके अलावा, सोन–घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य में अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण की स्थिति के बारे में उत्तर मौन था।

4.8.3 वनों से इमारती लकड़ी और ईंधन की लकड़ी की अवैध कटाई और हटाया जाना

वृक्षों की अवैध कटाई वनों को विखंडित करती है और अनेक पक्षियों के घोंसलों और आश्रयों को भी नष्ट कर देती है, जिससे वे क्षेत्र से भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं, साथ ही क्षेत्र के जल प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत् संरक्षित क्षेत्रों से ईंधन की लकड़ी के संग्रह की अनुमति केवल संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आसपास रहने वाले लोगों की व्यक्तिगत वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए है। वनों से ईंधन की लकड़ी की कटाई के कारण संसाधन का क्षरण इस हद तक होता है कि संग्रह सतत् उपज से अधिक हो जाता है[115]। इसके परिणामस्वरूप वन क्षेत्र में कमी आती है एवं वन्यप्राणी रहवास में जैवविविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा सितंबर 2018 और जून 2019 के बीच 31 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए एक अध्ययन से पता चला कि मध्य प्रदेश ईंधन की लकड़ी की कटाई में चौथे स्थान पर और चारा, छोटी लकड़ी और बांस को हटाने में सर्वोच्च स्थान पर था[116]।

हमने देखा कि 2014 से 2018 की अवधि के दौरान 13 लेखापरिक्षित वनमंडलों में से 12 में वृक्षों की अवैध कटाई के मामले धीरे–धीरे 4,303 से घटकर 3,307 हो गए थे। पांच[117] वनमंडलों में मामले बढ़े जबकि सात[118] अन्य वनमण्डलों में कम हुए। विवरण नीचे **तालिका 4.4** में देखा जा सकता है:

तालिका 4.4: वर्ष–वार और वनमंडल–वार अवैध रूप से पेड़ों की कटाई और काटे गए पेड़ के प्रतिवेदित प्रकरण

क्र. स.	वनमंडल	2014–18 के दौरान पेड़ों की अवैध कटाई के प्रकरणों की संख्या					कुल प्रकरण	कुल काटे गये पेड़
		2014	2015	2016	2017	2018		
1	कान्हा टाइगर रिजर्व (कोर)	54	65	33	29	21	202	773
2	पन्ना टाइगर रिजर्व	460	374	224	350	201	1609	6458
3	पेंच टाइगर रिजर्व	407	386	335	281	218	1627	5670
4	संजय टाइगर रिजर्व	42	24	94	132	88	380	418
5	कूनो राष्ट्रीय उद्यान	64	63	24	15	32	198	1552
6	नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य	1240	709	1180	998	919	5046	10059
7	माधव राष्ट्रीय उद्यान	20	31	43	49	23	166	894
8	ओबेदुल्लागंज वनमंडल	649	630	581	841	671	3372	19681
9	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व	250	371	372	719	270	1982	8471
10	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व	219	216	168	48	10	661	2450
11	कान्हा टाइगर रिजर्व (बफर)	566	611	598	580	610	2965	7771
12	खिवनी वन्यप्राणी अभयारण्य (देवास सामान्य वनमण्डल)	332	286	272	271	244	1405	5388
	कुल	**4303**	**3766**	**3924**	**4313**	**3307**	**19613**	**69585**

(स्रोतः वन विभाग)

115 ईंधन की लकड़ी की खपत और वन क्षरणः ग्रामीण भारत में घरेलू ऊर्जा प्रतिस्थापन के लिए एक घरेलू मॉडल, रैसमस हेल्टबर्ग, थॉमस चौनिंग अरंड्ट और एन उदय शेखर, लेंड इकॉनोमिक्स (मई 2000)।

116 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, अध्याय–10।

117 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व (बफर), माधव राष्ट्रीय उद्यान, ओबेदुल्लागंज वनमंडल और संजय टाइगर रिजर्व।

118 देवास वनमंडल, कान्हा (कोर) टाइगर रिजर्व, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व।

नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य, ओबेदुल्लागंज वनमंडल (रातापानी और सिंघोरी वन्यप्राणी अभयारण्य), कान्हा (बफर), खिवनी वन्यप्राणी अभयारण्य और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अवैध कटाई की प्रवृत्ति अधिक थी, हालांकि समीक्षा की अवधि के दौरान मामलों की कुल संख्या में कमी आई थी।

जंगलों से ईंधन पर लोगों की निर्भरता कम करने के लिए केवल कान्हा, पन्ना, पेंच और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस कनेक्शन वितरित किए गए। केवल पेंच टाइगर रिजर्व ने सूचित किया कि लगभग 80 प्रतिशत लाभार्थी सिलेंडर में गैस दोबारा भरवा रहे थे और शेष तीन टाइगर रिजर्व में सिलेंडर में गैस दोबारा भरवाने के लिए सर्वेक्षण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र संचालकों ने इस संबंध में भविष्य की योजना बनाने के उद्देश्य से इसका आकलन नहीं किया कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के वितरण के बाद ईंधन की लकड़ी के लिए जंगल पर ग्रामीणों की निर्भरता कम हुई है या नहीं।

राज्य शासन ने कहा (जुलाई 2021) कि भारतीय वन सर्वेक्षण अध्ययन में दर्शाए गए आंकड़े मध्य प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों से संबंधित नहीं हैं। यद्यपि, उपरोक्त वनमंडलों में अवैध कटाई के मामलों की बढ़ती प्रवृत्ति और ईंधन लकड़ी हटाने पर तरलीकृत पेट्रोलियम गैस वितरण के प्रभाव का आंकलन नहीं करने के बारे में उत्तर मौन था।

4.9 बृहद परियोजनाओं का वन्यप्राणी रहवासों पर प्रभाव

बांधों, रेलवे एवं सड़क जैसी प्रमुख परियोजनाएं प्रभावी रेखीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करती हैं। पर्याप्त विस्तार योजना के साथ ये वन्यप्राणियों पर हानिकारक प्रभाव का सबसे बड़ा खतरा पैदा करते हैं। वे वन्यप्राणी रहवास के सिकुड़ने एवं खंडित होने का भी परिणाम हैं। ऐसे कुछ उदाहरणों पर नीचे चर्चा की गई है:

बॉक्स 4.3: केन–बेतवा लिंक परियोजना

द्वितीय राष्ट्रीय वन्यप्राणी कार्य योजना (2002–16) में बृहद् परियोजनाओं एवं हस्तक्षेप, जैसे बांध, खदान, सड़क आदि से हुए नुकसान के दस्तावेजीकरण एवं आंकलन की परिकल्पना की गई है। मध्य प्रदेश में नदियों पर सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक केन–बेतवा लिंक परियोजना है।

केन–बेतवा लिंक परियोजना भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक बड़ी आबादी को पांच लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी (अगस्त 2005), जिसमें 6,017.00 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता थी जिसमें पन्ना टाइगर रिजर्व की कोर और बफर जोन की 5,578.92 हैक्टयर भूमि शामिल थी। राज्य वन्यप्राणी बोर्ड द्वारा परियोजना को अनुमति दे दी गई थी (सितंबर 2015)। राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड द्वारा दी गई अनुमति, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन थी (जून 2019)।

पन्ना टाइगर रिजर्व पर परियोजना के परिणाम के रुप में क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा तीन मुख्य चिंताओं को उठाया गया था:

1. पन्ना टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल बाघ रहवास का 58.03 वर्ग किलोमीटर (10.07 प्रतिशत) का प्रत्यक्ष विनाश और 105.23 वर्ग किलोमीटर (18.26 प्रतिशत) का अप्रत्यक्ष विनाश, जो क्रिटिकल बाघ रहवास के लगभग एक चौथाई बराबर था,
2. पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के भीतर केन घाटी भारत में पाये जाने वाले नौ में से सात[119] गिद्धों की प्रजातियों के लिये एक अनूठा रहवास है। प्रजनन व्यवहार के संदर्भ में, इस टाइगर रिजर्व के भीतर केन नदी के किनारे पाई जाने वाली चट्टानों पर गिद्ध घोसला बनाते हैं। विखंडन एवं जुड़ाव

[119] निवासी गिद्ध प्रजातियां; (1) लाल सिर वाले, (2) सफेद पीठ वाले, (3) लंबे चोंच वाले या भारतीय, (4) इजिप्शियन, (5) यूरेशियन ग्रिफॉन, (6) हिमालयन ग्रिफॉन, (7) सिनेरियस।

में नुकसान के कारण अत्यधिक लुप्तप्राय गिद्ध प्रजातियों के अनूठे रहवासों का लगभग 50 प्रतिशत, जिसमें इनके घोसले का स्थान भी शामिल है, नष्ट हो जाएंगे।

3. लगभग 11 लाख पेड़ काट दिए जाएंगे और केन नदी में मानसून के पानी के बहाव को रोक दिया जाएगा और परिवर्तित किया जाएगा।

क्षेत्र संचालक ने यह भी कहा कि परियोजना प्रस्तावक ने कुछ नुकसानों को कम करने के लिए कई उपायों को सूचीबद्ध किया था एवं इस संबंध में निर्णय उचित स्तर पर समग्र दृष्टिकोण से लिया जा सकता है।

परियोजना के लागू होने के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व की चट्टानों में गिद्धों का रहवास जलमग्न होने की संभावना

(क्षेत्र भ्रमण के दौरान लेखापरीक्षा दल द्वारा लिये गये फोटो)

पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी

(फोटो साभारः नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट, अगस्त 2016)

प्रमुवसं/ वन्यप्राणी ने भी क्षेत्र संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा उठाई गई चिन्ताओं के साथ सहमति व्यक्त की (सितंबर 2015) और कहा कि बाघ एवं गिद्ध के प्रमुख रहवास एवं वन का नुकसान अपरिहार्य है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अतिरिक्त सेटेलाइट कोर क्षेत्र जोड़ने और राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की अनुसंशा के अनुसार शर्तों के साथ अपनी अनुसंशा की है।

'इंटरनेशनल जर्नल फॉर रिसर्च इन एप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी' में जून 2017 में प्रकाशित एक प्रतिवेदन[120] ने निष्कर्ष निकाला कि संभावित जलमग्न क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व को नदी के आर पार दो भागों में विभाजित करेगा, जिससे टाइगर रिजर्व में वन्यप्राणियों के जुड़ाव को नुकसान होगा।

120 राकेश कुमार, हिमांशु सलूजा, सहायक प्रोफेसर, एमिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एमिटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव।

टाइगर रिजर्व की सीमाओं और केन–बेतवा लिंक परियोजना के जलमग्न क्षेत्र को दर्शाने वाला नक्शा

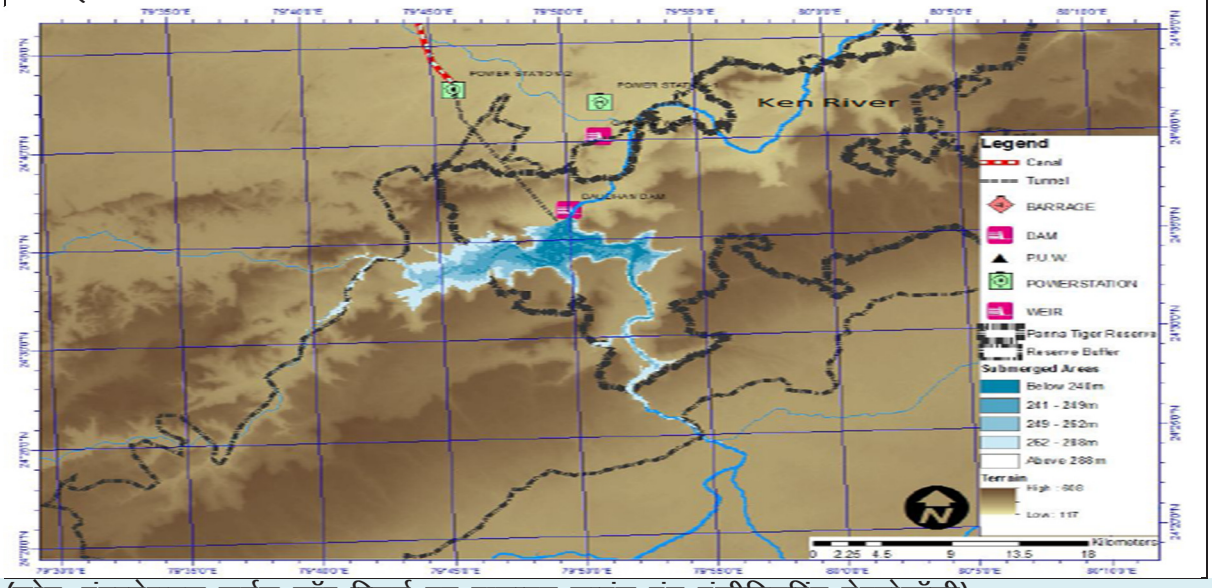

(स्रोतः इंटरनेशनल जर्नल फॉर रिसर्च इन एप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी)

राज्य वन्यप्राणी बोर्ड ने परियोजना की अनुसंशा करते हुए (सितंबर 2015) मुख्य रुप से निम्नलिखित शमन उपायों का प्रस्ताव रखाः

1. प्रभावित कोर क्षेत्र के पूर्व की ओर अतिरिक्त वन क्षेत्र जोड़ा जाए।
2. वन्यप्राणी गलियारे के सुदृणीकरण के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा भू–दृश्य प्रबंधन आयोजना।
3. गिद्धों के रहवास पर होने वाले प्रभाव के शमन उपाय पर बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा अध्ययन।
4. बांध के नीचे केन नदी में पारिस्थितिकीय प्रवाह सुनिश्चित करना।

प्रमुवसं/ वन्यप्राणी ने कहा (जून 2019) कि शमन उपायों को लागू किया जाएगा और जल स्तर में वृद्धि के साथ–साथ जलाशय से घटते पानी के कारण अधिक खुली जगह मिलने से घास के मैदानों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप वन्यप्राणी बढ़ेंगे।

राज्य शासन ने कहा (जुलाई 2021) कि केन–बेतवा लिंक परियोजना को राज्य वन्यप्राणी बोर्ड एवं राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, भारत सरकार ने वन्यप्राणी रहवास पर प्रतिकूल प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए सभी शमन उपाय करने के पश्चात् केन–बेतवा लिंक परियोजना को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है।

भारत सरकार ने केन–बेतवा नदी लिंक परियोजना के वित्त पोषण एवं कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी (दिसंबर 2021)। कथित तौर पर यह परियोजना व्यापक रुप से पर्यावरण प्रबंधन एवं सुरक्षा उपायों का प्रावधान करती है। इस उद्देश्य के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा एक व्यापक भू–दृश्य प्रबंध योजना को अंतिम रुप दिया जा रहा है।

राज्य शासन विशेष रुप से शमन उपायों की पर्याप्तता एवं समयबद्धता की निगरानी के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने पर विचार कर सकती है।

4.9.1 वन्यप्राणी रहवासों पर अन्य प्रमुख परियोजनाओं के प्रभाव

टाइगर रिजर्व में आरंभ किए गए/ वन्यप्राणी अनुमति दिए गए चार अन्य प्रमुख परियोजनाओं की हमारी जांच के परिणाम नीचे **तालिका 4.5** में उल्लिखित हैं:

तालिका 4.5: टाइगर रिजर्व में प्रमुख परियोजनाएं

क्र. स.	वनमंडल	गतिविधि	प्रेक्षण
1	पेंच टाइगर रिजर्व	माचागोरा बांध का निर्माण	• निर्माण के कारण, टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में तोतलाडोह बांध में पानी का प्रवाह बदल गया। • क्षेत्र संचालक ने अपस्ट्रीम पर माचागोरा बांध के निर्माण में वन्यप्राणी रहवास पर पड़ने वाले प्रभावों का कोई आंकलन नहीं किया था।
2	पेंच टाइगर रिजर्व	राष्ट्रीय राजमार्ग–7 में सड़क चौड़ीकरण	• केंद्रीय साधिकार समिति के राष्ट्रीय राजमार्ग–7 को छिंदवाड़ा के माध्यम से मोड़ने संबंधी सिफारिश को नजरअंदाज किया गया, जिससे वन्यप्राणियों के रहवास को अपूरणीय क्षति, विखंडन और विनाश हुआ।
3	पन्ना टाइगर रिजर्व	पन्ना टाइगर रिजर्व में हीरा खनन	• खदान बंद करने की योजना प्रस्तुत नहीं की गई थी एवं खदान से छोड़े गये किंबरलाइट के साथ मिश्रित पानी से क्रिटिकल बाघ रहवास का नुकसान हो रहा था।
4	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व	सोनतलाई–बाग ड़ातवा रेलवे लाइन का निर्माण	• राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड के निर्देशानुसार निगरानी समिति का गठन नहीं किया गया था तथा क्षेत्र संचालक द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन की कोई प्रगति प्रतिवेदन प्रमुवसं/ वन्यप्राणी को नहीं भेजा गया था। • रेल लाइन के निर्माण में किए गए शमन उपायों से वनमंडल अनभिज्ञ था।

उपरोक्त का विवरण **परिशिष्ट 4.7** में दिया गया है। इस प्रकार, इन क्षेत्रों पर उपर्युक्त विकासात्मक गतिविधियों के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरुप मूल वन्यप्राणी प्रजातियों के लिए रहवास एवं पारिस्थितिकीय क्षेत्र में कमी और विखंडन हुआ।

राज्य शासन प्रेक्षण से सहमत हुआ (सितम्बर 2021)।

4.10 अनुशंसाएं

12. *राज्य शासन को डिजिटल और भू–कर मानचित्रों का उपयोग कर संरक्षित क्षेत्रों और टाइगर रिजर्व की सीमाओं के सीमांकन की प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए।*

13. *दर्ज प्रकरणों की जांच में तेजी लाकर सोन–घड़ियाल वन्यप्राणी अभ्यारण्य में अवैध खनन पर नियंत्रण को मजबूत किया जाना चाहिए।*

14. *राज्य शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि केन–बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना के साथ–साथ वन्यप्राणियों एवं उनके रहवासों पर अन्य बुनियादी अधोसंरचना विकास परियोजनाओं पर पड़ने वाले समस्त प्रतिकूल प्रभावों को पर्याप्त रुप से कम किया जाए। इसके अतिरिक्त, राज्य शासन को विशेष रुप से शमन उपायों की पर्याप्तता एवं समयबद्धता की निगरानी के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने पर विचार करना चाहिए।*

4.11 निष्कर्ष

हमने 2014–19 की अवधि के लिए टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यप्राणी अभयारण्यों से जुड़े 22 वनमंडलों में से 13 की लेखापरीक्षा की एवं पाया कि संरक्षण, दीर्घकालिक परिपेक्ष्य योजना में अंतराल से प्रभावित था। बाघ संरक्षण योजनाएं एवं प्रबंध योजनाएं तैयार नहीं की गई थीं एवं अनुसंधान द्वारा पर्याप्त रुप से समर्थित नहीं थीं।

वर्ष 2014–18 के दौरान राज्य में जहां बाघों की संख्या 308 से बढ़कर 526 हो गई है, वहीं अवैध शिकार, बिजली लगने, फंदे एवं सड़क एवं रेलवे लाईन के समीप दुर्घटनाओं से बाघ एवं तेंदुए के मृत्यु के मामले अटूट रूप से जारी थे। उपलब्ध प्रौद्योगिकी जैसे एम–स्ट्राइप के माध्यम से पर्याप्त निगरानी कर सीमित संसाधनों के साथ भी विभाग की क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता था। विभाग कर्मियों की भारी कमीं एवं हथियारों एवं वायरलेसेट जैसे उपकरणों की कमीं के साथ काम कर रहा था। बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन भी नहीं किया गया था।

चयनित वनमंडलों में वन अपराधों पर उचित समय के भीतर कार्रवाई होना प्रतीत हुआ, लेखापरीक्षा के दौरान 4/5 मामलों को या तो प्रशमित किया गया था या न्यायालय को प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, इनमें से 1/5 मामले महत्वपूर्ण अवधि के लिये लंबित रहे, जिनके त्वरित निपटारे की आवश्यकता थी।

हमने संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण, सुदृढीकरण एवं विस्तार में कतिपय कमियां देखीं। संरक्षित क्षेत्रों की अंतिम अधिसूचनाएं कई मामलों में लंबित थीं, ग्रामों एवं ग्रामीणों के पुर्नवास की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, मानव–वन्यप्राणी संघर्ष के मामले बढ़ रहे थे। तेजी से फैलने वाले विदेशी पौधों के प्रसार को रोका नहीं जा सका। पारिस्थितिक रुप से कमजोर पारिस्थितिक तंत्र का प्रबंधन पर्याप्त रुप से नहीं किया जा सका।

प्रदेश के विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों में वन्यप्राणियों के स्थानान्तरण में सराहनीय उपलब्धि रहीं है। बाघों को ओडिसा में स्थानांतरित करने के असफल प्रयास को छोड़ कर, राज्य के अंदर के सभी स्थानांतरण काफी हद तक सफल रहे।

भारत में, मध्य प्रदेश अधिकतम वन आवरण एवं वन्यप्राणियों की बहुतायत वाला राज्य होने के कारण एक विशेष गौरव का स्थान रखता है। हम राज्य के वनों में वन्यप्राणियों के सतत् संरक्षण हेतु इस प्रतिवेदन में बताये गये मुद्दों के समाधान के लिए विभाग को प्रोत्साहित करते हैं।

बि. कु. मु.

(बिजित कुमार मुखर्जी)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्वितीय)
मध्य प्रदेश

भोपाल
दिनांकः 28 अप्रैल 2022

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः 02 मई 2022

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भः कंडिका 1.3)

केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं राज्य योजनाओं के अंतर्गत आबंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	योजना का नाम	आबंटन	व्यय	(+)बचत / (–)आधिक्य	
				राशि	*प्रतिशत*
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	**केन्द्र प्रवर्तित योजना**	575.78	633.32	(–)57.54	(–) 9.99
राज्य योजनाएं					
1	राष्ट्रीय उद्यान	490.67	483.37	7.30	1.49
2	वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि हेतु क्षतिपूर्ति	49.77	50.01	(–) 0.24	(–) 0.48
3	ग्राम विस्थापन हेतु क्षतिपूर्ति	685.05	642.47	42.59	6.22
4	संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यप्राणियों का प्रबंधन	175.27	90.07	85.21	48.61
	योग	**1400.77**	**1265.92**	**134.86**	**9.63**

(स्रोतः विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भः कंडिका 1.5)

वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु प्रशासनिक इकाईयां

क्र. स.	प्रशासनिक इकाई का नाम	प्रबंधन अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान / अभयारण्य
टाइगर रिजर्व		
1	कान्हा	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान
		फेन वन्यप्राणी अभयारण्य
2	बांधवगढ़	बांधवगढ राष्ट्रीय उद्यान
		पनपथा वन्यप्राणी अभयारण्य
3	सतपुड़ा	सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान
		पचमढी वन्यप्राणी अभयारण्य
		बोरी वन्यप्राणी अभयारण्य
4	पन्ना	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान
		गंगऊ वन्यप्राणी अभयारण्य
		केन घड़ियाल वन्यप्राणी अभयारण्य
5	पेंच	पेंच राष्ट्रीय उद्यान
		पेंच मोगली वन्यप्राणी अभयारण्य
6	संजय	संजय राष्ट्रीय उद्यान
		संजय दुबरी वन्यप्राणी अभयारण्य
		बगदरा वन्यप्राणी अभयारण्य
		सोन घडियाल वन्यप्राणी अभयारण्य
वन्यप्राणी वनमंडलों के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान		
7	माधव राष्ट्रीय उद्यान	माधव राष्ट्रीय उद्यान
		करैरा वन्यप्राणी अभयारण्य
8	कूनो राष्ट्रीय उद्यान	कूनो राष्ट्रीय उद्यान
9	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान
क्षेत्रीय वनमंडलों द्वारा प्रबंधित वन्यप्राणी अभयारण्य		
10	डिंडोरी	फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान
11	धार	डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान
		सरदारपुर वन्यप्राणी अभयारण्य
12	रतलाम	सैलाना वन्यप्राणी अभयारण्य
13	ग्वालियर	सोनचिडिया वन्यप्राणी अभयारण्य
14	मंदसौर	गांधी सागर वन्यप्राणी अभयारण्य
15	नौरादेही	नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य
16	मुरैना	चंबल वन्यप्राणी अभयारण्य
17	टीकमगढ़	ओरछा वन्यप्राणी अभयारण्य
18	दमोह	वीरांगना दुर्गावती वन्यप्राणी अभयारण्य
19	राजगढ़	नरसिंहगढ़ वन्यप्राणी अभयारण्य
20	ओबेदुल्लागंज	रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य
		सिंघोरी वन्यप्राणी अभयारण्य
21	देवास	खिवनी वन्यप्राणी अभयारण्य
22	इंदौर	रालामंडल वन्यप्राणी अभयारण्य

(स्रोतः वन विभाग)

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भः कंडिका 1.5)

लेखापरीक्षित वनमंडलों के प्रबंधन अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यप्राणी अभयारण्य

क्र. स.	वनमंडल	टाइगर रिजर्व	राष्ट्रीय उद्यान	वन्यप्राणी अभयारण्य
1	कान्हा टाइगर रिजर्व (कोर)	कान्हा टाइगर रिजर्व	कान्हा राष्ट्रीय उद्यान	फेन वन्यप्राणी अभयारण्य
2	कान्हा टाइगर रिजर्व (बफर)	कान्हा टाइगर रिजर्व	–	–
3	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व	बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान	पनपथा वन्यप्राणी अभयारण्य
4	पेंच टाइगर रिजर्व	पेंच टाइगर रिजर्व	पेंच राष्ट्रीय उद्यान	पेंच मोगली वन्यप्राणी अभयारण्य
5	पन्ना टाइगर रिजर्व	पन्ना टाइगर रिजर्व	पन्ना राष्ट्रीय उद्यान	गंगऊ एवं केन घड़ियाल वन्यप्राणी अभयारण्य
6	संजय टाइगर रिजर्व	संजय टाइगर रिजर्व	संजय राष्ट्रीय उद्यान	संजय दुबरी, बगदरा एवं सोन घड़ियाल वन्यप्राणी अभयारण्य
7	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व	सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान	बोरी एवं पचमढ़ी वन्यप्राणी अभयारण्य
8	माधव राष्ट्रीय उद्यान	–	माधव राष्ट्रीय उद्यान	करैरा वन्यप्राणी अभयारण्य
9	कूनो वन्यप्राणी वनमंडल	–	कूनो राष्ट्रीय उद्यान	–
10	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	–	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	–
11	नौरादेही वनमंडल	–	–	नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य
12	ओबेदुल्लागंज वनमंडल	–	–	रातापानी एवं सिंघोरी वन्यप्राणी अभयारण्य
13	देवास (सामान्य) वनमंडल	–	–	खिवनी वन्यप्राणी अभयारण्य

परिशिष्ट 2.1
(संदर्भः कंडिका 2.2.3)
विभिन्न गलियारों के प्रबंधन की स्थिति

क्र. स.	विभिन्न गलियारों के प्रबंधन की स्थिति
1	**कान्हा–पेंच** कान्हा–पेंच कॉरिडोर भारत में सबसे महत्वपूर्ण वन गलियारों में से एक है एवं कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्वो के बीच बाघों के फैलाव की सुविधा प्रदान करता है। यह गलियारा 16,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में वन्यजीवो के आवास का एक व्यापक मार्ग है जो कि पूरा मध्य प्रदेश में है। यह कई अन्य स्तनधारियों जैसे जंगली कुत्तों, भालुओं, तेंदुओं, भारतीय भेड़िया, लकड़बग्घा, सियार, सांभर, गौर, चीतल आदि के लिए एक आश्रय के रुप में भी काम करता है। कान्हा जैसे स्रोत जनसंख्या से जुड़ाव के बिना अलग – थलग जनसंख्या अवैध शिकार एवं पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक शक्ति में कमीं के कारण विलुप्त होने के जोखिम का सामना करते हैं। इस वन गलियारे में कई खण्ड हैं जो बेहद सकरे या टेढ़े मेढे हैं। ये खण्ड चिंताजनक हैं, जो वन्यप्राणियों की उपस्थिति और आवाजाही के दृष्टिकोण से गंभीर रुप से कम जुड़े क्षेत्र है। **कान्हा–नवेगांव–नागझिरा–ताडोबा–इन्द्रावती** मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के संगम पर यह गलियारा सबसे कमजोर है, जहां वन संपर्क, खण्डित पैच के रुप में हैं लेकिन भू–दृश्य पूरी तरह से बाघों के आवाजाही के लिये प्रतिकूल नहीं है एवं वर्तमान भूमि उपयोग भूमि आवरण के तहत् जीन प्रवाह मौजूद है। **कान्हा–अचानकमार** कान्हा–अचानकमार वन गलियारा लगभग लगातार मिला हुआ है। हांलाकि कई जगह पर यह अत्यधिक सकरा और बिगड़ा हुआ है एवं इनके बीच बीच में अपेक्षाकृत बहुत से अच्छे खण्ड भी हैं। ये टाईगर रिजर्वो के बीच के भू–भाग के लिये संभावित सफलता की सीढी के रुप में कार्य कर सकते है। गलियारा, कान्हा–फेन–अचानकमार गलियारा अक्षत वन खण्ड का एक हिस्सा है, हालांकि राज्य शासन इसका उपयोग वाणिज्यिक वानिकी गतिविधियों हेतु करता है। यह महत्वूपूर्ण था कि उक्त गतिविधियां वन्यप्राणी गलियारे के रुप में इस रहवास की कार्यक्षमता को कमजोर न करें। प्रमुवसं/ वन्यप्राणी ने मेटा–जनसंख्या के तहत इन क्षेत्रों का प्रबंधन करने हेतु पर्याप्त कार्यवाही नहीं की। क्षेत्र संचालक, कान्हा टाइगर रिजर्व ने बताया कि कान्हा प्रबंधन गलियारों के जुड़ाव और संरक्षण के मूल्यों से पुरी तरह अवगत है, एवं तदनुसार उपर्युक्त तीन पारिस्थितिक गलियारों की पहचान की गई है। हालॉकि अब उच्चाधिकारियों की यह पार्श्व सोच है कि इन गलियारो का अधिकांश क्षेत्र कान्हा टाईगर रिजर्व के बाहर अन्य वनमंडलों के अधिकार क्षेत्र में आते है, इस लिये यह उचित होगा कि इन योजनाओं को मुख्यालय स्तर पर तैयार किया जाये ताकि अधिकार क्षेत्र से संबंधित कठिनाईयों पर काबू पाया जा सके। तथ्य यह है कि क्षेत्र संचालक ने न तो ऐसे गलियारों को विकसित करने के लिए कोई कदम उठाया एवं न ही इसके कार्यान्वयन के लिए उच्च अधिकारियों को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
2	**पेंच–सतपुड़ा–मेलघाट** पेंच–सतपुड़ा गलियारे में औद्योगिक उपयोग के विरुद्ध समान सुरक्षा उपाय होने चाहिए जैसे की दोनो टाईगर रिजर्वो के कोर क्षेत्र में होता है। यह गलियारा बसाहट एवं विकास योजनाओं के कारण समाप्त/ खंडित हो रहा है, खास कर कोयला खनन खण्डों के विस्तार के कारण। मध्य भारतीय भू–दृश्य में पेच एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व लगभग 150 किलोमीटर की हवाई दूरी से अलग होते है। पेंच–सतपुड़ा वन्यप्राणी गलियारा लगातार वनाच्छादित गलियारा है जो कि पेंच एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को जोड़ता है। गलियारा सीधा है, रिजर्वों के बीच सबसे कम दूरी के साथ पूरी तरह से संरेखित है तथा अधिकांश हिस्सा बहुत अधिक वनीकृत है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा गलियारे की न्यूनतम चौड़ाई तीन किलोमीटर पहचानी गई है। इस क्षेत्र में बाघों के निवास के प्रमाण है। गलियारे के अधिकांश क्षेत्र में तेंदुए के संकेत मिलते है। पेंच–सतपुड़ा गलियारा रहवास कई विकास गतिविधियों यथा कोयला खनन, सड़क एवं रेलवे के कारण कई जगहों पर खंडित हो गया[1] है।

[1] पेंच–सतपुड़ा गलियारा के लिये सांकेतिक योजना।

क्र. स.	विभिन्न गलियारों के प्रबंधन की स्थिति
	पेंच टाइगर रिजर्व में पेंच–सतपुड़ा के साथ–साथ पेंच–कान्हा गलियारों के लिये सांकेतिक योजना तैयार की गई थी। क्षेत्र संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व ने बताया कि गलियारों का प्रबंधन संबधित वनमंडलों जिनके अतर्गत क्षेत्रों का क्षेत्राधिकार है, के द्वारा संबंधित कार्य आयोजना/ प्रबंध योजना के अनुसार किया जा रहा है, क्षेत्र संचालक सतपुड़ा टाईगर रिजर्व ने भी इसे दोहराया। उत्तर से इंगित हुआ कि वन्यप्राणी संरक्षण के हित में गलियारों का प्रबंधन पर्याप्त रुप से नहीं किया जा रहा था।
3	**रणथम्भौर–कूनो–माधव** कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि श्योपुर जिले में स्थित है और अच्छे वन खण्डों के माध्यम से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान एवं कैलादेवी वन्यप्राणी अभयारण्य (रणथम्भौर टाइगर रिजर्व के दोनो भाग) से चंबल नदी के उत्तर पश्चिम की ओर से जुड़ा हुआ है (झाला और अन्य 2008)। दो बाघ टी–30 एवं टी–38 रणथभौर टाइगर रिजर्व से निकल कर अंत में कूनो–पालपुर अभयारण्य पहुच गये थे[2]। इसी प्रकार नौ अन्य बाघ भी रणथंभौर टाइगर रिजर्व से निकल कर उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के जिले में पाये गये। आगे यह भी पाया गया कि पन्ना टाइगर रिजर्व एवं रणथभौर टाइगर रिजर्व के साथ वन्यप्राणी गलियारे का उल्लेख माधव राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंध योजना में किया गया था किन्तु वन्यप्राणियों के जीन फैलाव हेतु उनका विश्लेषण नहीं किया गया एवं योजना नहीं बनाई गई थी। संचालक, कूनो राष्ट्रीय उद्यान ने संरक्षित क्षेत्र के बाहर विकृत रहवास की पहचान नहीं की एवं न ही उन्हें प्राथमिकता दी। आदर्श रुप से रणथंभौर टाइगर रिजर्व के समीप स्थित होने के बावजूद राज्य के भीतर एवं बाहर अन्य संरक्षित क्षेत्रों के मध्य गलियारे हेतु बाघ जनसंख्या को मेटा पापुलेशन के रुप में रखने की अपेक्षाकृत अच्छी संभावना रखने के लिए कोई सांकेतिक योजना तैयार नहीं की गई। माधव राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंध योजना[3] के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान उस भू–दृश्य का हिस्सा है जहां निकट भूतकाल में बाघ प्रमुख प्रजाति थे। दुनिया के कुछ सबसे बड़े बाघ शिवपुरी एवं ग्वालियर के आस–पास मारे गए थे। ये राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना टाइगर रिजर्व तथा रणथंभौर टाइगर रिजर्व को जोडने वाले शुष्क ऊष्णकटिबंधीय भू–दृश्य के मध्य में स्थित है। संचालक माधव राष्ट्रीय उद्यान ने बताया कि गलियारे की पहचान नहीं की गई थी। इस प्रकार गलियारों की सीमाओं की पहचान एवं योजना की समग्र रुप से परिकल्पना न करना संचालक की विफलता को इंगित करता है।
4	**बांधवगढ–संजय–दुबरी–गुरु घासीदास** संजय–दुबरी टाइगर रिजर्व में पांच महत्वपूर्ण बाहरी गलियारे हैं जो टाइगर रिजर्व को अन्य संरक्षित क्षेत्र/ वनों से जोड़ते हैं, जैसा कि निम्न चित्र में दर्शाया गया है। पांच गलियारों में से तीन को भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा चिन्हांकित किया गया और चौथे की पहचान शहडोल वनमंडल की कार्य आयोजना द्वारा की गई। पांचवा गलियारा सिंगरौली जिले में स्थित है एवं मुख्य रुप से हाथियों द्वारा उपयोग किया जाता है। गलियारा 1– बांधवगढ के पनपथा वन्यप्राणी अभयारण्य एवं संजय टाइगर रिजर्व के दुबरी अभयारण्य के मध्य उत्तर शहडोल वनमंडल में स्थित है। बाणसागर बांध की ऊचाई बढ़ाने के पूर्व इस गलियारे का उपयोग अक्सर बाघों एवं एन्य वन्यप्राणियों द्वारा बांधवगढ़ से संजय टाइगर रिजर्व तक पार करने के लिए किया जाता था। बांध की ऊंचाई 2006 में बढ़ा दी गई जिससे नदी में पानी का स्तर बढ़ गया, जिससे बाघों एवं अन्य वन्यप्राणियों को दूसरी तरफ पार करना मुश्किल हो गया जिससे जीन पूल के आदान प्रदान के लिए मार्ग समाप्त हो गये। इस क्षेत्र का बड़ा भाग दोनो टाइगर रिजर्व के बफर के रुप में अधिसूचित किया गया। गलियारा 2– पहले गलियारे के दक्षिण में, बांधवगढ़ के पनपथा वन्यप्राणी अभयारण्य और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व के दुबरी वन्यप्राणी अभयारण्य को जोड़ता है। यह वास्तव में एक व्यवहार्य गलियारा है, हालांकि ग्रामों की उपस्थिति के कारण इस गलियारे में काफी मात्रा में विखण्डन है। कुछ प्रत्यक्ष अवलोकन के अतिरिक्त मवेशियों की शिकार एवं अन्य अप्रत्यक्ष संकेतों के उदाहरण, क्षेत्र में बाघों की आवाजाही के प्रमाण हैं। गलियारा 3– संजय–दुबरी टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के साथ 53 किलोमीटर लंबा सार्वजनिक सीमा साझा करता है, जो तात्कालिक संजय राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था। टाइगर रिजर्व के बाघों को हाल के दिनो में अक्सर पार करते एवं वापस आते देखा गया था।

2 उत्तर पश्चिम भारत में बाघों के फैलाव की प्रवृति पर इंटरनेशनल यूनियन फार कंजरवेशन आफ नेचर के स्पीसीज सरवाइवल कमीशन के घटक, कैट न्यूज में प्रकाशित 2015 एक लेख।

3 माधव राष्ट्रीय उद्यान की प्रबंध योजना का अध्याय 11।

क्र. स.	विभिन्न गलियारों के प्रबंधन की स्थिति

गलियारा 4– बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, शहडोल जिला एवं छत्तीसगढ़ के कोरिया एवं मनेन्द्रगढ़ जिलों से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ता है।

गलियारा 5– जंगली हाथी छत्तीसगढ़ से पहली बार अक्टूबर 2002 में टाइगर रिजर्व में आये थे। तबसे, जंगली हाथियों की आवाजाही सीधी एवं सिंगरौली जिलों के जंगलों तक ही सीमित थी। स्थानीय जानकारी के अनुसार, ये हाथी गुरु घासीदास अभयारण्य के पास तमोरपिंगला अभयारण्य से आते हैं जहां हाथियों की अच्छी आबादी है। गुरुघासी दास से वे संजय–दुबरी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के मोहन परिक्षेत्र में प्रवेश करते हैं, सिंगरौली वनमंडल के सरई परिक्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, जहां कुछ समय के लिये रुकते हैं एवं पुनः उसी मार्ग से छत्तीसगढ़ वापस लौटते हैं। गलियारों के विखंडन के कारण फरवरी 2015 में दो जंगली हाथियों की करंट[4] लगने से मृत्यु हो गई थी।

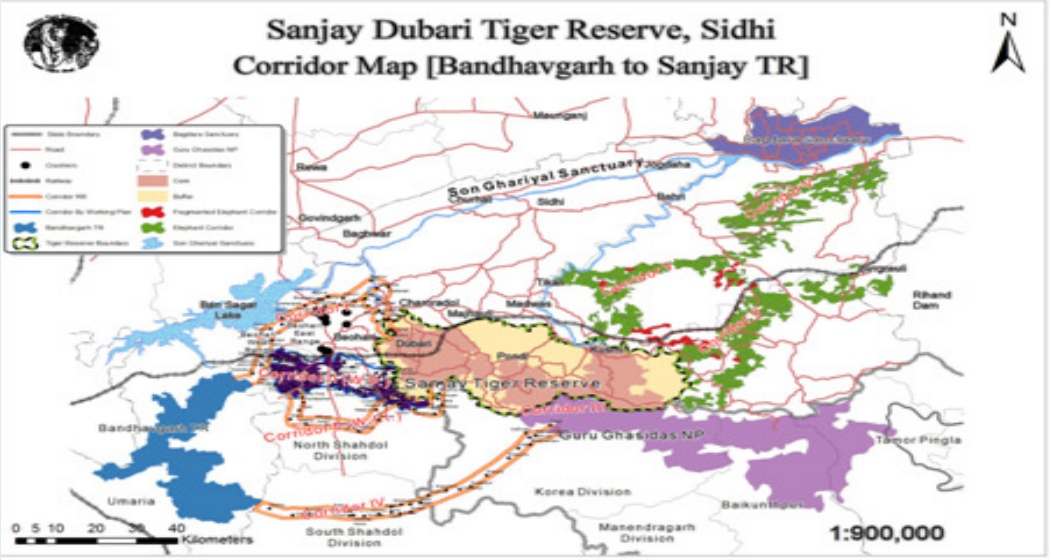

Map 1: Adjoining areas (Corridors) of Sanjay-Dubri Tiger Reserve

क्षेत्र संचालक, संजय टाइगर रिजर्व ने अगस्त 2017 में आवास सुधार; पर अध्ययनः संजय टाइगर रिजर्व में हाथियों के स्रोत की उपलब्धता का अध्ययन करने के साथ हाथियों के गलियारे की संबद्धता, संजय टाइगर रिजर्व में हाथियों की आवाजाही का नक्शा बनाने और गलियारा संबद्धता में सुधार के लिए उपाय सुझाने, संजय टाइगर रिजर्व में हाथियों के लिए आवास सुधार कार्यक्रम तैयार करने और दीर्घकालिक निगरानी योजना विकसित करने और हाथियों की चलायमान आबादी की व्यवहार्यता के लिए प्रबंधन दिशा–निर्देश तैयार करने हेतु प्रमुवसं/ वन्यप्राणी को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस प्रस्ताव का प्रसंग, वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश में हाथियों का प्रतिवेदन था, जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से प्रवेश कर संजय टाइगर रिजर्व के मोहन परिक्षेत्र में पहुँच गये थे। हाथी 2002 से 2009 एवं 2013 में और फिर 2017 में टाइगर रिजर्व में आए। फरवरी 2017 में सात हाथी आए थे। हालांकि, अध्ययन के विषय में कोई प्रगति एवं गलियारे में किये गये विकास कार्य अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। इस भू–दृश्य में रहवास संबद्धता में विखण्डन का कारण रेलवे लाइन, सड़क, खनन गतिविधियां तथा बड़ी परियोजनाएं यथा सीमेंट कारखाना एवं ताप विद्युत कारखाना थे। दूसरा संभावित खतरा जैविक दबाव एवं शिकार–आधार और संभवतः बाघों का अवैध शिकार है। इस संबद्धता के महत्व को कम कर के नहीं आंका जा सकता क्योकि पूर्व की ओर एक बड़ा रहवास स्थल अभी भी उपलब्ध है, जहां बाघों द्वारा पुनः बसाहट किया जा सकता है यदि बांधवगढ़ से संपर्क बना रहे।

बाधवगढ़–संजय–दुबरी–गुरु घासीदास गलियारा लंबे समय तक बाघ संरक्षण को संभाल सकता है किन्तु तभी जब यह संबद्धता क्रियाशील रहे। उक्त पांच महत्वपूर्ण गलियारों के रख–रखाव के लिए योजना का अभाव वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संवर्घन के प्रावधानों के अनुरुप नहीं था, जिससे उनका आवागमन सुनिश्चित हो सके।

[4] सीधी जिला मुख्यालय से लगभग छः किलोमीटर की दूरी पर बघवारी ग्राम में, जब हाथी झुंड से भटक कर दिशा भटक गये और सीधी जिले में प्रवेश कर गये।

क्र. स.	विभिन्न गलियारों के प्रबंधन की स्थिति
	क्षेत्र संचालक, संजय टाइगर रिजर्व द्वारा बताया गया कि भविष्य में प्रमुवसं/ वन्यप्राणी के निर्देशन में गलियारे की योजना बनाई जाएगी। हाथी गलियारा पर अध्ययन के संबंध में क्षेत्र संचालक द्वारा बताया गया कि अध्ययन के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन प्रतीक्षित है (नवंबर 2019)।
5	**बांधवगढ़–अचानकमार** बांधवगढ़–अचानकमार दो बहुत ही महत्वपूर्ण उप भू–दृश्यों कान्हा–पेंच आबादी एवं बांधवगढ़–संजय –दुबरी आबादी को जोड़ता है। हालांकि गलियारा बाघ प्रतिरोधी भू–दृश्य से होकर गुजरता है क्योकि आस–पास के कुछ समुदायों को उनके अवैध शिकार की प्रवृति के लिए जाना जाता है। जिस रहवास से यह गलियारा गुजरता है वह स्वयं उच्च जैविक दबाव के साथ संकीर्ण चोटीनुमा जंगल है। इसके अतिरिक्त इस भू–दृश्य में कोयले की उपलब्धता के कारण कोयला खनन से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास का दबाव हमेशा बना रहता है। इस गलियारे को पारिस्थितिकी के साथ–साथ सामाजिक–आर्थिक आदानों के संदर्भ में बहाली के लिए ध्यान देने की गंभीर आवश्यकता है। इसकी स्रोत आबादी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। यद्यपि, यहां तक कि इस गलियारे के लिए सांकेतिक योजना भी स्वीकृत नहीं थी। क्षेत्र संचालक द्वारा बताया गया कि इन क्षेत्रों का रखरखाव संबंधित क्षेत्रीय वनमंडलों द्वारा कार्य आयोजनाओं के प्रावधानो के अनुरुप किया जा रहा है।

(स्रोतः वन विभाग)

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भः कंडिका 2.2.4)

प्रबंध योजना तैयार करने में कमियां, प्रभाव तथा अच्छी प्रथाएं

क्र. स.	संरक्षित क्षेत्र	अवधि	अनुपालित दिशा–निर्देश	कमियां	प्रभाव	अच्छी प्रथाएं
1	रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य	2008–09 से 2017–18	दर्शाया नहीं गया	• शोध गतिविधियां चिन्हित नहीं की गई। • प्रबंध क्षेत्र आयोजना नहीं की गई थी। • वित्तीय गतिविधियों के लिए संचालन की अनुसूची निर्धारित नहीं थी। • अधिकारियों द्वारा गश्ती एवं उच्चाधिकारियों द्वारा उनकी निगरानी के लिए विस्तृत योजना तैयार नहीं की गई।	• वन संसाधनों के सतत् उपयोग हेतु प्रकृति एवं उसके क्रियाकलापों की बेहतर समझ विकसित नहीं की जा सकी, प्रजातियों एवं रहवास के संरक्षण की स्थिति एवं किये गये संरक्षण प्रयासों के प्रभाव की सीमा ज्ञात नहीं की जा सकी। • आयोजना द्वारा संरक्षित क्षेत्र के विभिन्न निर्धारित क्षेत्रों हेतु क्रियाकलापों का पृथककरण नहीं किया गया। • योजना अंतर्गत प्रबंधन कार्यों को वार्षिक कार्यों की एक श्रृंखला में अभिलेखित नहीं किया जा सका। • आयोजना प्रक्रिया के माध्यम से वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास के इष्टतम् सुरक्षा उपाय नहीं किये जा सके।	• प्रबंध योजना हिन्दी में तैयार की गई जो विभिन्न स्तर के कार्यबल द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है।
2	बगदरा वन्यप्राणी अभयारण्य	2017–18 से 2026–27	भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा वन्यजीव प्रबंध योजना बनाने हेतु दिशा–निर्देश	• पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के साथ समन्वय, संयुक्त गश्ती एवं खूफिया जानकारी एकत्र करने के लिये तंत्र निर्धारित नहीं था, जबकि इससे प्रकट खतरों का वर्णन प्रबंध योजना में किया गया था। • अवैध शिकार के रोकथाम के उपाय अस्पष्ट थे, क्योकि कर्मियों द्वारा गश्ती एवं निरीक्षण हेतु विस्तृत उपाय निर्धारित नहीं किये गये थे।	• आयोजना प्रक्रिया के माध्यम से वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास के इष्टतम् सुरक्षा उपाय नहीं किये जा सके।	• अभयारण्य में निवास करने वाले वन्यप्राणियों की पारिस्थितिकी एवं मुख्य विशेषताएं दर्शाई गई थी। • वित्तीय गतिविधियों के लिये संचालन की अनुसूची निर्धारित थी।
3	कूनो राष्ट्रीय उद्यान	2010–11 से 2019–20	भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा वन्यजीव प्रबंध	• वन्यप्राणियों का आंकलन दर्शाया नहीं गया था।	• वन संसाधनों के सतत उपयोग हेतु प्रकृति एवं उसके क्रियाकलापों की बेहतर समझ विकसित नहीं की जा सकी, प्रजातियों एवं रहवास के	• प्रबंध योजना हिन्दी में तैयार की गई तथा योजना का सारांश अंग्रेजी में तैयार किया गया।

क्र. स.	संरक्षित क्षेत्र	अवधि	अनुपालित दिशा–निर्देश	कमियां	प्रभाव	अच्छी प्रथाएं
			योजना बनाने हेतु दिशा–निर्देश एवं कार्य आयोजना संहिता	• शोध गतिविधियों की पहचान नहीं की गई थी। • वित्तीय गतिविधियों के संचालन की अनुसूची निर्धारित नहीं थी। • कर्मियों द्वारा गश्ती और निरीक्षण एवं उनकी निगरानी के लिए विस्तृत योजना निर्धारित नहीं थी।	संरक्षण की स्थिति एवं किये गये संरक्षण प्रयासों के प्रभाव की सीमा ज्ञात नहीं की जा सकी। • योजना अंतर्गत प्रबंधन कार्यों को वार्षिक कार्यो की एक श्रंखला में अभिलिखित नहीं किया जा सका। • आयोजना प्रकिया के माध्यम से वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास के इष्टतम् सुरक्षा उपाय नहीं किये जा सके।	• चिड़ियाघर से लाये गये अनुवांशिक रुप से शुद्ध शेरों के प्रजनन् केन्द्रों की स्थापना कर राष्ट्रीय उद्यान में शेरों के प्रजनन से तीसरी/ चौथी पीढ़ी में जंगली शावकों के पुनर्वास द्वारा राष्ट्रीय उद्यान में शेरों के पुनर्स्थापना के लिये वैकल्पिक योजना।
4	नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य	2007–08 से 2016–17	भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा वन्यजीव प्रबंध योजना बनाने हेतु दिशा–निर्देश	• पन्ना टाईगर रिजर्व के साथ स्पष्ट गलियारा होने के बाद भी बाघ गलियारे का विश्लेषण और उल्लेख नहीं था। • प्रबंध योजना में दर्शाये गये ग्रामों की सख्या 69 थी, जब कि मुख्य वनसंरक्षक को संबोधित पत्र में वनमंडल अधिकारी द्वारा वन्यप्राणी अभयारण्य में 74 ग्राम स्थित होना बताया था। इस प्रकार महत्वपूर्ण आधार आंकडों में विसंगति थी। • अध्याय "वर्तमान प्रबंधन" में वन्यप्राणी स्वास्थ एवं कीट हमले के विषय पर चर्चा की गई थी किन्तु संबंधित अध्याय में शमन उपाय निर्धारित नहीं थे। • वन्यप्राणी अभयारण्य एवं उसके आस–पास ग्रामों की उपस्थिति के कारण वन्यप्राणी रहवास के क्षरण को कम करने हेतु भी उपाय निर्धारित नहीं किये गये थे।	• बाघ परिदृश्य हेतु संरक्षण गतिविधियों की आयोजना एवं उनका कार्यान्वयन नहीं किया जा सका। • अपर्याप्त ग्राम विस्थापन योजना। • वन्यप्राणियों के स्वास्थ्य हेतु संरक्षण उपायों एवं कीट हमलों के विरुद्ध योजना में कमीं। • आयोजना प्रकिया के माध्यम से वन्यजीवों एवं उनके रहवास के इष्टतम् सुरक्षा उपाय नहीं किये जा सके।	-----

क्र. स.	संरक्षित क्षेत्र	अवधि	अनुपालित दिशा–निर्देश	कमियां	प्रभाव	अच्छी प्रथाएं
				• गश्ती एवं उसकी निगरानी के लिए विस्तृत योजना निर्धारित नहीं की गई थी।		
5	माधव राष्ट्रीय उद्यान	2007–08 से 2016–17	उल्लेख नहीं किया गया	• अनुसंधान गतिविधियों की पहचान नहीं की गई थी। • प्रबंध योजना में रणथम्भौर के बीच मौजूदा बाघ गलियारे को सीमांकित नहीं किया गया था। • मानव–वन्यप्राणी संघर्ष का विश्लेषण नहीं किया गया न ही उसके शमन की योजना बनाई गई। • गश्ती एवं उसकी निगरानी के लिए विस्तृत योजना निर्धारित नहीं की गई थी।	• वन संसाधनों के सतत् उपयोग हेतु प्रकृति एवं उसके क्रियाकलापों की बेहतर समझ विकसित नहीं की जा सकी, प्रजातियों एवं रहवास के संरक्षण की स्थिति एवं किये गये संरक्षण प्रयासों के प्रभाव की मात्रा ज्ञात नहीं की जा सकी। • बाघ भू–दृश्य हेतु संरक्षण गतिविधियों की आयोजना एवं उनका क्रियान्वयन नहीं किया जा सका। • आयोजना प्रक्रिया के माध्यम से वन्यजीवों एवं उनके रहवास के इष्टतम सुरक्षा उपाय नहीं किये जा सके।	• वित्तीय गतिविधियों के संचालन हेतु अनुसूची निर्धारित थी। • राष्ट्रीय उद्यान की जैव विविधता (स्तनधारी, सरीसृप, घोंघे, तितलियां, उभयचर आदि) दर्शाई गई थी।
6	करैरा वन्यप्राणी अभयारण्य	2008–09 से 2017–18	उल्लेख नहीं किया गया	• अधिकारियों द्वारा गश्ती और निरीक्षण एवं उसकी निगरानी के लिये विस्तृत योजना निर्धारित नहीं की गई थी। • ग्यारह ग्रामों में उपलब्ध सरकारी राजस्व भूमि जिसे सोन चिड़िया रहवास के रुप में विकसित किया जाना था, की पहचान होना बताया गया था परन्तु इनकी सूची प्रबंध योजना में नहीं थी।	• आयोजना प्रक्रिया के माध्यम से वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास के इष्टतम् सुरक्षा उपाय नहीं किये जा सके। • सोन चिड़िया हेतु रहवास विकसित नहीं किये जा सके एवं सोन चिड़िया पुनर्स्थापना योजना लागू नहीं की जा सकी।	• प्रबंध योजना हिन्दी में तैयार की गई थी। • अभयारण्य में दिहायला आद्रभूमि में देखे जाने वाले अप्रवासी पक्षियों के नाम एवं उनकी अनुमानित संख्या वर्णित थी।

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भः कंडिका 3.3.1.2)

टाइगर रिजर्व / संरक्षित क्षेत्रों से गुजरने वाली सड़कों में शमन उपाय में कमियां

क्र. स़.	टाइगर रिजर्व / संरक्षित क्षेत्र का नाम	मुख्य सड़कों के नाम	सड़क की स्थिति	शमन उपायों की स्थिति					
				रात्रि यातायात प्रतिबंध	गति अवरोधक	चेतावनी संकेतक	गति सीमा	सुरंग / हवाई पुल	पुल, पुलियों आदि में परिवर्तन
1	पेंच टाइगर रिजर्व	राष्ट्रीय राजमार्ग–7 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग–44)	उन्नयन किया गया	नहीं किया	नहीं किया	किया गया	नहीं किया	किया गया	लागू नहीं
		राज्य राजमार्ग–54	विद्यमान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं किया
2	पन्ना टाइगर रिजर्व	राष्ट्रीय राजमार्ग–75	विद्यमान	नहीं किया	किया गया	किया गया	नहीं किया	लागू नहीं	नहीं किया
		राज्य राजमार्ग–45	विद्यमान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं किया
3	संजय टाइगर रिजर्व	बस्तुआ से बड़काडोल	उन्नयन किया गया	नहीं किया	नहीं किया	नहीं किया	नहीं किया	नहीं किया	लागू नहीं
		देवमठ से खरबर	उन्नयन किया गया	नहीं किया	नहीं किया	नहीं किया	नहीं किया	नहीं किया	लागू नहीं
		रामगढ़ से बहेराडोल	उन्नयन किया गया	नहीं किया	नहीं किया	नहीं किया	नहीं किया	नहीं किया	लागू नहीं
		जूरीरुंडा से भदोरा	उन्नयन किया गया	नहीं किया	नहीं किया	नहीं किया	नहीं किया	नहीं किया	लागू नहीं
4	नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य	राष्ट्रीय राजमार्ग–12	विद्यमान	नहीं किया	किया गया	किया गया	नहीं किया	लागू नहीं	लागू नहीं
		राज्य राजमार्ग–15	उन्नयन किया गया	नहीं किया	किया गया	किया गया	नहीं किया	नहीं किया	लागू नहीं
5	माधव राष्ट्रीय उद्यान	राष्ट्रीय राजमार्ग–3	उन्नयन किया गया	नहीं किया	किया गया	किया गया	नहीं किया	नहीं किया	लागू नहीं
		राष्ट्रीय राजमार्ग–25	विद्यमान	नहीं किया	नहीं किया	नहीं किया	नहीं किया	लागू नहीं	नहीं किया
6	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व	अमरपाटन–शाहपुरा	विद्यमान	नहीं किया	किया गया	किया गया	नहीं किया	लागू नहीं	नहीं किया
		सतना–मैहर–परासी	विद्यमान	नहीं किया	किया गया	किया गया	नहीं किया	लागू नहीं	नहीं किया
		करकेली–मानपुर	विद्यमान	नहीं किया	किया गया	किया गया	नहीं किया	लागू नहीं	नहीं किया
		अमरपाटन–ताला–शाहपुरा	विद्यमान	नहीं किया	किया गया	किया गया	नहीं किया	लागू नहीं	नहीं किया
		उमरिया–मझौली	विद्यमान	नहीं किया	किया गया	किया गया	नहीं किया	लागू नहीं	नहीं किया
		बरही–सिंगरौली	विद्यमान	नहीं किया	किया गया	किया गया	नहीं किया	लागू नहीं	नहीं किया
7	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व	राज्य राजमार्ग–19	विद्यमान	नहीं किया	नहीं किया	किया गया	नहीं किया	लागू नहीं	नहीं किया
8	कान्हा टाइगर रिजर्व (कोर)	राज्य राजमार्ग–26	विद्यमान	किया गया	किया गया	किया गया	किया गया	लागू नहीं	लागू नहीं
9	कान्हा टाइगर रिजर्व (बफर)	राष्ट्रीय राजमार्ग–12ए	विद्यमान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं किया
10	रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य	राष्ट्रीय राजमार्ग–69	विद्यमान	नहीं किया	नहीं किया	किया गया	नहीं किया	लागू नहीं	नहीं किया

(स्रोतः वन विभाग)

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भः कंडिका 3.5.2.1)

मार्च 2019 की स्थिति में लेखापरीक्षित वनमंडलों में क्षेत्रीय कर्मियों का कुल स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं कमी की स्थिति

इकाई का नाम		परिक्षेत्र अधिकारी	उप परिक्षेत्र अधिकारी	वनपाल	वनरक्षक	योग
कान्हा टाइगर रिजर्व (कोर)	स्वीकृत	10	12	40	175	237
	कार्यरत	7	5	18	165	195
कमीं का *प्रतिशत*		**30**	**58**	**55**	**6**	**18**
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	स्वीकृत	6	3	10	43	62
	कार्यरत	4	1	8	42	55
कमीं का *प्रतिशत*		**33**	**67**	**20**	**2**	**11**
कूनो राष्ट्रीय उद्यान	स्वीकृत	10	12	45	225	292
	कार्यरत	8	4	22	154	188
कमीं का *प्रतिशत*		**20**	**67**	**51**	**32**	**36**
ओबेदुल्लागंज वनमंडल	स्वीकृत	15	16	52	208	291
	कार्यरत	9	8	44	165	226
कमीं का *प्रतिशत*		**40**	**50**	**15**	**21**	**22**
पन्ना टाइगर रिजर्व	स्वीकृत	14	16	67	174	271
	कार्यरत	9	11	31	137	188
कमीं का *प्रतिशत*		**36**	**31**	**54**	**21**	**31**
संजय टाइगर रिजर्व	स्वीकृत	18	11	38	131	198
	कार्यरत	10	2	21	122	155
कमीं का *प्रतिशत*		**44**	**82**	**45**	**7**	**22**
नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य	स्वीकृत	9	12	36	122	179
	कार्यरत	5	3	24	110	142
कमीं का *प्रतिशत*		**44**	**75**	**33**	**10**	**21**
पेंच टाइगर रिजर्व	स्वीकृत	15	15	51	170	251
	कार्यरत	8	12	37	139	196
कमीं का *प्रतिशत*		**47**	**20**	**27**	**18**	**22**
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व	स्वीकृत	19	25	81	235	360
	कार्यरत	10	14	53	190	267
कमीं का *प्रतिशत*		**47**	**44**	**35**	**19**	**26**
खिवनी वन्यप्राणी अभयारण्य	स्वीकृत	2	1	2	17	22
	कार्यरत	1	1	6	23	31
कमीं का *प्रतिशत*		**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
कान्हा टाइगर रिजर्व (बफर)	स्वीकृत	6	12	21	67	106
	कार्यरत	5	3	10	64	82
कमीं का *प्रतिशत*		**17**	**75**	**52**	**4**	**23**
बांधवगढ टाइगर रिजर्व	स्वीकृत	14	16	44	195	269
	कार्यरत	7	6	32	171	216
कमीं का *प्रतिशत*		**29**	**63**	**25**	**12**	**20**
माधव राष्ट्रीय उद्यान	स्वीकृत	8	8	15	70	101
	कार्यरत	3	4	13	63	83
कमीं का *प्रतिशत*		**63**	**50**	**13**	**10**	**18**
योग	स्वीकृत	146	159	502	1832	2639
योग	कार्यरत	86	76	319	1545	2026
	कमी	60	83	183	287	613
	प्रतिशत	**41**	**52**	**36**	**16**	**23**

(स्रोतः वन विभाग)

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भः कंडिका 3.5.2.1)

वनरक्षकों की वनमंडल वार प्रति वर्ग किलोमीटर हेतु स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की संख्या

क्र. स.	वनमंडल	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर)	मानवशक्ति		क्षेत्रफल प्रति वनरक्षक (वर्ग किलोमीटर)		वनरक्षक प्रति वर्ग किलोमीटर	
			स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	स्वीकृत	कार्यरत
1	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	4.45	43	42	0.10	0.11	9.66	9.44
2	कूनो राष्ट्रीय उद्यान	1,235.39	158	120	7.82	10.29	0.13	0.10
3	कान्हा टाइगर रिजर्व (कोर)	1,050.74	175	165	6.01	6.37	0.17	0.16
4	पेंच टाइगर रिजर्व	1,179.63	170	139	6.94	8.49	0.14	0.12
5	माधव राष्ट्रीय उद्यान	577.44	70	56	8.25	10.31	0.12	0.10
6	ओबेदुल्लागंज वनमंडल	1,797.91	208	165	8.64	10.90	0.12	0.09
7	नौरादेही (वन्यप्राणी) वनमंडल	1,197.04	122	106	9.81	11.29	0.10	0.09
8	पन्ना टाइगर रिजर्व	1,688.35	174	137	9.70	12.32	0.10	0.08
9	संजय टाइगर रिजर्व	2,376.46	131	122	18.14	19.48	0.06	0.05
10	बांधवगढ टाइगर रिजर्व	1,536.94	195	171	7.88	8.99	0.13	0.11
11	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व	2,133.30	235	190	9.08	11.23	0.11	0.09
12	कान्हा टाइगर रिजर्व (बफर)	1,134.31	67	64	16.93	17.72	0.06	0.06
13	खिवनी वन्यप्राणी अभयारण्य	132.78	17	26	7.81	5.11	0.13	0.20
	योग	**16,044.73**	**1,765**	**1,503**	**9.09**	**10.68**	**0.11**	**0.09**

(स्रोतः वन विभाग)

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भः कंडिका 3.5.3)

गश्ती शिविरों में सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र. स.	वनमंडल	निरीक्षित गश्ती शिविरों की संख्या	टार्च / बैटरी	शस्त्र	टाईगर ट्रेसर	मापने का टेप	प्राथमिक चिकित्सा किट	शौचालय सुविधा
1	पेंच टाइगर रिजर्व	20	19	0	15	18	19	14
2	संजय टाइगर रिजर्व	9	7	1	6	7	1	4
3	कान्हा टाइगर रिजर्व (कोर)	14	12	0	14	11	14	14
4	पन्ना टाइगर रिजर्व	20	7	0	12	16	14	11
5	माधव राष्ट्रीय उद्यान	4	2	0	3	2	0	3
6	नौरादेही (वन्यप्राणी) वनमंडल	4	2	0	3	2	0	3
7	कूनो राष्ट्रीय उद्यान	4	1	4	4	2	2	4
8	ओबेदुल्लागंज वनमंडल	4	2	4	3	3	0	0
9	बांधवगढ टाइगर रिजर्व	16	15	0	13	14	15	7
10	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व	14	11	0	14	14	14	12
11	कान्हा टाइगर रिजर्व (बफर)	10	8	0	10	9	9	9
12	खिवनी वन्यप्राणी अभयारण्य	2	2	0	1	2	0	1
योग		**121**	**88**	**9**	**98**	**100**	**88**	**82**
प्रतिशत			**73**	**7**	**81**	**83**	**73**	**68**

(स्रोतः गश्ती शिविरों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय कर्मचारियों की प्रतिकिया)

परिशिष्ट 3.5
(संदर्भ: कंडिका 3.5.3)
कल्याणकारी उपायों पर कैंप मजदूरों की प्रतिक्रियाओं को दर्शाने वाला विवरण

स क.	वनमंडल	श्रमिकों की संख्या	पुरस्कार प्रणाली	साप्ताहिक अवकाश	स्वास्थ्य जांच	मजदूरी के भुगतान में विलंब	पानी की बोतल	मच्छरदानी	राशन सुविधा
1	कान्हा टाइगर रिजर्व (कोर)	14	3	13	12	5	7	10	12
2	पन्ना टाइगर रिजर्व	20	5	19	17	7	11	8	8
3	पेंच टाइगर रिजर्व	20	7	19	18	0	19	19	19
4	संजय टाइगर रिजर्व	9	5	7	4	2	4	6	0
5	माधव राष्ट्रीय उद्यान	3	0	1	0	0	0	1	लागू नहीं
6	नौरादेही वनमंडल	3	0	1	0	0	0	1	लागू नहीं
7	कूनो राष्ट्रीय उद्यान	4	3	4	0	0	1	4	लागू नहीं
8	ओबेदुल्लागंज वनमंडल	4	0	2	0	3	0	0	लागू नहीं
9	बांधवगढ टाइगर रिजर्व	16	8	15	12	8	10	15	9
10	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व	14	7	13	9	1	11	12	0
11	कान्हा टाइगर रिजर्व (बफर)	10	4	2	10	10	4	1	1
12	खिवनी वन्यप्राणी अभयारण्य, (देवास सामान्य वनमंडल)	2	0	0	0	1	0	0	लागू नहीं
	योग	**119**	**42**	**96**	**82**	**37**	**67**	**77**	**49**
	प्रतिशत		**35**	**81**	**69**	**31**	**56**	**65**	**48**

(स्रोत: गश्ती शिविरों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय कर्मचारियों की प्रतिक्रिया)

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भः कंडिका 3.6.1)

2014–19 की अवधि में मानव–वन्यप्राणी संघर्ष मामलों में वन विभाग द्वारा भुगतान किये गये मुआवजे का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	वर्ष	घायल/ शिकार किये गये पालतू पशुओं की संख्या	क्षतिपूर्ति भुगतान	वन्यप्राणी हमले से घायल एवं मृत ग्रामीणों की संख्या	क्षतिपूर्ति भुगतान
1	2014–15	2,237	1.74	254	0.28
2	2015–16	3,463	2.99	236	0.23
3	2016–17	3,546	3.59	227	0.33
4	2017–18	4,169	3.61	185	0.41
5	2018–19	4,051	3.51	254	0.41
योग		**17,466**	**15.44**	**1,156**	**1.66**

(स्रोतः वनमंडल)

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भः कंडिका 4.1)

संरक्षित क्षेत्रों एवं टाइगर रिजर्वों में वृद्धि करने में कमी एवं विलंब

क्र. स.	प्रस्तावित संरक्षित क्षेत्र/ टाइगर रिजर्व	संरक्षित क्षेत्र एवं टाइगर रिजर्व में वृद्धि में कमी एवं विलंब
1	इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों की अधिसूचना	नर्मदा सागर परियोजना, जिसे इंदिरा सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, के लिये नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पक्ष में 41,111.97 हैक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन की स्वीकृति पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 1987 में प्रदान की गई। जिसकी शर्त के अनुसार राज्य शासन द्वारा एक समिति का गठन किया जाना था, जो कि वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये आवश्यक कदम तय कर एक योजना तैयार करेगी, जिसे परियोजना लागत से लागू किया जाना था। राज्य शासन ने जनवरी 1988 में इस उद्देश्य के लिए एक समिति का गठन किया, जिसमें मुख्यतः मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक तथा राज्य वन्यप्राणी बोर्ड के नामित सदस्य शामिल थे। लेखापरीक्षा ने प्रमुवसं/ वन्यप्राणी के कार्यालय में देखा कि यह प्रकरण तब से कई बार प्रक्रियाओं से गुजर चुका था। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने दो एजेसियों को इस योजना से वन्यप्राणियों, पौधों पर होने वाले प्रभाव एवं इस हेतु शमन उपाय सुझाने हेतु परामर्श कार्य दिया। उनके द्वारा 1994 एवं 1996 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये, जिनमें बताया गया कि इस क्षेत्र में 32 स्तनधारी प्रजाति एवं प्रचुर मात्रा में शाकाहारी वन्यप्राणी थे एवं एक राष्ट्रीय उद्यान तथा दो वन्यप्राणी अभयारण्यों के निर्माण हेतु सलाह दी। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने नवंबर 2002 में एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं तीन संरक्षित क्षेत्रों के लिए 491.552 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र प्रस्तावित किया। अप्रैल 2004 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को राज्य वन अनुसंधान संस्थान द्वारा एक और परामर्श कार्य दिया गया, जिसमें एक राष्ट्रीय उद्यान, दो वन्यप्राणी अभयारण्य तथा दो संरक्षण आरक्षिति का गठन प्रस्तावित किया गया। पांच संरक्षित क्षेत्रों के अधिसूचना के प्रस्ताव मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किये गये (मई 2005), जिनमें 696.91 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल किया गया था, जिसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था, कि इसमे अधिक क्षेत्र सम्मिलित हो रहा था जिससे क्षेत्रों में मछली पकड़ने, पर्यटन और कृषि जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित हो जाती जो कि स्थानीय लोगों की कठिनाई का कारण बन जाता। मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा लेखापरीक्षा को जुलाई 2019 में बताया गया कि ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान (246.44 वर्ग किलोमीटर) एवं दो वन्यप्राणी अभयारण्य (सिंघाजी वन्यप्राणी अभयारण्य 177.11 वर्ग किलोमीटर एवं मांधाता वन्यप्राणी अभयारण्य 68.75 वर्ग किलोमीटर) एवं दो संरक्षण आरक्षिति (नर्मदा संरक्षण आरक्षिति–1, 134.53 वर्ग किलोमीटर एवं नर्मदा संरक्षण आरक्षिति–2, 19.01 वर्ग किलोमीटर) जिसमें 645. 84 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल शामिल है, के गठन का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया है (दिसंबर 2007)। तबसे इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई थी। इस प्रकार 1987 में गैरवानिकी उद्देश्यों हेतु विशाल वनभूमि के व्यपवर्तन की स्वीकृति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिरोपित वन्यप्राणी के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए आवश्यक कदम उठाने की शर्त अभी भी प्रक्रियाओं में फंसी थी, जिसे राज्य शासन द्वारा पूरा नहीं किया जा सका।
2	पेंच टाइगर रिजर्व का विस्तार	पेंच टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र का आकार 411.30 वर्ग किलोमीटर तथा बफर केवल 768.30 वर्ग किलोमीटर है। पेंच टाइगर रिजर्व के कोर एवं बफर क्षेत्र में वृद्धि के लिये विभाग के प्रयास अभिलेखों में दिखाई नहीं दिये। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व के निकटस्थ, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र है, जो कि बाघ को अतिरिक्त 257 वर्ग किलोमीटर का और अक्षुण्य रहवास उपलब्ध कराता है। यह स्पष्ट है कि वर्तमान विधिक सीमा कई जीवों की प्रजातियों के लिए पारिस्थितिकीय सीमा के रुप में कार्य नहीं करती है। पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र एवं अन्य आस–पास के वन क्षेत्रों में नियमित आवाजाही थी। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व एक साथ बाघों के लिए 668 वर्ग किलोमीटर अक्षुण रहवास उपलब्ध कराते है। लगभग 800–1000 वर्ग किलोमीटर अक्षुण्य रहवास उपलब्ध कराने के लिये यह आवश्यक है कि रुखड़ एवं अरी परिक्षेत्रों का 227.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जो कि पेंच मोगली वन्यप्राणी अभयारण्य के पूर्व में स्थित है, शामिल किया जाए यह क्षेत्र मानव प्रभाव से लगभग मुक्त है एवं इस क्षेत्र के अंतर्गत केवल एक ग्राम सकाटा है, जिसमें कम

क्र. स.	प्रस्तावित संरक्षित क्षेत्र/ टाइगर रिजर्व	संरक्षित क्षेत्र एवं टाइगर रिजर्व में वृद्धि में कमी एवं विलंब
		संख्या में परिवार रहते हैं। यह जंगल पेंच–कान्हा टाइगर गलियारे का हिस्सा है और इस लिए भविष्य में क्रिटिकल बाघ रहवास के हिस्से के रुप में इसका समावेश बाघ संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि, क्षेत्र में बाघ की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए सकाटा ग्राम को विस्थापित करने एवं कोर क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्षेत्र संचालक के प्रयास दिखाई नहीं दे रहे थे। क्षेत्र संचालक द्वारा बताया गया कि ग्रामीणों से चर्चा की जा रही है, उनकी सहमति प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी। तथ्य यह है कि वर्ष 2008–09 में बाघ संरक्षण योजना की मंजूरी के 10 साल से अधिक समय के बाद भी ग्राम को विस्थापित नहीं किया जा सका और बाघ और वन्यप्राणी संरक्षण का लाभ देने के लिए क्षेत्र को पेंच टाइगर रिजर्व में नहीं जोड़ा जा सका।
3	रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना	राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य एवं अन्य आस–पास के क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रुप में अधिसूचित करने के लिए सैद्धान्तिक मंजूरी दी (अगस्त 2008)। वर्ष 1976 में 530.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य के रुप में अधिसूचित किया गया था, वर्ष 1983 में क्षेत्र और जोड़ा गया, जिससे कुल अधिसूचित क्षेत्र 689.46 वर्ग किलोमीटर था। हालांकि वन्यप्राणी अभयारण्य का वास्तविक क्षेत्रफल 910.638 वर्ग किलोमीटर था। इस प्रकार, वन्यप्राणी अभयारण्य के अधिसूचित एवं वास्तविक क्षेत्र के बीच 221.178 वर्ग किलोमीटर का अंतर है। उपर्युक्त विसंगति के दृष्टिगत, जनवरी 2012 में रातापानी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र हेतु 763.812 वर्ग किलोमीटर तथा बफर क्षेत्र के लिए 480.706 वर्ग किलोमीटर का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया। वनमंडल अधिकारी, ओबेदुल्लागंज ने बताया (अक्टूबर 2019) कि रातापानी टाइगर रिजर्व का एक पुनरीक्षित प्रस्ताव जिसमें 763.812 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र तथा 480.706 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल 1,244.518 वर्ग किलोमीटर) का प्रस्ताव भेजा गया था, जो कि प्रदेश शासन के विचाराधीन है।
4	फेन वन्यप्राणी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना	इसी प्रकार फेन वन्यप्राणी अभयारण्य के लिए 2011–12 से 2020–21 की अवधि की प्रबंध योजना के अनुसार कान्हा प्रबंधन ने इसकी क्षमता को पहचानते हुए इसे एक क्रिटिकल बाघ रहवास घोषित करने का प्रस्ताव दिया। वन्यप्राणी अभयारण्य का अधिसूचित क्षेत्र लगभग 111.704 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रस्ताव के अतंर्गत मुख्य वन अभिरक्षक ने भी इस क्षेत्र को आगे की कार्यवाही एवं अधिसूचना के लिये सूचीबद्ध किया था। वन्यप्राणी अभयारण्य में पड़ने वाले एक ग्राम का, विस्थापन क्षेत्र को क्रिटिकल बाघ रहवास घोषित करने के उद्देश्य से पहले ही कर दिया गया था। प्रमुवसं/ वन्यप्राणी ने मार्च 2017 में फेन वन्यप्राणी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रुप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव भेजा। प्रति उत्तर में मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा अप्रैल 2017 में प्रमुवसं से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व कोर एवं बफर और फेन वन्यप्राणी अभयारण्य के लिये पूर्व अधिसूचनाओं की प्रतियां मांगी। प्रमुवसं/ वन्यप्राणी ने मई 2017 एवं मई 2019 में क्षेत्र संचालक, कान्हा टाइगर रिजर्व को पत्र लिखा, क्षेत्र संचालक द्वारा मांगे गये दस्तावेज मई 2019 में दो वर्ष बाद भेजे गये थे एवं अधिसूचना जनवरी 2020 तक नहीं की जा सकी थी। यह टाइगर रिजर्व क्षेत्र की वृद्धि पर पर्याप्त ध्यान की कमी को दर्शाता है। क्षेत्र संचालक ने बताया कि प्रबंधन पिछले दो वर्षों से फेन वन्यप्राणी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का क्रिटिकल बाघ रहवास एवं इसके आस–पास के क्षेत्र को बफर क्षेत्र घोषित करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इतने प्रयास एवं अनुनय के बाद भी वन्यप्राणी अभयारण्य के आसपास रहने वाले ग्रामीण अपने गांवो को बफर जोन के अंतर्गत रखने के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए। इसलिए, कान्हा प्रबंधन के पास बिना बफर के फेन वन्यप्राणी अभयारण्य को क्रिटिकल बाघ रहवास के रुप में प्रस्तावित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिलहाल कार्यालय इस प्रस्ताव को जल्द ही उच्चतर कार्यालय में भेजने की तैयारी कर रहा है।

(स्रोतः वन विभाग)

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भः कंडिका 4.3)

लेखापरीक्षित वनमंडलों में विस्थापन की स्थिति

क्र. स.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	विस्थापन हेतु प्रस्तावित		विस्थापन पूर्ण		शेष विस्थापन	
		राजस्व ग्राम	वनग्राम	राजस्व ग्राम	वनग्राम	राजस्व ग्राम	वनग्राम
राष्ट्रीय उद्यान							
1	पन्ना	19	0	17	0	2	0
2	पेंच	8	0	8	0	0	0
3	कान्हा	2	33	2	33	0	0
4	संजय	21	0	9	0	12	0
5	बांधवगढ़	6	3	4	2	2	1
6	सतपुड़ा	7	1	5	1	2	0
7	माधव	10	0	10	0	0	0
8	कूनो	24	0	24	0	0	0
9	वन विहार	0	0	0	0	0	0
योग		**97**	**37**	**79**	**36**	**18**	**1**
वन्यप्राणी अभयारण्य							
10	फेन	0	1	0	1	0	0
11	गंगऊ	2	0	2	0	0	0
12	संजय दुबरी	24	0	2	0	22	0
13	रातापानी	6	3	2	0	4	3
14	सिंघोरी	0	0	0	0	0	0
15	नौरादेही	12	1	9	1	3	0
16	बोरी	1	16	0	15	1	1
17	पचमढी	16	7	11	7	5	0
18	खिवनी	0	1	0	1	0	0
19	पनपथा	8	0	1	0	7	0
20	सोन घड़ियाल	0	0	0	0	0	0
21	करैरा	0	0	0	0	0	0
22	पेंच मोगली	0	0	0	0	0	0
23	बगदरा	0	0	0	0	0	0
24	केन घड़ियाल	0	0	0	0	0	0
योग		**69**	**29**	**27**	**25**	**42**	**4**
25	कान्हा टाइगर रिजर्व बफर	0	2	0	2	0	0
26	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व बफर	4	0	4	0	0	0
27	पन्ना टाइगर रिजर्व बफर	1	0	1	0	0	0
योग		**5**	**2**	**5**	**2**	**0**	**0**
महायोग		**171**	**68**	**111**	**63**	**60**	**5**

(स्रोतः प्रमुवसं/ वन्यप्राणी)

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भः कंडिका 4.5)

जल निकायों के प्रबंधन में कमियां

क्र. स.	संरक्षित क्षेत्र	जल निकायों के प्रबंधन में कमी
1	माधव राष्ट्रीय उद्यान	**जल–मल शोधन संयत्र के निर्माण से साख्य सागर झील के जल मार्ग में परिवर्तन का प्रभाव** माधव राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंध योजना के अनुसार, शिवपुरी शहर की जल निकासी व्यवस्था की योजना इस तरह से बनाई गई थी कि शहर से अधिकांश जल–मल जाधव सागर झील में बहता है जो एक तलछट टंकी के रूप में कार्य करता है और फिर छना हुआ पानी बांधों की एक श्रृंखला के माध्यम से साख्य सागर झील (चांदपाठा झील) में चला जाता है। जाधव सागर गर्मी के मौसम में पानी के प्रमुख स्रोतों में से एक है। जल–मल शोधन संयत्र सुविधा के लिए रिइनफोर्सड सीमेंट कांक्रीट पाइप लाइन कार्य पर व्यापक पर्यावरण प्रभाव आंकलन अध्ययन के अनुसार शिवपुरी में जाधव सागर झील, चांदपाठा झील और माधव सागर झील नाम की तीन झीलें हैं, जो इसी क्रम में एक श्रृंखला में एक धारा के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। जाधव सागर झील में नालों के माध्यम से जल–मल के प्रवेश के कारण जाधव सागर झील की स्थिति खराब हो गई है। परियोजना प्रस्ताव के अनुसार, इस संयंत्र से निकलने वाला पानी वन्य जीवों के पीने के लिए उपयुक्त होगा और घसारी नाला के माध्यम से बरही नदी में छोड़ा जाएगा। इस प्रकार, जल–मल शोधन संयत्र के कामकाज के शुरू होने के बाद, जाधव सागर का पानी अब चांदपाठा झील में नहीं बहेगा और विशेष रूप से गर्मियों में झील के जल स्तर को प्रभावित कर सकता है क्योंकि यह चांदपाठा झील के पानी का मुख्य स्रोत था। यह देखा गया कि पर्यावरण प्रभाव आंकलन अध्ययन ने इस पहलू पर विचार नहीं किया और विभाग ने जल–मल शोधन संयत्र के कारण साख्य सागर में जल प्रवाह में परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण भी नहीं किया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अप्रैल 2018 में परियोजना के पहले चरण की अनुमति दी। जल–मल शोधन संयत्र का निर्माण प्रगति पर था (दिसंबर 2019)। इसके अतिरिक्त, माधव राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंध योजना की कंडिका 6.8.4 के अनुसार, शिवपुरी शहर के सभी कचरे को ले जाने वाला नाला साख्य सागर (चांदपाठा झील) में बह जाता है, जिससे उसमें धीमी गति से सुपोषण होता है। लेखापरीक्षा ने संयुक्त निरीक्षण में पाया कि जाधव सागर झील के कर्बला क्षेत्र के माध्यम से खतरनाक जल–मल का प्रवाह चांदपाठा झील को प्रदूषित कर रहा था। चांदपाठा झील में पानी के अन्तर्वाह की स्थिति नीचे दिए गए चित्रों में दिखाई दे रही हैः **चांदपाठा झील की ओर जाने वाला नाला** **(स्रोतः संयुक्त निरीक्षण के दौरान ली गई तस्वीर)** न तो संचालक और न ही पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की निगरानी के लिए गठित समिति ने पानी के अन्तर्वाह को चांदपाठा झील की ओर मोड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, जो राष्ट्रीय उद्यान के वन्यप्राणियों के लिए खतरनाक था। किसी भी उद्देश्य के लिए निगरानी समिति की एक भी बैठक नहीं हुई, इस प्रकार ईको–संवेदी जोन अधिसूचना के तहत् गठित समिति स्पष्ट रूप से निष्क्रिय अवस्था में थी।

क्र. स.	संरक्षित क्षेत्र	जल निकायों के प्रबंधन में कमी
		संचालक ने बताया कि पुरानी शिवपुरी झांसी मार्ग से पाइप लाइन बिछाई जा रही है. जल–मल शोधन संयत्र का निर्माण राष्ट्रीय उद्यान के बाहर किया जाना है। जल–मल के पानी को ट्रीटमेंट के बाद राष्ट्रीय उद्यान स्थित बरही नदी में छोड़ा जाएगा और केवल बारिश का पानी साख्य सागर झील में पहुंचेगा। इसके चलते झील में पानी की कमी को लेकर विभाग ने कोई अध्ययन नहीं किया। तथ्य यह है कि जल–मल शोधन संयत्र परियोजना के माध्यम से बदलते अन्तर्वाह के कारण, सांख्य सागर झील का मुख्य जल स्रोत बरही नदी में नीचे की ओर बहेगा, जिससे झील के जल स्रोत और जलीय रहवास प्रभावित होंगे।
2	करैरा वन्यप्राणी अभयारण्य	**करैरा अभयारण्य में आर्द्रभूमि का संरक्षण** 2008–09 से 2017–18 के लिए वन्यप्राणी अभयारण्य के प्रबंध योजना के अनुसार, करैरा वन्यप्राणी अभयारण्य में दिहायला आर्द्रभूमि 493.93 हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसमें राजस्व और निजी भूमि शामिल है, जो कि सर्दी के मौसम में जलकाग, बगुले, सफेद बगुला और सारस जैसे प्रवासी पक्षियों का एक बड़ा आकर्षण का केन्द्र था। 2000–01 से 2004–05 के दौरान सर्दियों में प्रवासी पक्षियों की 25 से 59 प्रजातियां देखी गईं। पानी से सिंचाई और आर्द्रभूमि में रबी फसल की खेती के कारण इन पक्षियों ने आर्द्रभूमि में प्रवास करना बंद कर दिया। प्रबंध योजना में आर्द्रभूमि अधिग्रहण और ईको–टूरिज्म के लिए विकास निर्धारित किया गया। हालांकि, निर्धारित उपायों को लागू नहीं किया गया था। संचालक ने बताया कि 1999 में भूमि अधिग्रहण के लिए जिलाधीश को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे स्वीकृत नहीं किया गया। संचालक ने कहा कि आर्द्रभूमि के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव वन को 1999 में भेजा गया था, जिसे स्वीकृत नहीं किया गया था। उत्तर दर्शाता है कि इस संबंध में आर्द्रभूमि में रहवास सुधार के लिए सकारात्मक कार्रवाई 20 से अधिक वर्षों से नहीं की गई थी।
3	नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य	**नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य में वाटरशेड का निर्माण** नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य के प्रबंध योजना ने परिकल्पना की कि बड़े पैमाने पर रहवास में हेरफेर के रूप में किसी भी बड़े सीमांत आगतों की आवश्यकता नहीं है, और न ही उन्हें कोर ज़ोन में अनुमति दी जाएगी। छोटी झिरिया, जो साल पर्यन्त जीवित रहती हैं उन्हें अच्छी स्थिति में रखा जाना चाहिए और वांछित सीमा तक साफ किया जाना चाहिए। खुले जलाशयों, तालाबों, स्टॉप डैम, झिरिया आदि में पानी की गहराई जनवरी से जून तक हर महीने के पहले सप्ताह में दर्ज की जानी चाहिए, जिसे कुंड के सबसे गहरे हिस्से में एक पोल को लंबवत रूप से लगाकर आसानी से किया जा सकता है। जल जनित बीमारियों से उपयोगकर्ताओं, विशेषकर क्षेत्रीय कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुले पानी के स्रोतों के पानी की गुणवत्ता का अभिलेख रखा जाना चाहिए। जलग्रहण क्षेत्रों, ढालों और मिट्टी की रूपरेखा के उप–स्तरों की गहन जांच के बाद ही नए कृत्रिम स्रोतों पर विचार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, सागर वन्यप्राणी अभयारण्य में जल सर्वेक्षण कर रहा था। भविष्य में, उनके सर्वेक्षण के आधार पर स्थलों को भी लिया जा सकता है। वनमंडल अधिकारी, नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि केवल 96 जल निकाय अस्तित्व में थे। हालांकि, यह देखा गया था कि 2010 और 2017 के दौरान जल स्तर में सुधार के लिए 35 वाटरशेड में 83 तालाब, 498 परकोलेशन टैंक, 13358 घनमीटर चेकडैम और 11,335 रनिंग मीटर कंटूर ट्रेंच बनाए गए थे किन्तु मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। 35 चयनित वाटरशेड स्थलों को राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, सागर के सर्वेक्षण के आधार पर नहीं लिया गया था। जनवरी से जून तक हर महीने के पहले सप्ताह में खुले जल निकायों, तालाबों, स्टॉप डैम, झिरिया आदि में पानी की गहराई दर्ज नहीं की गई थी। खुले जलस्रोतो के पानी की गुणवत्ता का पता लगाने और इन जल निकायों की उपयोगिता और गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई थी। साथ ही, इतने बड़े पैमाने पर इन जल निकायों के निर्माण के कारण होने वाले प्रभाव का आकलन नहीं किया गया था। बड़े पैमाने पर रहवास में हेराफेरी प्रबंध योजना और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। वनमंडल अधिकारी ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों पर काम किया गया और काम में कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मृदा एवं नमी संबंधी कार्य करते समय प्रबंध योजना के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वन्यप्राणी अभयारण्य में किए गए कार्यों के माध्यम से वन्यप्राणी अभयारण्य की जल व्यवस्था में सुधार हुआ था।

(स्रोतः वन विभाग)

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भः कंडिका 4.8.1)

स्थानीय सलाहकार समिति के काम काज एवं टाइगर रिजर्व के आस–पास वाणिज्यिक गतिविधियों के नियमन में अस्पष्टताएं

क्र. स.	वनमंडल	देखी गई अस्पष्टताएं
1	बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व	राज्य शासन ने फरवरी 2013 में दिशानिर्देशों के अतंर्गत राज्य के टाईगर रिजर्वो के लिए स्थानीय सलाहकार समिति का गठन किया। स्थानीय सलाहकार समिति के सदस्यों का नामांकन राज्य शासन द्वारा सितंबर 2013 में किया गया था। संभाग आयुक्त शहडोल स्थानीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे एवं क्षेत्र संचालक, बांधवगढ टाईगर रिजर्व समिति के सदस्य सचिव थे। यद्यपि 2014–19 के दौरान कम से कम दस बैठकें आयोजित करने के स्थान पर मात्र पांच बैठकें यथा 30 जुलाई 2014, 17 फरवरी 2016, 26 मई 2017, 30 सितंबर 2017 एवं 16 फरवरी 2018 को आयोजित की गई थी। स्थानीय सलाहकार समिति ने मुख्य रुप से उद्यान प्रवेश शुल्क, तत्काल बुकिंग, स्थानीय समुदाय के सहयोग से बफर क्षेत्र में पर्यटन विकास, बफर क्षेत्र में अतिक्रमण, खनन गतिविधियों पर अनापत्ति, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस वितरण, वानिकी/ ईको पर्यटन/ विकास गतिविधियों में स्थानीय लोगों को रोजगार, धमोखर–ताला रोड में रात्रि यातायात निषेध तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयत्र की स्थापना जैसे मुद्दों पर चर्चा की एवं निर्णय लिया। यद्यपि 17 फरवरी 2016 की बैठक में पर्यटन से होने वाली आय से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस वितरण पर स्थानीय सलाहकार समिति द्वारा लिए गये निर्णय को न तो लागू किया गया एवं न ही अगली स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक में इसकी समीक्षा की गई। 30 जुलाई 2014 की बैठक में अध्यक्ष ने ताला ग्राम में अतिक्रमण हटाने के लिए समिति गठित करने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये थे। यह देखा गया कि निर्णय का अनुपालन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त स्थानीय सलाहकार समिति ने ताला–धमोखर सड़क में रात्रि यातायात निषेध का निर्णय लिया किन्तु इसे लागू नहीं किया गया। स्थानीय सलाहकार समिति ने टाइगर रिजर्व के संबंध में पर्यटन रणनीति की समीक्षा करना एवं राज्य शासन को सिफारिशें करना, टाइगर रिजर्व के अंदर एवं आस–पास के क्षेत्रों में इमारतो एवं बुनियादी ढाचों पर स्थल विशिष्ट मानदण्ड सुनिश्चित करना, टाइगर रिजर्व एवं उसके आस–पास पर्यटन के विकास से संबंधित मुद्दों पर स्थानीय स्व–शासन एवं राज्य शासन को सलाह देना, यात्रा संचालकों की गतिविधियों की नियमित निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे आगंतुकों को टाइगर रिजर्व ले जाते समय वन्यप्राणियों को परेशान न करे, स्थानीय समुदायों के सदस्यों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करना, के संबंध में कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार दिशा निर्देशों में निहित उद्देश्य काफी हद तक अप्राप्त रहे। क्षेत्र संचालक ने बताया कि पर्यटन आय से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस वितरण पर स्थानीय सलाहकार समिति के निर्णय को चयनित गश्ती शिविरों में लागू किया गया है। पार्क विकास निधि से कियान्वयन प्रमुवसं (वन बल प्रमुख) की अध्यक्षता वाली समिति के वित्तीय अनुमोदन के अधीन है। अतः धनराशि की उपलब्धता के अनुसार कियान्वयन किया जायेगा। वितरित तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर की पुनः भराई भी नियमित रुप से की जा रही है। साथ ही ताला–धमोखर सड़क पर रात्रि के समय भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय सलाहकार समिति ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्यान में पर्यटक वाहनों की संख्या बढ़ाने जैसे निर्णय लिये हैं, जिससे स्थानीय समुदायों को रोजगार के अधिक अवसर मिले हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ताला ग्राम में अतिक्रमण हटाने के लिए समिति का गठन नही किया गया था, ताला–धमोखर सड़क पर पूर्णतया रात्रि कालीन आवागमन निषिद्ध नहीं किया गया था। टाइगर रिजर्व के संबंध में पर्यटन रणनीति की समीक्षा करने एवं राज्य शासन को सिफारिशें करने, इमारतो पर स्थल विशिष्ट मापदण्ड सुनिश्चित करने एवं टाइगर रिजर्व के आस–पास के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे एवं टाइगर रिजर्व एवं उसके आस–पास

क्र. स.	वनमंडल	देखी गई अस्पष्टताएं
		पर्यटन के विकास से संबंधित मुद्दों पर स्थानीय स्वशासन एवं राज्य शासन को सलाह देने इत्यादि कार्यो पर स्थानीय सलाहकार समिति द्वारा कार्यवाही न करने के संबंध में प्रबंधन ने उत्तर नहीं दिया। दिनांक 31 अक्टूबर 2019 को स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक के कार्यवृत्त से देखा गया कि ताला (पर्यटक द्वार एवं सुविधा क्षेत्र) में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी एवं भूमि की पहचान की गई थी। यद्यपि राजस्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना था क्योंकि चिन्हित भूमि राजस्व भूमि थी। इस प्रकार उद्यान में कोई अपशिष्ट प्रबंधन इकाई काम नहीं कर रही थी, यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं किया गया था एवं उद्यान को कचरे से मुक्त नहीं रखा जा सका था। क्षेत्र संचालक ने बताया कि ताला क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट संयत्र की भूमि के लिए जनवरी 2020 की स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2014–19 की अवधि में टाइगर रिजर्व में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नहीं हो रहा था।
2	पेंच टाइगर रिजर्व	पेंच टाइगर रिजर्व के टाइगर प्रबंध योजना ने उन गतिविधियों को प्रावधानित किया, जिन्हें प्रचारित, विनियमित या प्रतिबंधित किया जा सकता था, जिसमें 26 विषय यथा वाणिज्यिक खनन, पेड़ों की कटाई, आरा मिलों की स्थापना और जल, वायु, मिट्टी, ध्वनि प्रदूषण कारित उद्योग एवं होटल और रिसॉर्ट की स्थापना आदि शामिल थे। पेंच टाइगर रिजर्व के लिए राज्य शासन द्वारा गठित स्थानीय सलाहकार समिति की कार्यप्रणाली पर्याप्त नहीं थी क्योंकि 2014–19 के दौरान न्यूनतम 10 की तुलना में केवल दो बैठकें आयोजित की गई थीं। इसने अपने निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी नहीं की। स्थानीय सलाहकार समिति ने टाइगर रिजर्व के आसपास पर्यटन गतिविधि, होटल/ रिसॉर्ट के स्वामित्व, निर्माण के प्रकार एवं नियोजित व्यक्तियों के विवरण की निगरानी नहीं की। इसने राज्य शासन को किसी भी मामले में सलाह नहीं दी थी जैसा कि अनिवार्य था। यद्यपि क्षेत्र संचालक द्वारा बताया गया कि विनियमन के लिए किसी गतिविधि की पहचान नहीं की गई है। यह कहा गया था कि इस संबंध में कानूनी प्रावधान की कमी के कारण वाणिज्यिक गतिविधियों पर विनियमन संभव नहीं था।
3	पन्ना टाइगर रिजर्व	सितंबर 2013 में स्थानीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था। स्थानीय सलाहकार समिति की बैठकों के अभिलेखों का रखरखाव और कार्यवाही का विवरण उपलब्ध नहीं था। 2013 और 2017 के बीच किसी बैठक का होना नहीं पाया गया। हालांकि, वर्ष 2017 में समिति के पुनर्गठन के बाद तीन बैठकें आयोजित की गईं। इस प्रकार, न्यूनतम 10 की परिकल्पना के विरुद्ध केवल तीन बैठकें आयोजित की गईं। दिसंबर 2017 में हुई बैठक की कार्यवाही विवरण से पता चला कि पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्रों में पन्ना नगर पालिका के साथ कचरे को इकट्ठा करने के मामले पर चर्चा करने की भी सलाह दी गई थी। तथापि, समिति की आगामी बैठकों से संबंधित अभिलेखों से पता चलता है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्षेत्र संचालक ने कहा कि जिलाधीश छतरपुर ने बताया है कि खजुराहो में शोधन संयत्र स्थापित किया जा रहा है। इस प्रकार पन्ना नगर पालिका द्वारा कचरे के ढेर का मामला अनसुलझा रहा। प्रमुवसं/ वन्यप्राणी ने जून 2017 में स्थानीय सलाहकार समिति के माध्यम से सभी संबंधितों को टाइगर रिजर्व के आसपास और रिसॉर्ट्स, होटल और ढाबों आदि में की जाने वाली बाड़ों के प्रकार के बारे में निर्देशित किया। हालांकि, स्थानीय सलाहकार समिति की बैठकों की कार्यवाही में इस तरह के कोई कदम नहीं उठाए गए थे। टाइगर रिजर्व एवं उसके आसपास स्थित सभी पर्यटक सुविधाओं के पर्यावरणीय मुद्दों, कवर/ सृजित क्षेत्रों, स्वामित्व, निर्माण के प्रकार, कर्मचारियों/ रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या आदि के बारे में स्थानीय सलाहकार समिति द्वारा निगरानी, संबंधित अभिलेखो में नहीं पाई गई थी। संचालित पर्यटक वाहनों के वायु एवं ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जांच, नियमन एवं अनुपालन संबंधी अभिलेख भी उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, मामले पर स्थानीय सलाहकार समिति द्वारा अनुपालन सत्यापित नहीं किया जा सका।

क्र. स.	वनमंडल	देखी गई अस्पष्टताएं
4	कान्हा टाइगर रिजर्व	सितंबर 2013 में स्थानीय सलाहकार समिति का गठन किया गया था एवं 2014–19 के दौरान न्यूनतम 10 के विरुद्ध केवल छः बैठकें हुई थीं, वर्ष 2018 में कोई बैठक नहीं हुई थी। जुलाई 2015 में हुई एक बैठक में स्थानीय सलाहकार समिति ने होटलों/ रिसॉर्ट्स/ भवनों एवं अन्य वाणिज्यिक अधोसंरचनाओं से बाड़ हटाने का निर्णय लिया। इसके अलावा, जुलाई 2013 में कोर के साथ–साथ बफर क्षेत्र के वन्यप्राणियों पर पर्यटन के प्रभावों पर वैज्ञानिक अध्ययन करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, अभिलेखों में निर्णय की कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं पाई गई। 2015 में प्रकाशित एक शोध प्रतिवेदन में बताया गया है कि टाइगर रिजर्व के खटिया गेट के अधिकांश होटल/ रिसॉर्ट बंजर नदी से आधे किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित हैं, जिससे वन्यप्राणियों की नदी तक पहुंच प्रतिबंधित है और कान्हा और पेंच टाइगर के बीच महत्वपूर्ण वन्यप्राणी गलियारे को खंडित कर दिया[5]। हालांकि, अभिलेखों से यह दर्शित नहीं होता कि स्थानीय सलाहकार समिति ने अपनी बैठकों में इस मुद्दे को संबोधित किया था। क्षेत्र संचालक ने कहा कि होटलों/ रिसॉर्ट्स/ भवनों और अन्य वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे से बाड़ की ऊंचाई एक मीटर तक कम कर दी गई है, वन्यप्राणियों पर पर्यटन गतिविधियों के प्रभावों पर भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा एक शोध प्रगति पर है जिसमें यह मुद्दा शामिल है। बंजर नदी के निकट पर्यटक अधोसंरचना के संबंध में क्षेत्र संचालक ने कहा कि नए निर्माण को प्रतिबंधित कर दिया गया है और इन अधोसंरचनाओं से जंगली जानवरों को नदी में जाने में कोई बाधा नहीं आती है। तथापि, उत्तर के समर्थन में अभिलेखों/ अनुसंधान निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं किए गए और दावे की सत्यता को सत्यापित नहीं किया जा सका। वर्ष 2014–19 के दौरान कम संख्या में आयोजित स्थानीय सलाहकार समिति की बैठकों के बारे में उत्तर मौन था।
5	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व	क्षेत्र संचालक ने बताया कि स्थानीय सलाहकार समिति की नौ बैठकें हुई लेकिन बैठकों के अनुपालन प्रतिवेदन अन्य विभागों के सदस्यों से प्राप्त नहीं हुये थे। यह टाइगर रिजर्व में और उसके आसपास वाणिज्यिक गतिविधियों की समिति द्वारा खराब निगरानी को दर्शाता है। प्रबंधन ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की कि होटलों/ रेस्तरां द्वारा टाइगर रिजर्व में और उसके आसपास उत्पन्न कचरे का पुनर्नवीनीकरण किया जाए और/ या निर्वहन से पहले उसका शोधन किया जाए। रिजर्व के आस–पास निर्मित/ निर्माणाधीन नये बुनियादी ढांचे को स्थानीय सलाहकार समिति से मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य नहीं था, अतः इसलिए अपशिष्ट प्रबंधन एवं निर्माण नियमों आदि के उचित मानदंडों को सुनिश्चित नहीं किया गया था। इसके अलावा, क्षेत्र संचालक ने जून 2020 में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं पचमढ़ी छावनी बोर्ड के साथ समन्वय किया, किन्तु यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि पचमढ़ी क्षेत्र में आसपास के वातावरण में छोड़ने से पहले सभी ठोस अपशिष्ट, सीवेज का शोधन किया गया। आगे, चूरना एवं मढ़ई के अन्य पर्यटन क्षेत्रों में अधोसंरचना के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

(स्रोतः वन विभाग)

[5] कुमार संभव श्रीवास्तव

परिशिष्ट 4.5

(संदर्भः कंडिका 4.8.2.1)

लेखापरीक्षित वनमंडलों द्वारा सूचित अतिक्रमण की स्थिति

क्र. स.	वनमंडल / संरक्षित क्षेत्र	अतिक्रमण (हेक्टेयर)
1	कान्हा टाइगर रिजर्व (कोर)	0
2	कान्हा टाइगर रिजर्व (बफर)	0
3	पन्ना टाइगर रिजर्व	1,795.631
4	नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य	467.121
5	कूनो राष्ट्रीय उद्यान	2,486.45
6	माधव राष्ट्रीय उद्यान	7.84
7	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	0
8	ओबेदुल्लागंज वनमंडल	983.698
9	पेंच टाइगर रिजर्व	0
10	संजय टाइगर रिजर्व	475.376
11	बांधवगढ टाइगर रिजर्व	722.79
12	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व	0
13	खिवनी वन्यप्राणी अभयारण्य	4.00
	योग	**6,942.906**

(स्रोतः वन विभाग)

परिशिष्ट 4.6

(संदर्भः कंडिका 4.8.2.1)

अतिक्रमण के प्रकरणों में विसंगति/ कमी

क्र. स.	वनमंडल	पाई गइे विसंगति/ कमी
1	कान्हा टाइगर रिजर्व (बफर)	क्षेत्र संचालक, कान्हा (बफर) ने अतिक्रमण के मामलों को निरंक बताया और कहा कि 2003–04 तक सभी अतिक्रमणों को हटा दिया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2017 में, प्रमुवसं (वन बल प्रमुख) ने टाइगर रिजर्व (बफर) से 3,413.210 हेक्टेयर वन भूमि में अतिक्रमण को बेदखल करने का निर्देश दिया। इस प्रकार, प्रबंधन को उन अतिक्रमणों के बारे में पता ही नहीं था जिससे बेदखल करने की प्रकिया कमजोर हुई।
2	पेंच टाइगर रिजर्व	पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र के बाघ संरक्षण योजना के अनुसार 75 मामलों में 660.80 हेक्टेयर भूमि का उपयोग गैर–वानिकी प्रयोजनों के लिए किया जा रहा था। इन मामलों में वास्तविक भूमि उपयोग और उसकी वर्तमान स्थिति का विवरण प्रबंधकों के पास उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, वर्ष 2000 से पहले देखे गए 62 मामलों में 18.988 हेक्टेयर क्षेत्र पर अतिक्रमण था। फिर भी क्षेत्र संचालक ने इन मामलों को अतिक्रमण के रूप में सूचित नहीं किया। क्षेत्र संचालक ने कहा कि इनकी जांच की जाएगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार, मामलों के बारे में स्पष्ट अनभिज्ञता के कारण क्षेत्र संचालक द्वारा बेदखली की योजना एवं इसका कार्यान्वयन नहीं किया जा सका।
3	संजय टाइगर रिजर्व	क्षेत्र संचालक, संजय टाइगर रिजर्व ने सितंबर 2019 में मुख्य वन संरक्षक, रीवा को 172 मामलों में 475.376 हेक्टेयर वन भूमि में अतिक्रमण की सूचना दी और बेदखली को निरंक बताया। वनमंडल में वर्षवार अतिक्रमण प्रकरणों के अभिलेख संधारित नहीं किये गये, क्षेत्र संचालक ने पूर्व में मुख्य वन संरक्षक रीवा को सूचित किया कि मार्च 2017 तक 622 अतिक्रमणकारियों ने 854.08 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण कर लिया था। इस प्रकार, अतिक्रमण के मामलों की रिपोर्टिंग में विसंगति थी। इसके अतिरिक्त अतिक्रमण हटाने की कार्य योजना तथा इसके संबंध में किन्ही कानूनी प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज अभिलेखों में नहीं पाये गये। क्षेत्र संचालक ने बताया कि बगदरा वन्यप्राणी अभयारण्य में 854.08 हेक्टेयर भूमि को बेदखल करने के लिए 622 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं, विभागीय निर्देशों के अनुसार प्रकरणों के तत्काल निपटान के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएंगे। कर्मचारियों की कमी के कारण प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब हुआ। तथ्य यह है कि अतिक्रमण के मामलों की वास्तविक स्थिति प्रबंधन के पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उच्च अधिकारियों को विभिन्न आंकड़े प्रतिवेदित किए गए थे और मामलों की निगरानी के लिए अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया था।
4	सतपुड़ा टाइगर रिजर्व	क्षेत्र संचालक, सतपुडा टाइगर रिजर्व ने अतिक्रमण के मामलों को निरंक बताया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2017 में, प्रमुवसं ने टाइगर रिजर्व से 1,332.126 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण को बेदखल करने के निर्देश दिए थे। क्षेत्र संचालक ने कहा कि जानकारी मांगी जाएगी एवं पुनर्मिलान किया जायेगा। इस प्रकार, प्रबंधन को उन अतिक्रमणों के बारे में पता ही नहीं था, जिससे बेदखल करने की प्रकिया कमजोर हुई।
5	नौरादेही वन्यप्राणी अभयारण्य	2007–08 से 2016–17 के लिए वन्यप्राणी अभयारण्य की प्रबंध योजना के अनुसार वनमंडल में कुल 334.34 हेक्टेयर क्षेत्र पर अतिक्रमण था, जबकि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत 63 मामलों में 59.186 हेक्टेयर वन भूमि में वन अधिकार प्रदान करने के उपरान्त 316 मामलों में कुल 467.121 हेक्टेयर वन भूमि, दिसंबर 2018 तक की स्थिति में अतिक्रमित थी। 2007–08 के उपरांत वन्यप्राणी अभयारण्य में 191.945 हेक्टेयर के नए अतिक्रमण ने रहवास प्रबंधन के प्रति गंभीर कमियों का संकेत दिया। वनमंडल अधिकारी ने अतिक्रमण मामलों का वर्षवार विवरण दर्शाने हेतु अभिलेखों का संधारण नहीं किया था। वनमंडल अधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

6	माधव राष्ट्रीय उद्यान	मार्च 2019 में परिक्षेत्र अधिकारी/ दक्षिण ने पाया कि राष्ट्रीय उद्यान में भदैया कुण्ड के निकट कक्ष क्रमांक 54 में बिना उद्यान प्रबंधन की अनुमति के एक कैफेटेरिया संचालित किया जा रहा था। अपराधी के खिलाफ बेदखली या मामला दर्ज करने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई थी। संचालक ने कहा कि प्रबंधन द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई थी और परिक्षेत्र अधिकारी (दक्षिण परिक्षेत्र) द्वारा मामला दर्ज करने के लिए अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि निविदा प्रक्रिया अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी द्वारा जिला पर्यटन संवर्धन परिषद्, शिवपुरी की ओर से की गई थी। निर्माण के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर कानूनी प्रावधान के अनुरूप नहीं है और प्रबंधन अतिक्रमण हटाने के साथ–साथ अन्य कानूनी कार्यवाही के लिए कार्रवाई शुरू करने में विफल रहा है। यह कैफेटेरिया सांख्य सागर झील के किनारे स्थित है जो झील में जलीय वन्यजीवों के संरक्षण और संवर्धन के लिए खतरनाक हो सकता है।

(स्रोतः वन विभाग)

परिशिष्ट 4.7

(संदर्भः कंडिका 4.9.1)

अन्य प्रमुख परियोजनाओं का वन्यप्राणी रहवास पर प्रतिकूल प्रभाव एवं कमी

क्र. स.	परियोजना	वन्यप्राणी रहवास पर प्रतिकूल प्रभाव एवं कमी
1	पेंच नदी पर माचागोरा बांध	बाधों का निर्माण अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम की जैव–विविधता को प्रभावित करता है, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है[6]: अपस्ट्रीम प्रभावः एक बांध के निर्माण का आमतौर पर मतलब है कि बांध के ऊपर के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और स्थाई रुप से जलमग्न हो जाते है। कुछ प्रकरणों में जब जलाशय भरने लगे तो बड़े जानवरों को स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया है, किन्तु जब इन जानवरों को नये रहवास उपलब्ध नहीं कराये जा सकता है, तो यह विलुप्त होने में कुछ समय का विलंब करता है। डाउनस्ट्रीम प्रभावः नदियों के आस–पास का रहवास का स्वरुप बदल जाता हैं क्योंकि तलछट और कार्बनिक पदार्थ जो आमतौर पर बहते पानी के साथ जाते हैं, बांध द्वारा रोक लिए जाते हैं और नीचे की ओर डूब जाते हैं या जलाशय के किनारे फैल जाते हैं। जब पानी के प्रवाह को बिजली स्टेशनों या सिंचाई के लिए बदला जाता है तो रैपिड्स और झरनों में प्रवाह कम हो जाता है या पूरी तरह से गायब हो जाता है। रैपिड्स, झरने या आर्द्र सूक्ष्म जलवायु से जुड़ी प्रजातियां जो उनके आसपास उत्पन्न होती हैं, संख्या में कम हो जाती हैं या पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। स्थानीय प्रजातियों की समृद्धि कम हो जाती है एवं कुछ प्रजातियों को नदी प्रणालियों से मिटा दिया जाता है। छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों की लगभग 70,918 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई के लिए पेंच नदी पर पेंच टाइगर रिजर्व में प्रवेश के पूर्व एक बांध निर्माण किया किया गया था। इससे टाइगर रिजर्व में तोतलाडोह बांध में पानी का बहाव बदल गया। तथापि, परियोजना प्रस्तावक ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत माचागोरा बांध के निर्माण के लिए अनुमति नहीं मांगी थी। पेंच टाइगर रिजर्व द्वारा बांध से टाइगर रिजर्व पर होने वाले प्रभाव यथा भूमि उपयोग/ भूमि आवरण प्रादर्श में बदलाव के प्रभाव, स्थानिक संरचना और भू–दृश्य के विन्यास, वनस्पति प्रकारों और संरचनाओं, प्रमुख मांसाहारी और शाकाहारी प्रजातियों का स्थानिक एवं पारिस्थितिकीय वितरण का आंकलन नहीं किया गया। क्षेत्र संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व ने कहा कि परियोजना प्रस्तावकों ने प्रभावों के आकलन के लिए अनुमति नहीं मांगी थी। तथ्य यह है कि क्षेत्र संचालक ने नए बांध के निर्माण के विरुद्ध और निर्माण के कारण वन्यप्राणियों पर पड़ने वाले प्रभावों के आकलन के लिए कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया। परिणाम स्वरुप शोध पत्रों में विशिष्ट रुप से दर्शित प्रतिकूल प्रभाव का पता नहीं चल सका।
2	पेंच टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग–7 में सड़क चौड़ीकरण	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–7 पेंच मोगली वन्यप्राणी अभयारण्य की पूर्वी सीमा का गठन करता है, जो पेंच टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है और कान्हा–पेंच गलियारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कान्हा टाइगर रिजर्व तक सड़क के पूर्वी हिस्से में घना जंगल है। पेंच टाइगर रिजर्व के बाघ संरक्षण योजना के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–7 में हमेशा तेज गति वाले वाहन से दुर्घटना का बड़ा खतरा होता है। 1995 से 2006 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक –7 पर हुए दुर्घटनाओं में दो बाघ, 55 चीतल, एक जंगली सूअर, एक नीलगाय और एक सांभर की मौत हो गई थी। मौजूदा नागपुर–सिवनी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–7 पहले से ही वन्यप्राणियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। सड़क के चौड़ीकरण और उससे जुड़ी सहायक गतिविधियों से सामान्य रूप से टाइगर रिजर्व के वन्यप्राणी और विशेष रूप से कान्हा–पेंच भू–दृश्य में बाघों की आबादी खतरे में पड़ जाएगी[7]। पेंच टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली सड़क के हिस्से सहित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एक सड़क चौड़ीकरण परियोजना शुरू की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की केंद्रीय साधिकार समिति ने परियोजना के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए वन और

[6] जैव–विविधता पर बांधों का प्रभाव, रोलैण्ड जानसन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग, उमेआ विश्वविद्यालय, स्वीडन।

[7] भारतीय वन्यजीव संस्थान का मई 2009 का पत्र।

क्र. स.	परियोजना	वन्यप्राणी रहवास पर प्रतिकूल प्रभाव एवं कमी
		वन्यप्राणी मंजूरी से संबंधित मामले में कहा कि वन्यप्राणी विशेषज्ञों की सर्वसम्मत राय, राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की स्थायी समिति के विचार/ टिप्पणियां वन्य जीवन के लिए, वन सलाहकार समिति और भारतीय वन्यजीव संस्थान का विचार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–7 के प्रस्तावित चौड़ीकरण और उन्नयन से देश का एक सबसे महत्वपूर्ण एवं अतिसंवेदनशील वन्यप्राणी रहवासों में से एक को अपूरणीय क्षति, विखंडन और विनाश होगा। यह देश के वन्यप्राणी संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पेंच टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व के बीच संपर्क को भी नष्ट कर देगा। यह 16,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को आच्छादित करने वाले वन्यप्राणी रहवास के अंतिम, शायद एकमात्र, व्यापक मार्ग में से एक है। इस तरह के आवास को खंडित और नष्ट करने की अनुमति देने के बजाय इसे संगठित और संरक्षित किया जाना चाहिए। वर्तमान परियोजना की पारिस्थितिक लागत बहुत अधिक है और इसकी भरपाई के लिए कोई शमन उपाय पर्याप्त नहीं हैं। समिति ने सुझाव दिया कि नागपुर और सिवनी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–7 को चौड़ा करने के लिए वन भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके बदले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छिंदवाड़ा होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–7 को फिर से संरेखित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। साथ ही पेंच टाइगर रिजर्व और बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–7 के मौजूदा हिस्से पर वाहनों की आवाजाही पर सख्ती से रोक लगाई जाए। हालांकि, वन्यप्राणी सुरक्षा के लिए शमन उपायों के साथ राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की आठवीं बैठक में निर्णय के अनुपालन में प्रमुवसं/ वन्यप्राणी द्वारा अप्रैल 2018 में परियोजना के लिए वन्यप्राणी मंजूरी प्रदान की गई थी और छिंदवाड़ा के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–7 को मोड़ने की केन्द्रीय साधिकार समिति की सिफारिश को नजरअंदाज कर दिया गया था, जिससे वन्यप्राणियों के रहवास की अपूरणीय क्षति, विनाश एवं विखंडन हुआ। पेंच टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक ने बताया कि जनता के आक्रोश को देखते हुए चौड़ीकरण का प्रस्ताव भेजा गया था और निर्णय राज्य शासन ने लिया है। जाहिर है, राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए अनुमति देने की प्रक्रिया वन्यप्राणी संरक्षण के हित में नहीं बल्कि जनता के गुस्से के आधार पर शुरू की गई थी।
3	पन्ना टाइगर रिजर्व में हीरा खनन	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की हीरा खनन परियोजना को कुछ कानूनी मुद्दों के कारण बंद कर दिया गया था। हालांकि, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2008 में अपने आदेश में हीरा खनन परियोजना को फिर से खोलने की अनुमति दी और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया, जिसके संचालन के लिए विभिन्न सुरक्षा उपायों को निर्धारित करने और निगरानी करने के लिए खदान बंद करने की योजना के अनुमोदन के लिए अधिदेश दिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति सितंबर 2013 में समाप्त हो गई, हालांकि, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने एक सुसंगत, समयबद्ध खदान बंद करने की योजना प्रस्तुत नहीं की थी। मई 2015 में निगरानी समिति ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को अगले तीन महीनों के भीतर खदान और आसपास के क्षेत्र से सभी विदेशी पौधों को हटाने और समिति के समक्ष अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। निगरानी समिति के सुझाव के अनुसार इस तरह के मुद्दे का पालन न करना बाघ और शाकाहारियों के लिए हानिकारक होगा। तथापि, यह देखा गया कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने इस संबंध में कोई अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। खनन गतिविधि से केमासन नदी/ नाले में छोड़ा गया पानी वन्यप्राणियों के लिए बहुत सारी समस्याएँ पैदा करता है क्योंकि पानी में हीरा खनन परियोजना से निकलने वाली किम्बरलाइट रेत होती है। उप संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व ने अप्रैल 2019 में किम्बरलाइट के नकारात्मक प्रभाव पर अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि किम्बरलाइट के साथ मिश्रित पानी से क्रिटिकल रहवास को नुकसान हो रहा है। इस पर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की प्रतिक्रिया नवंबर 2019 तक प्रतीक्षित थी। लेखापरीक्षा दल द्वारा लिया गया फोटोग्राफ, जिसमें हीरा खनन परियोजना द्वारा छोड़े गए किम्बरलाइट के कारण केमासन नदी/ नाले का गंदा पानी दिखाया गया है।

क्र. स.	परियोजना	वन्यप्राणी रहवास पर प्रतिकूल प्रभाव एवं कमी
		 क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व ने कहा कि राज्य शासन ने इस संबंध में दिशा–निर्देश प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के साथ पत्राचार किया है, नवंबर 2019 तक उत्तर प्रतीक्षित था। तथ्य यह है कि इस अनिर्णय के कारण हीरा खनन परियोजना से प्रवाहित अन्तर्वाह निरंतर जारी था जो कि वन्यप्राणियों के स्वास्थ्य एव रहवास के लिए हानिकारक है।
4	सोनतलाई–बागड़ातवा रेल लाईन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व	मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक ने राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड द्वारा अपनी 48 वीं बैठक में की गई सिफारिश के आधार पर कार्यकारी अभियंता (निर्माण–1), हबीबगंज भोपाल को सोनतलाई–बागड़ातवा ब्रॉड–गेज रेलवे लाइन के निर्माण के लिए मई 2018 में वन्यप्राणी अनुमति प्रदान की। प्रमुवसं/ वन्यप्राणी ने इस वन्यप्राणी मंजूरी में सभी निर्धारित शर्तों के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को अधिकृत किया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने शमन उपायों के सख्त पालन के अधीन प्रस्ताव की सिफारिश की थी और किसी भी मौजूदा जल निकासी को निर्माण के कारण अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए और परियोजना कार्यान्वयन के दौरान रेल के आघात से मौतों के लिए विभिन्न कारकों यथा पारिस्थितिक, तकनीकी और चालकों एवं यात्रियों एवं योजनाकर्ताओं के बीच जागरूकता की कमी को ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्षेत्र में वन्यप्राणियों की आवाजाही की संभावना को ध्यान में रखते हुए, वन भूमि से गुजरने वाले प्रस्तावित रेलवे ट्रैक संरेखण का कम से कम 20 प्रतिशत पर शमन उपाय (सुरंग, बाड़, आदि), पशु अवरोधक बाड़ या प्रबलित बाड़ लगाना, रेल चालकों के लिये संवेदनशील खण्ड में दृश्यता बढ़ाना, प्रकाश और ध्वनि अवरोध स्थापित करने के साथ वन और रेलवे विभागों के लिए चौकीदारों की संयुक्त टीम बनाना आदि होने चाहिए। यह भी अनुशंसा की गई कि मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के वन अधिकारियों, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारतीय रेलवे और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक निगरानी समिति का गठन किया जाए, जो राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड द्वारा निर्धारित इन शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेगा। गतिविधियों से संबंधित अभिलेख, अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे और उन्हें लेखापरीक्षा में भी उपलब्ध नहीं कराया गया था। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक ने बताया कि सोनतलाई–बागड़ा तवा रेलवे लाइन के निर्माण में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा शमन उपायों को लागू किया गया था। परियोजना की प्रति एवं कार्य पूर्णता प्रतिवेदन क्षेत्रीय वनमंडल से प्राप्त कर उपलब्ध कराया जायेगा। तथापि, राष्ट्रीय वन्यप्राणी बोर्ड के निर्देशों के अनुसार निगरानी समिति का गठन नहीं किया गया था और क्षेत्र संचालक द्वारा प्रमुवसं/ वन्यप्राणी को परियोजना के निष्पादन का कोई प्रगति प्रतिवेदन नहीं भेजा गया था। क्षेत्र संचालक ने वन्यप्राणी अनुमति में निर्धारित सभी शर्तों का निष्पादन सुनिश्चित नहीं किया।

(स्रोतः वन विभाग)

ऊपर से, बाएं से दाएंः
बाघ (फोटोः इंद्रनील पॉल), तेंदुआ (फोटोः वरूण ठक्कर)
बाघ एवं चीतल झुंड (फोटोः सिद्धार्थ विनीत), बाघ एवं चीतल झुंड (फोटोः डेविड राजू)
बाघ (फोटोः फरहान खान) बाघ एवं चीतल झुंड (फोटोः दुर्गेश सिंह)

©
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
2022
www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in